लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[पन्द्रहवां सत्र]

[Fifteenth Session]

Preservation Unit
18-6-94
Fumigated
On 4.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

(खंड 59 में अंक 21 से 32 तक हैं)
(Vol. LIX contains Nos. 21—32)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया।

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 24, शुक्रवार, 26 अगस्त, 1966/4 भाद्र, 1888 (शक)
No. 24, Friday, August 26, 1966/Bhadra 4, 1888 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
689. विदेशी फर्मों में भारतीय लोगों की नियुक्ति	Appointment of Indian Personnel in Foreign Firms ..	1—4
690. स्कूटरों और आटो साइकिलों का निर्माण	Manufacture of Scooters and Auto-cycles ..	4—7
691. आयात तथा निर्यात व्यापार नियन्त्रण संगठन सम्बन्धी अध्ययन दल	Study Team on Import and Export Trade Control Organisation ..	7—10
692. विदेशों में भारतीय व्यापार का विस्तार	Expansion of India's Trade Abroad ..	10—13
694. तीसरे दर्जे के रेल डिब्बों में भीड़भाड़	Over-corwding in Third Class Compartments ..	13—16
695. इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के कारखानों का विस्तार	Expansion of IISCO and TISCO Plants ..	16—18
अ० सू० प्र० संख्या **S. N. Q. No.**		
18. रेलवे विद्युतीकरण परियोजना के कर्मकारों (वर्कमेन) की छंटनी	Retrenchment of Workmen in Railway Electrification Project ..	18—22

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
696. सहायक उद्योगों सम्बन्धी उप-समिति	Ancillary industries Sub-Committee	..	23
697. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर	H.M.T., Bangalore	..	23—24
698. मद्रास-हावड़ा एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना	Derailment of Madras-Howrah Express	..	24
699. राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात	Exports by S.T.C.		24
700. बोकारो परियोजना के लिये भर्ती	Recruitment for Bokaro Plant	..	25
701. कोयले का मूल्य	Price of Coal	..	25—26
702. इस्पात संयन्त्र	Steel Plants	..	26—27
703. पाकिस्तान को किये गये निर्यात की रकम की वसूली	Recovery of Export Earnings from Pakistan		27
704. भिलाई में मजदूरों की मजूरी	Wages of Labourers in Bhilai	..	27
705. निर्यात-प्रधान कताई मिल	Export Oriented Spinning Mills	..	27—28
706. फ्रान्स द्वारा भारतीय रेल डिब्बों आदि की खरीद	Purchase of Indian Rolling Stock by France	..	28
707. कोयले की ढुलाई	Transportation of Coal		28—29
708. कच्छ में लिग्नाइट के निक्षेप	Deposits of Lignite in Kutch	..	29
709. पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की सम्पत्ति	Property of Pakistani Nationals		29—30
710. मेसर्स यूनियन कार्बाइड	M/s Union Carbide		30
711. जैसलमेर में फास्फेट के निक्षेपों का पाया जाना	Find of Phosphate Deposits in Jaisalmer	..	31
712. अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint	..	31—32
714. अत्यावश्यक वस्तुयें	Essential Commodities		32
715. गोधरा तथा लुनाबड़ा के बीच रेलवे पटरी का उखाड़ा जाना	Dismentaling of the Railway between Godhra and Lunavada	..	32—33
716. आसाम में कोयला खानों के लिये नियतन	Allocation for Coal Mines in Assam	..	33

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
717. भिलाई इस्पात संयन्त्र में इंजीनियरों की छंटनी	Retrenchment of Bhilai Steel Plant Engineers ..	33—34
718. मेसर्स अमींचन्द प्यारे लाल और सम्बद्ध फर्मों को हर्जाना दिया जाना	Payment of Penalty to Messrs Amin Chand Pyare Lal and associated firms ..	34
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
3388. मिलों को बिलेट की सप्लाई	Supply of Billets to Mills ..	34—35
3389. रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधायें	Passenger Amenities at Railway Stations ..	35
3390. केरल में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना	H.M.T. Unit in Kerala	36
3391. सामग्री आयोजन विभाग	Department of Materials Planning ..	36
3392. केरल में रबड़ की खेती	Rubber Cultivation in Kerala ..	37
3393. भुसावल जाने वाली मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment of Bhusaval Bound Goods Train ..	37
3394. निर्यात करार	Export Contracts ..	37—38
3395. माल लादने-उतारने के ठेके सम्बन्धी करार	Goods Handling Contract Agreements ..	38
3396. केरल में ग्रैफाइट के निक्षेप	Deposits of Graphite in Kerala	39
3397. गढ़ बरुआरी और सुपौल स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशन	Halt station between Garh Barari and Supaul Stations	39
3398. पंचायतों द्वारा चलाये जाने वाले उद्योग	Industrial Units run by Panchayats	39—40
3399. केरल में काजू उद्योग	Cashew Industry in Kerala	40
3400. हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच रेल यातायात	Railway Traffic between Hardwar and Rishikesh	40—41
3401. चामराज नगर - सत्यमंगलम् और सेलम-बंगलौर रेलवे लाइनें	Chamarajanagar-Satyamangalam and Salem-Bangalore Railway Lines ..	41
3402. उपभोक्ता वस्तुओं की चोर-बाजारी	Black-marketing in Consumer Goods	41
3403. रेलवे गार्ड पर आक्रमण	Assault on Railway Guard	41—42

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3404. इलायची की खेती का विस्तार	Expansion of Cardamom Cultivation ..	42—43
3405. सिंगरेनी कोलरीज द्वारा बोनस का भुगतान	Payment of Bonus by Singareni Collieries ..	43
3406. फिल्मों का निर्यात	Export of Films	43—44
3407. कोलाघाट पर पुल	Bridge at Kolaghat ..	44
3408. तेल निकालने का उद्योग	Oil Milling Industry	44
3409. सहायक उद्योगों का विकास	Development of Ancillary Industries	45
3410. मूल्य स्थरीकरण बोर्ड	Price Stabilisation Board	45—46
3411. मजदूर संघों के नेताओं तथा रेलवे कर्मचारियों के लिये वातानुकूलित गाड़ियों के पास	Air-Conditioned Passes for Trade Union Leaders and Railway Officials ..	46—47
3412. विद्युत् चालित करघा जांच समिति	Power-Loom Enquiry Committee	47—48
3413. बिहार के उद्योगों का विकास	Development of Industries in Bihar ..	48
3414. पुस्तकों का आयात	Import of Books ..	48—49
3415. काजू निर्यात संवर्धन परिषद्	Cashew Export Promotion Council	49
3416. रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की विदेश यात्रा	Foreign Tour of Chairman, Railway Board	49—50
3417. लोहा और इस्पात कारखाने	Iron and Steel Factories	50
3418. रेलवे कर्मचारियों को वर्दियों की सप्लाई	Supply of Uniforms to Railway Employees	51
3419. उज्जैन-आगर छोटी लाइन का बदला जाना	Conversion of Ujjain-Agar Narrow Gauge	51
3420. कांगड़ा में सीमेंट का कारखाना	Cement Factory in Kangra ..	51—52
3421. सिमूलतला और लाहबन के बीच रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment between Simultala and Lahabon	52
3422. निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना	Accident at Nizamuddin Rly. Station ..	52
3423. रेलगाड़ियों का टकरा जाना	Train Collisions ..	52—53

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3424. कपड़ा मिलों की मशीनों का आयात	Import of Textile Machinery ..	53
3425. कपड़ा मिलें	Textile Mills ..	53
3426. अखिल-भारतीय निर्माता संगठन का वार्षिक सम्मेलन	Annual Conference of All-India Manufacturers' Organization ..	53—54
3427. चन्डिल स्टेशन के निकट दुर्घटना	Accident near Chandil Station ..	54
3428. ब्रिटेन में "अधिक चाय पियो" आन्दोलन	"Drink More Tea" Campaign in Britain ..	54—55
3429. कपड़ा सम्बन्धी मूल्य नियंत्रण आदेश का उल्लंघन	Violation of Price Control Order on Cloth ..	55
3430. सिंगरेनी कोयला खानों को सरकारी राज सहायता	Government Subsidy to Singareni Colleries	55—56
3431. ट्रैक्टरों और शक्ति चालित हलों का निर्माण	Manufacture of Tractors and Power Tillers	56—57
3432. भारतीय व्यापार का विकास	Development of Indian Trade ..	57—58
3433. दिल्ली से झांसी होकर इलाहाबाद के लिये रेलगाड़ी	Train between Delhi and Allahabad via Jhansi ..	58—59
3434. पूर्वोत्तर रेलवे में बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travel on N. E. Railway ..	59
3435. मुरादाबाद के निकट मालगाड़ी पर छापा	Attack on a Goods Train near Moradabad	59—60
3436. विदेश स्थित उद्योगों में भागीदारी	Participation in Industries Abroad	60—61
3437. उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में ढलाई कारखाना	Foundry in Muzaffarnagar, U. P. ..	61
3438. मध्य प्रदेश में मशीनी औजार कारखाना	Machine Tool Factory in M. P.	61—62
3439. जापान को रद्दी लोहे का निर्यात	Export of Iron Scrap to Japan ..	62
3440. निर्यात ऋण तथा प्रत्याभूति निगम	Export Credit and Guarantee Corporation	62—63

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3441. हिन्दुस्तान लिंक लिमिटेड, उदयपुर	Hindustan Link, Ltd. Udaipur ..	63—64
3442. चमड़े का निर्यात	Export of Leather ..	64
3443. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का कामकाज	Working of N.C.D.C. ..	64—65
3444. पंजाब में उद्योगों का स्थानान्तरण	Shifting of Industries in Punjab ..	65
3445. रेलवे स्टेशनों पर यार्ड में खड़ी रेलगाड़ियों में कुलियों द्वारा सीटों पर अवैध रूप से कब्जा	Unauthorised occupation of seats by Porters in the train stabled in the Yards at Railway Stations ..	65—66
3446. रूस को मशीनी औजारों का निर्यात	Export of Machine Tools to U.S.S.R.	66
3447. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानों का विकास	Development of N.C.D.C. Mines	66—67
3448. राजस्थान में अनेक धातुओं के निक्षेप	Multi-Metal Deposit in Rajasthan ..	67
3449. कीमतों पर निगरानी रखने के लिये नियंत्रण कक्ष (कंट्रोलरूम)	Control Room for Keeping Watch on Prices	67—68
3450. भूसी का तेल	Bran Oil	68
3451. राजस्थान में फ्लूरस्पर खनिज का पाया जाना	Discovery of Flourspar, a mineral in Rajasthan ..	68—69
3452. औद्योगिक विकास निगम	Industrial Development Corporation	69
3453. यात्रियों के लिये बीमा योजना	Insurance Scheme for Passengers ..	69—70
3454. कारों की बिक्री	Sale of Cars	70—71
3455. इस्पात की उत्पादन लागत में वृद्धि	Rise in Cost of Steel Production ..	71
3456. घाना को जूतों का निर्यात	Export of Shoes in Ghana ..	71
3457. जुलाई, 1966 में जालंधर के निकट बस तथा गाड़ी की टक्कर	Bus-Train collision near Jullundur in July, 1966 ..	71—72

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3458. सीमेंट का उत्पादन	Production of Cement ..	72
3459. पश्चिम रेलवे पर तोड़फोड़ करने का प्रयास	Attempted Sabotage on Western Railway ..	72—73
3460. गंगापुर रेलवे स्टेशन पर स्लीपरों को जला दिया जाना	Burning of Sleepers at Gangapur Station ..	73
3461. रेलवे कुलियों की मांगें	Demands of Railway Porters ..	73
3462. नेवेली परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन	Report on Neyveli Project ..	74
3463. इस्पात की उत्पादन-लागत सम्बन्धी समिति	Committee on cost of production of Steel ..	74
3464. उत्तर रेलवे के "पर्सानल शाखा" दिल्ली में भ्रष्टाचार	Corruption in Personnel Branch N. Railway, Delhi ..	74—75
3465. स्टेशन मास्टरों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Station Masters ..	75
3466. बम्बई के निकट माल डिब्बे का लूटा जाना	Looting of a Wagon near Bombay	76
3467. गुन्टूर तथा रेपल्लि के बीच चलाये जाने वाले इंजन	Railway Engines used between Guntur and Repalle ..	76
3468. जमालपुर क्षेत्र में रेलवे को धोखा देने का प्रयास	Attempt to Defraud Railways in Jamalpur Area ..	76—77
3469. चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन में कर्मचारियों का स्थानान्तरण	Transfer of staff in Chakradharpur Railway Division ..	77—78
3470. मोर के पंखों का निर्यात	Export of Peacock Feathers ..	78
3471. रूस के साथ व्यापार	Trade with U.S.S.R.	78—79
3472. रोपड़-नांगल डैम रेलवे सैक्शन पर सुविधायें	Amenities on the Rupar-Nangal Dam Railway Section ..	79—80
3473. अत्यावश्यक वस्तुओं तथा खाद्यान्न नियंत्रण आदेश	Essential Commodities and Foodgrains Control Order ..	80
3474. तकनीकी निरीक्षक	Technical Supervisors	80—81
3475. प्रोत्साहन योजनायें	Incentive Scheme ..	81—82

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3476. तकनीकी निरीक्षक	Technical Supervisors ..	82
3477. निर्यात गृह	Export Houses	82—83
3478. रेलवे विभाग में आई० बी० एम० आंकड़ों का परीक्षण करने की मशीनों के आपरेटर	Operators of I.B.M. Data Processing Machines in the Railway Department ..	83
3479 आन्ध्र प्रदेश में अग्निगोन्डाला ताम्बा परियोजना	Agnigondala Copper Project in Adhra Pradesh ..	84
3480 भारी इजींनियरी निगम, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi ..	84
3481. कायमगंज में गाड़ी का रोका जाना	Detention of Train at Kaimganj	84—85
3482. निर्यात संवर्धन योजना	Export Promotion Scheme ..	85—86
3483. कुरुक्षेत्र में गेटमैन की हत्या	Murder of a Gateman at Kurukshetra	86
3484. बरेली में जूता और चप्पल उद्योग	Shoe and Chappal Industry in Bareilly ..	87
3485. नमक उपकर	Salt Cess	87
3486. कते रेशम के कारखाने	Spun Silk Factories	88
3487. जोधपुर तथा बीकानेर डिवीजनों में रेलवे लेखा विभाग में प्रथम श्रेणी के लिपिक	Clerks Grade I in Railway Accounts Deptt. in Jodhpur and Bikaner Divisions ..	88—89
3488. राजस्थान के खाडी गांव में लिग्नाइट का परिष्करण	Processing of Lignite in Khari Village, Rajasthan ..	89
3489. भटिंडा और नोखा के बीच विशेष रेलगाड़ियां	Special Trains between Bhatinda and Nokha ..	89
3490. उत्तर रेलवे में असिस्टेंट पर्सानल अधिकारी	Assistant Personnel Officers' on the Northern Railway	89—90
3491. सियालदाह इलेक्ट्रिक रेलगाड़ियों से लगे हुए डिब्बे	Coaches Attached to Sealdah Electric Trains	90
3492. पावर कंट्रोलर और असिस्टेंट लोको फोरमैन	Power Controllers and Assistant Loco Foremen	91
3493. दक्षिण रेलवे में स्टेशन मास्टर तथा असिस्टेंट स्टेशन मास्टर	S.Ms. and A.S.Ms. on Southern Railway ..	91—92

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3494. बरहामपुर रेलवे स्टेशन पर उपरि पुल	Over-bridge near Berhampur Railway Station	92
3495. दिल्ली से भुवनेश्वर तक शायिकायें (स्लीपिंग बर्थ्स) तथा स्थानों का आरक्षण	Sleeping Berths and Reservation of Seats from Delhi to Bhubaneshwar ..	92
3496. रेलवे प्लेट फार्मों पर शेड	Sheds over Railway Platforms ..	92—93
3498. अपर क्लास के कंडक्टरों के मुख्यालय का वालटेयर से खुर्दा रोड में स्थानान्तरण	Change of Headquarters of Upper Class Conductors from Waltair to Khurda Road ..	93
3499. तैयार इस्पात के लिये आयात अधिकार लाइसेंस	Import Entitlement Licences for Finished Steel ..	93—94
3500. तैयार इस्पात के लिये आयात लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of Import Licences for Finished Steel	94
3501. कौपर कन्डक्टर प्लांट	Copper Conductor Plant ..	94—95
3502. असथल बोहर स्टेशन पर 1-डी० आर० शटल गाड़ी	1-D.R., Shuttle Train at Asthal Bohar Station ..	95
3503. रेलवे की नकद राशि का गुम हो जाना	Railway Cash Found Missing	96
3504. काजू का छिलका उतारना	Shelling and Peeling of Cashew	96
3505. भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग	Geological Survey of India ..	97
3506. भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग में खान अधिनियम को लागू करना	Application of Mines Act to Geological Survey of India ..	97
3507. भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों को फील्ड संस्थान भत्ता	Field Establishment Allowance to Workers of Geological Survey of India ..	97—98
3508. भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता	House Rent Allowance to Employees of Geological Survey of India ..	98—99
3509. भारतीय खान ब्यूरो के कर्मचारी	Employees of the Indian Bureau of Mines ..	99

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

3510. भारतीय खान ब्यूरो के कर्मचारियों के लिये मजूरी	Wages for employees of Indian Bureau of Mines ..	99—100
3511. भारतीय खान ब्यूरो का भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग में विलय	Merger of Indian Bureau of Mines with the Geological Survey of India ..	100
3512. प्याज का निर्यात	Export of Onions ..	100—101
3513. उड़ीसा में सिलिका रेत के खनिज भण्डार	Silica Sand Deposits in Orissa ..	101
3514. केसिंगा और रायगड़ा स्टेशनों पर उपरि पुल	Overbridge at Kesinga and Rayagada Stations ..	101
3515. उड़ीसा में रेलवे लाइनें	Railway Lines in Orissa	102
3516. उड़ीसा में लघु उद्योग	Small Scale Industries in Orissa	102
3517. दक्षिण-पूर्व रेलवे में नये स्टेशन	New Stations on S.E. Railway ..	103
3518. दक्षिण-पूर्व रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले	Corruption Cases on South Eastern Railway	103—104
3520. घड़ियों का आयात	Import of Watches ..	104
3521. सौराष्ट्र में मालडिब्बों की मांग	Demands for Wagons in Saurashtra ..	104—105
3522. मैकेनिकल डिपार्टमेंट, वाराणसी के कर्मचारी	Staff of Mechanical Department, Varanasi	105
3523. रेलवे लेखा विभाग के कर्मचारी	Employees of Railway Accounts Department	106
3524. रेलवे के कार्यालयों में पद बनाने पर प्रतिबन्ध	Ban on creation of Posts in Railway Offices	106
3525. उत्तर रेलवे का मुख्यालय	Northern Railway Headquarters Office ..	107
3526. उत्तर रेलवे के जन सम्पर्क संगठन	Public Relations Organisations of Northern Railway ..	107
3527. रेलवे में हिन्दी का कार्य करने वाले कर्मचारी	Hindi Staff on Railways ..	108
3528. रेलवे में अनुवाद कार्य	Translation Work on Railways ..	108
3529. कच्चे काजू का आयात	Import of Raw Cashew-nut ..	108—109

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

3530. रूस को काजू का निर्यात	Export of Cashew-nuts to U.S.S.R. ..	109
3531. लोको वर्कशापों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	Class IV Employees of Loco Workshops ..	109
3532. लोकोमोटिव वर्क्स, लखनऊ में लिपिक कर्मचारियों का अधिलंघन	Suspension of Clerical Staff in Locomotive Works, Lucknow ..	109—110
3533. उत्तर रेलवे, चारबाग (लखनऊ) के अन्तारोगि चिकित्सालय (इनडोर, हास्पीटल) में आया	Ayahs in In-door Hospital, Northern Railway, Charbagh (Lucknow)	110
3534. अनकापल्लि टाउन (दक्षिण-रेलवे) में रेलवे समपार (लैवल क्रासिंग) पर ऊपरी पुल	Over-Bridge at Level Crossing in Anakapalle Town (S. Railway) ..	110—111
3535. उत्तर रेलवे के कांगड़ा घाटी सैक्शन के स्टेशनों पर माल-डिब्बों की कमी	Shortage of Wagons at Stations on the Kangra Valley Section of the Northern Railway ..	111
3536. रामपुर से काठगोदाम तक बड़ी रेलवे लाइन	Broad-Gauge Line from Rampur to Kathgodam ..	111—112
3537. रेलवे के रियायती टिकटों का दुरुपयोग	Misuse of Railway Concession Tickets ..	112—113
3538. निर्यात पर अवमूल्यन का प्रभाव	Effect of Devaluation on Exports ..	113
3539. महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में अयस्क खानें	Ore Mines in Maharashtra and Madhya Pradesh ..	113—114
3540. भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग का केरल सर्किल	Kerala Circle of Geological Survey of India	114
3541. उत्तर रेलवे के चार्जमैन	Chargemen of Northern Railway	115
3542. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों की मरम्मत	Repair of H.M.T. Watches ..	115
3543. तार बनाने वाली मशीनें	Wire Drawing Machines ..	115—116
3544. इस्पात तथा मिश्रित इस्पात की तारें	Steel and Alloy Steel Wires ..	116—117

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3545. इस्पात ढलाई उद्योग	Steel Casting Industry	117
3546. जस्ती तार (गाल्वनाइज्ड वायर) का आयात	Import of Galvanised Wire	.. 117—118
3547. दुर्गापुर इस्पात कारखाने में हानि	Loss at Durgapur Steel Plant	118
स्वर्णकारों की गिरफ्तारी के बारे में	Re. Arrests of Goldsmiths	118
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	.. 119—120
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	120
सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	Committee on Absence of Members—	
अठारहवां प्रतिवेदन—	Eighteenth Report	120
सभा के कार्य के बारे में	Re. Business of the House	121
व्यवस्था के प्रश्न के बारे में	Re. Point of Order	.. 121
भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर स्थिति के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Situation on India-Pakistan Borders	.. 121—132
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती	Shri Jagdev Singh Siddhanti	.. 121—122
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	.. 122—123
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	.. 123—124
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	Shri Harish Chandra Mathur	.. 124—125
श्री कृष्णपाल सिंह	Shri Krishnapal Singh	.. 125—126
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	.. 126
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	.. 127—128
श्री बृजराज सिंह	Shri Brij Raj Singh	.. 128—129
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi	.. 129—131
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka	.. 131—132
श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi	132
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members Bills and Resolutions—	
चौरानवेवां प्रतिवेदन	Ninety-fourth Report	132

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
संविधान (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	Constitution (Amendment) Bill—Introduced	133
नये अनुच्छेद 125 क और 221 क का रखा जाना श्री हरि विष्णु कामत—का	(Insertion of new articles 125A and 221A) by Shri Hari Vishnu Kamath	133
संविधान (संशोधन) विधेयक—अस्वीकृत—	Constitution (Amendment) Bill—Negatived—	
अनुच्छेद 352 का संशोधन श्री हरि विष्णु कामत-का	(Amendment of Article 352) by Shri Hari Vishnu Kamath ..	133—144
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	133
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath ..	133—135
श्री विश्वनाथ पाण्डेय	Shri Vishwa Nath Pandey	136
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee ..	135—136
श्री राम सहाय पाण्डेय	Shri R. S. Pandey ..	136—137
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	137
श्री श्रीनारायण दास	Shri Shree Narayan Das	138
श्री नम्बियार	Shri Nambiar ..	138—139
श्री कपूर सिंह	Shri Kapur Singh	139
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia ..	139—140
श्री नि० चं० चटर्जी	Shri N. C. Chatterjee	140
श्री शिंकरे	Shri Shinkre	140
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh ..	140—141
श्री रघुनाथ सिंह	Shri Raghunath Singh ..	141
श्री कंडप्पन	Shri Kandappan ..	141—142
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla ..	142—143
संविधान (संशोधन) विधेयक	Constitution (Amendment) Bill	144
अष्टम अनुसूची का संशोधन श्री उ० मू० त्रिवेदी—का	(Amendment of the Eighth Schedule) by Shri U. M. Trivedi ..	144
विचार करने का प्रस्ताव श्री उ० मू० त्रिवेदी	Motion to Consider Shri U. M. Trivedi ..	144

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सभा का कार्य	Business of the House	.. 145—149
तेल कम्पनियों में रोजगार की सुरक्षा के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion Re. Job Security in Oil Companies	.. 149—152
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharya	.. 149—151
श्री शाहनवाज खां	Shri Shahnawaz Khan	152

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 26 अगस्त, 1966/4 भाद्र, 1888 (शक)
Friday, 26 August, 1966/Bhadra 4, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विदेशी फर्मों में भारतीय लोगों की नियुक्ति

+

*689. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी फर्मों में भारतीय लोगों की नियुक्ति के सम्बन्ध में सन्तोषजनक प्रगति हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक हुई प्रगति का स्वरूप क्या है ; और

(ग) 3,000 रुपये मासिक से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी में क्रमश: कितने भारतीय और गैर-भारतीय कर्मचारी हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) 1,000 रु० और इससे अधिक वेतन पाने वाले भारतीयों की संख्या जो 1 जनवरी, 1956 को 4,862 थी, 1 जनवरी, 1965 तक तिगुनी से भी अधिक बढ़कर 16,302 हो गई है । इसके अतिरिक्त इसी अवधि में इसी श्रेणी के गैर-भारतीयों की संख्या 6,566 से गिरकर 3,014 रह गई है ।

(ग) 3,000 रु० और उससे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी में 1 जनवरी, 1965 तक 1,567 भारतीय और 2,057 गैर-भारतीय कर्मचारी नियुक्त किये गये ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने समय-समय पर इस सम्बन्ध में हस्तक्षेप किया है जिससे इन विदेशी कम्पनियों में धीरे धीरे भारतीय ही नियुक्त हों ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : जी, हां, 1952 से हर साल एक प्रेस सूचना जारी की जाती है । पूरी जानकारी एकत्र की जाती है । यह सब ऐच्छिक आधार पर होती है तथा इसके लिये कोई नियम नहीं बना है । उनसे अधिक से अधिक भारतीय कर्मचारी रखने के लिये कहा जाता है । हर साल स्थिति का अध्ययन किया जाता है और उसके अनुसार प्रेस सूचना के रूप में परिणाम प्रकाशित किया जाता है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या भारत सरकार देश में फैली इस भावना से सहमत है कि भारतीयकरण का कार्य सन्तोषजनक रूप से नहीं हुआ है और प्रत्येक वर्ष जारी की जाने वाली प्रेस सूचनाओं के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में और कुछ किया जाना चाहिये ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कुछ किया जा रहा है अथवा क्या करने का विचार है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : मेरे पास 1954 से अब तक के आंकड़े हैं, जिनमें 1,000 रु० और उससे अधिक तथा 3,000 रु० और उससे अधिक वेतन दरों की विभिन्न श्रेणियों में काम करने वाले भारतीय तथा विदेशी कर्मचारियों की संख्या दी गई है । इन आंकड़ों के अध्ययन के आधार पर यह कहना, कि भारतीयकरण सन्तोषजनक नहीं हुआ है, ठीक नहीं है ।

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : मैं प्रतिशत बताता हूं । 1954 में 33 प्रतिशत भारतीय थे तथा 1965 में 84·4 प्रतिशत हो गये ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : प्रश्न यह है कि इनका कुछ विदेशी कम्पनियां उल्लंघन कर रही हैं और नियमों का पालन नहीं हो रहा है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : पिछले दस वर्षों में विदेशियों के स्थान पर भारतीयों की नियुक्ति के बावजूद भी चाय उद्योग में ब्रिटेन का लाभांश 65 प्रतिशत है तथा अब भी यह उद्योग ब्रिटेन के नियंत्रण में है । ऐसी परिस्थितियों में जो भारतीयकरण हो रहा है उसमें साधारणतया स्थानीय राज्यों की अपेक्षा बाहर के राज्यों से अभ्यर्थियों को लिया जाता है । इससे बेरोजगार शिक्षित असंतुष्ट हो उठे हैं । यह वही 'फूट डालो और राज्य करो' की नीति है । क्या सरकार का विचार चाय उद्योग को इस प्रकार के आदेश जारी करने का है कि जब भी चाय उद्योग में लोगों को रखा जाय तो दूसरे राज्यों की अपेक्षा स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाये ?

श्री संजीवय्या : यह सम्भव नहीं है । हम उन्हें ऐसा करने के लिए नहीं कह सकते हैं ।

श्री बूटा सिंह : क्या भारत सरकार के निगमों और सांविधिक निकायों में काम पर लगे हुये कर्मचारी विदेशी कम्पनियों के ऊँचे वेतन दरों और अधिक अच्छी सेवा-शर्तों से आकर्षित होते हैं और यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय बता सकेंगे कि हाल के कुछ वर्षों में कितने व्यक्ति सरकारी निकायों को छोड़कर विदेशी फर्मों में चले गये हैं ?

श्री संजीवय्या : यह एक बिल्कुल भिन्न प्रश्न है ।

Sri Bhagwat Jha Azad : Just now the Hon. Minister has stated that they do not have the complete report of the personnel engaged in these foreign firms because these foreign firms cannot be compelled to submit the complete report under any law. Therefore, the information, supplied just now by him that the number of non-Indians has declined to 3014 is incorrect. May I know whether this is so and in case it is what steps have they taken to see that the foreign firms are compelled to supply this information under the law ?

श्री संजीवय्या : मेरे साथी बता चुके हैं कि इस सम्बन्ध में नियंत्रण करने वाली कोई सांविधिक शक्ति नहीं है । यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में सांविधिक अधिकार चाहते हों, तो सम्भवत: इस प्रश्न पर आगे विचार करना होगा; किन्तु इस समय कोई सांविधिक अधिकार शक्ति की व्यवस्था नहीं है ।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि सरकार प्रेस नोट जारी करके यह व्यक्त करती है कि विदेशी फर्मों में अधिक से अधिक भारतीय नियुक्त किये जायें तथा ये विदेशी फर्में ऊंचे पदों पर भारतीयों की अपेक्षा विदेशियों को नियुक्त कर रहे हैं; और यदि हां, तो इस असमानता को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : 3,000 रु० से 5,000 रु० की वेतन दरों की श्रेणी में 12,220 गैर-भारतीय हैं जबकि 1,345 भारतीय हैं । 5,000 रु० पाने वालों की श्रेणी में 837 गैर-भारतीय हैं जबकि भारतीय 222 हैं ।

डा० रानेन सेन : सरकार का असमानता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का इरादा है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : कोई असमानता नहीं है । 1,000 रु० की श्रेणी तक सभी भारतीय हैं ।

श्री बासप्पा: क्या किसी विदेशी फर्म ने भारतीय नामों की सूची भेजने से इन्कार किया है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र: जी नहीं ।

श्री हेम बरुआ : प्रधान मंत्री ने बताया है कि फर्मों में विदेशी सहयोग को आगे जारी रखने या न रखने की दृष्टि से जांच की जायेगी। क्योंकि इस सम्बन्ध में अभी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। क्या सरकार इस प्रकार की शर्तें निर्धारित करना चाहती है कि जब भी कोई विदेशी सहयोग देने की बात करें तो वे सरकार को आश्वासन दें कि उस फर्म विशेष में नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों में विदेशियों की अपेक्षा भारतीयों का ही ऊंचा प्रतिशत रहेगा ?

श्री संजीवय्या : वह एक बिल्कुल भिन्न प्रश्न है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है कि एक ओर सर्वोच्च योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को विदेशी फर्मों द्वारा नियुक्त किया जाता है और प्रलोभन दिया जाता है तथा दूसरी ओर उनकी नियुक्ति महत्त्वपूर्ण पदों पर नहीं की जाती है, और उनके लिए 45 साल की उम्र के बाद सेवा की शर्तें इतनी कठिन बना दी जाती हैं कि उन्हें छोटे पदों पर जाना होता है। यदि ऐसी स्थिति है, तो सरकार विदेशियों द्वारा भारतीयों के इस प्रकार के शोषण को रोकने के लिये क्या करना चाहती है ?

श्री संजीवय्या : इस प्रकार के कुछ मामलों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है। और इन पर श्रम मंत्रालय विचार कर रहा है।

स्कूटरों और आटो-साइकिलों का निर्माण

+

*690. **श्री बागड़ी** : **श्री मौर्य** :
श्री मधु लिमये : **श्री किशन पटनायक** :
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री राम सेवक यादव** :

क्या **उद्योग** मंत्री 29 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4700 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटरों और आटो-साइकिलों के निर्माण हेतु औद्योगिक लाइसेंस देने के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों पर इस दौरान में विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं; और

(ग) ऐसे लाइसेंस देने की शर्तें क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग). स्कूटरों तथा आटो-साइकिलों के निर्माण के लिए अप्रैल 1966 के अंत तक प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों पर विचार कर लिया गया है। उन योजनाओं को जो प्रारम्भ में ही अनुपयुक्त पाई गईं, रद्द करने का निर्णय किया गया है। प्रारम्भिक जांच करने पर जिन योजनाओं को आगे विचार करने के योग्य पाया गया उन पर चौथी पंच वर्षीय योजना के अंत की अवधि तक स्कूटरों तथा आटो-साइकिलों की मांग और क्षमता के लक्ष्य निर्धारित हो जाने पर विचार किया जायगा।

Shri Bagri : Mr. Deputy Speaker, first of all I object to this reply given by the Government. Till now reply has been given in both the languages, but this time it has come only in English and not in Hindi.

The Hon. Minister has said in his reply that all those applications which were received before April, 1966, were rejected on the ground that they were deemed **Prima facie** unsuitable. What are the reasons for declaring them unsuitable ? Are they not giving concessions of profiteering to a particular individual or company ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : 9092 के लगभग आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे और जांच समिति ने उनका पुनर्विलोकन किया है । कुछ नियम निर्धारित किये गये थे जैसे विदेशी पूंजी से प्राप्त किये जाने वाले पुर्जों तथा देशी पुर्जों के सम्बन्ध में पूरा ब्योरा देना । विस्तृत अध्ययन के बाद जांच समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि इनमें से कुछ प्रतिवेदन आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं हैं । जहां तक स्कूटरों का प्रश्न है उन्होंने, वर्तमान एककों के विस्तार के अतिरिक्त, 17 और एककों पर विचार करने की सिफारिश की है । जहां तक आटो-साइकिलों का सम्बन्ध है, उन्होंने 11 एककों की सिफारिश की है जिन पर लाइसेंस देने वाली समिति विचार करेगी ।

Shri Bagri : Mr. Deputy Speaker, my question has not been answered. I had asked whether this scheme would not be implemented in view of the monopoly of certain persons, for example there is only one Congress Leader who has been running a company for a long time ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : हम और अधिक लाइसेंस देना चाहते हैं और इसी कारण हम आवेदन-पत्र ले रहे हैं । यह कहना गलत है कि हम आवेदन-पत्रों को नहीं आमंत्रित कर रहे हैं ।

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या : श्रीमान मैं एक व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हो रहा हूँ । उन्होंने 'कांग्रेस नेता' कहा, जो कि एक स्पष्ट आरोप है ।

डा० रानेन सेन : इसमें कोई दोषारोपण नहीं है ।

Mr. Deputy Speaker : Let me know if there is any more complaint.

Shri Bagri : Will the Hon. Minister be pleased to state that sometime ago 'Smith Company' from Germany had suggested that they can manufacture and supply a car for Rs. 3,000 to Rs. 3,500. Have the Government established contacts with any of such companies and if so, what are the results ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : वह प्रश्न इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता है । हमें किसी ऐसी बात की जानकारी नहीं है ।

Shri Bagri : Have Government contacted any other company which has offered to manufacture the car at the cost of Rs. 3,500 or no other company is being allowed to come forward simply to maintain monopoly ?

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या यह सच है कि भारत में बनने वाले स्कूटर का मूल्य लगभग 3,000 रुपये है तब फुटकर विक्रय मूल्य इतने अधिक होने का क्या कारण है ? क्या मूल्य कम करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ताकि जनसाधारण ये स्कूटर खरीद सकें ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूल्यों के बारे में नहीं है, प्रार्थना-पत्रों के बारे में है ।

Shri Kashi Ram Gupta : May I know the total estimated production as a result of issue of new licences and renewal of old licences and how far our demand would be met by this production ? When this production is likely to start and how many foreign components would be involved in it ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल प्रार्थना-पत्रों के बारे में है । इससे ये सब बातें पैदा नहीं होतीं ।

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : उनका शायद यह ख्याल है कि नये लाइसेंस दिये जा चुके हैं । उन पर अभी तक विचार किया जा रहा है । हमने अभी तक लाइसेंस नहीं दिये हैं ।

श्री काशी राम गुप्त : इन लाइसेंसों के दिये जाने के बाद कुल उत्पादन कितना हो जायेगा और क्या यह हमारी मांग से कम रहेगा ?

श्री संजीवय्या : हमने प्रार्थना-पत्र मांगे हैं । समिति ने यह अनुमान लगाया है कि देश में 1.5 लाख आटो-साइकिल तथा लगभग 80,000 स्कूटरों की आवश्यकता है । लाइसेंस समिति के अन्तिम निर्णय करने से पहिले योजना आयोग मंत्रालय के साथ इस मामले पर बातचीत करेगा ।

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या : देश में स्कूटरों तथा आटो-साइकिलों की सप्लाई के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है तथा एक सामान्य नागरिक को, उसके द्वारा प्रार्थना-पत्र देने की तारीख के बाद स्कूटर मिलने में कितना समय लगेगा ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : यह समय मांग के अनुसार भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न होगा । दिल्ली के लिये हमने कुछ जानकारी एकत्र की है । वर्तमान व्यवस्था के अधीन लम्ब्रेटा के लिये 20 वर्ष तथा वेस्पा के लिये 11 वर्ष लगेंगे । इसीलिये हम अधिक उत्पादन करने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री शिकरे : क्या नये कारखानों को लगाने के लिये स्थानों के चुनाव के बारे में कोई अन्तिम निर्णय करने से पहिले औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए तथा हाल में आजाद किये गये क्षेत्रों को, जैसा कि गोआ है, ध्यान में रखा जायगा तथा उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात को भी ध्यान में रखा जायेगा ।

श्री शिव नारायण : प्रार्थना-पत्रों की जांच करने के लिये कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है तथा उनके क्या नाम हैं ?

श्री संजीवय्या : यह एक नियमित लाइसेंस समिति है जिसकी लगभग प्रत्येक पन्द्रह दिन के बाद बैठक होती है ।

Shri Yashpal Singh : Do Government know that the M. Ps. are given first priority in the matter of allotment of scooters, autocycles and cars etc. Unless the allotment of scooters to M. Ps. is not stopped, the demand of the public cannot be met. Do Government propose to give priority to the public in the matter of allotment of scooters and not to M. Ps.

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न लाइसेंस के प्रार्थना-पत्रों के बारे में है । यह प्रश्न उससे पैदा नहीं होता ।

Shri Raghunath Singh : Shri Yashpal Singhji should know that M. Ps. also have a standard as they are elected representatives of the people.

Shri Yashpal Singh : First priority should be given to the people because they elect us.

श्री सिंहासन सिंह : छोटी कारों का निर्माण करने के स्थान पर स्कूटरों के निर्माण के लिये और कारखाने स्थापित करने का विचार भूतपूर्व मंत्री के दिमाग में कब आया था, इन कारखानों की स्थापना के लिये प्रार्थना-पत्र कब आमंत्रित किये गये थे और सरकार इस बारे में कब तक निर्णय कर लेगी कि क्या कोई कारखाना स्थापित किया जायेगा अथवा नहीं ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : प्रार्थना-पत्र मई, 1965 में आमंत्रित किये गये थे । अब सब कुछ तैयार है । प्रार्थना-पत्रों की जांच की जा चुकी है । जैसा मैंने बताया, प्राथमिकता के बारे में निर्णय कर लेने के बाद यह किया जायेगा । इसमें अधिक समय नहीं लगेगा ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या लाइसेंस देते समय सरकार यह शर्त रखती है कि कारखानों को स्कूटरों और आटो-साइकिलों के सभी पुर्जे देश में ही बनाने पड़ेंगे ?

श्री संजीवय्या : इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है । अब हमें अगला प्रश्न लेना चाहिये ।

आयात तथा निर्यात व्यापार नियन्त्रण संगठन सम्बन्धी अध्ययन दल

+

*691. **श्री विभूति मिश्र** :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री लीलाधर कटकी :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात तथा निर्यात व्यापार संगठन सम्बन्धी अध्ययन दल की कौन-कौन सी

सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार की गई हैं; और

(ख) इन सिफारिशों की क्रियान्विति के परिणामस्वरूप आयात के कितना कम हो जाने और निर्यात के कितना बढ़ जाने की आशा है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन दो भागों में दिया। प्रतिवेदन के भाग 1 में की गई सिफारिशों पर सरकार के निर्णय 31 मार्च, 1966 को जारी किये गये संकल्प में प्रकाशित किये गये थे और संकल्प की एक प्रति 5 अप्रैल, 1966 को सदन की मेज पर रखी गयी थी। प्रतिवेदन के भाग 2 में दी गयी सिफारिशों पर किये गये निर्णय 5 मई, 1966 को जारी किये गये संकल्प में प्रकाशित हुए थे और इसकी भी एक प्रति 6 मई, 1966 को सदन की मेज पर रख दी गयी थी।

(ख) अध्ययन दल के विचारार्थ विषय, आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन के गठन, ढांचे और कार्य तथा क्रियाविधि की प्रणाली की जांच करना और सुधार के लिये उपाय सुझाना थे। इसकी सिफारिशों के क्रियान्वयन से प्रशासन और अच्छा होगा परन्तु इसके परिणाम-स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में निर्यात में वृद्धि या आयात में कमी नहीं होगी।

Shri Bibhuti Mishra: It has been stated in the annual administrative report of the Ministry of Commerce that in 1963-64 exports amounted to Rs. 79,412 and imports were of Rs. 1,14,902. May I know the follow up action taken by Government to increase the exports and curtail the imports and how far they have been successful ?

श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि सरकार ने माथुर समिति के प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की है। मैंने वह बता दिया है। उन्होंने यह भी पूछा था कि इससे निर्यात में कितना लाभ होगा तथा आयात कितना कम होगा। मैं कह चुका हूं कि प्रक्रिया सरल बनाने अथवा प्रसाशन सुधारने से प्रत्यक्षत: निर्यात नहीं बढ़ेगा और न ही आयात कम होगा। इससे तो विदेशी व्यापार सुविधाजनक होगा। प्रशासन अच्छा हो जायेगा।

Shri K. N. Tiwary : It would be seen from the Gazette referred to by the Hon. Minister that all recommendations excepting one relating to imports have been accepted. There is one important one in the first part which refers to broad problem areas in which delays and opportunities of corruption were possible and duplication of work. I want to know the concrete steps taken by Government to remove this shortcomings so as to increase exports and curtail imports ?

Shri Manubhai Shah : It has lead to simplification of administrative procedure and these administrative reforms will minimise cases of delays and indecision. It will have no direct effect on exports and imports. Administration will improve.

Shri Yashpal Singh : May I know the expenditure incurred on the study team and the benefits that accrued from it ?

Shri Manubhai Shah : A very nominal expenditure spent on the study team. They accomplished their job very expeditiously. Two or four thousand rupees might have hardly been spent on T.A. but there have been far-reaching administrative reforms.

Shri Vishwa Nath Pandey : The Hon. Minister stated that the terms of reference of study team were to examine the organisation, structure, methods of work and procedures of the Import and Export Trade Control Organisation. May I know how far Government have implemented the recommendations of the study team which have been accepted in full or in principle by Government ? If not, when they propose to implement ?

Shri Manubhai Shah : I have already stated that we have accepted all the recommendations and directions relating to allotment stage, changes in forms and procedure etc. including decentralisation as well as matters of principles and in light thereof we are gradually taking action.

Shri Bhagwat Jha Azad : The Hon. Minister on the one hand says that it would result in far reaching reforms in administration and on the other hand he says it will not effect exports and imports. If that is so what was the purpose of appointing this committee. How is it that improvement in administration will not result in improvement in regard to exports and imports ?

श्री मनुभाई शाह : इससे लोगों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी और मैं यह अनुमान नहीं लगा सकता कि यह प्रशासन में सुधारों के कारण है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या इस बीच समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रमुख नियंत्रक के प्रधान कार्यालय तथा अन्य व्यापार नियंत्रण कार्यालयों में कोई परिवर्तन किये गये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : यदि माननीय सदस्य संकल्प को ध्यान से तथा विस्तृत रूप में पढ़ें तो उन्हें मालूम हो जायेगा कि हमने किस प्रकार अधीनस्थ कार्यालयों को शक्तियां प्रदान करने का निर्णय किया है ताकि आवेदन-पत्रों को शीघ्रता से निपटाया जा सके ।

श्री सुबोध हंसदा : सरकार सिफारिश संख्या 83 तथा 93 स्वीकार कर चुकी है, जिनमें नियंत्रकों के पद समाप्त करके उप मुख्य नियंत्रकों के पद बनाने की सिफारिश की गई है । क्या इससे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी प्रभावित होंगे; यदि हां, तो कितने तथा सरकार उन्हें कहां पर नियुक्त करेगी ?

श्री मनुभाई शाह : मैं निश्चित आश्वासन दे सकता हूँ कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के किसी भी मेरे कर्मचारी पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

श्री त्यागी : मैं प्रक्रिया सम्बन्धी स्पष्टीकरण चाहता हूँ । क्या अध्यक्ष महोदय केवल सूची में दिए गए नामों के अनुसार चलेंगे अथवा हमें खड़ा होना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मैं उन सदस्यों को बुलाऊंगा जिन्होंने प्रश्न का नोटिस दिया है और यदि समय रहा तो अन्य लोगों को भी बुलाऊंगा ।

श्री रघुनाथ सिंह : परन्तु अध्यक्ष महोदय ने कुछ और ही निर्णय किया था । उन्होंने कहा था कि पहले नाम के अतिरिक्त बाकी सदस्यों को खड़ा होने पर बुलाया जायगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आधे घंटे की चर्चा की सूचना दे सकते हैं ।

विदेशों में भारतीय व्यापार का विस्तार

\+

* 692. **श्री नि० रं० लास्कर** : **श्री यशपाल सिंह** :
श्री लीलाधर कटकी: **श्री बासप्पा** :
श्री रा० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की इच्छुक है ;

(ख) यदि हां, तो व्यापार बढ़ाने के मार्गोपायों का पता लगाने के लिये क्या तरीके अपनाये जा रहे हैं ; और

(ग) सरकार अपने उद्देश्य में कहां तक सफल रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) विदेशों में मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने, शो-रूम की स्थापना, बिक्री तथा अध्ययन दलों के प्रायोजन, बाजार सर्वेक्षणों एवं विदेशों में प्रचार तथा विभिन्न देशों में सन्तुलन बनाये रखने वाले द्विपक्षीय करारों द्वारा विदेशी बाजारों में भारतीय निर्यात वस्तुओं के क्षेत्र को बढ़ाने का निरन्तर प्रयास किया जाता है । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठियों में बहुपक्षीय विचार-विमर्श के द्वारा कुछ उन्नत देशों में आयात पर लगाये गये व्यापार तथा प्रशुल्क प्रतिबन्धों को हलका करने के भी प्रयास किये जाते हैं ।

(ग) भारत का निर्यात पहली योजना अवधि में प्रति वर्ष 606 रुपए की औसत से, दूसरी योजना में 609 रुपए प्रति वर्ष की औसत से बढ़कर तीसरी योजना में औसतन 762 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष तथा तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष में 815 करोड़ रुपए हो गया । यह वृद्धि (क) निर्यात की मात्रा में वास्तविक वृद्धि, (ख) वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, (ग) वस्तुओं की विभिन्नता और (घ) विस्तृत वितरण ढांचे के कारण हुई है । अमरीका, पूर्व यूरोप के देशों तथा एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग के क्षेत्र के देशों को निर्यात में तीसरी योजना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई । अफ्रीका को भी निर्यात काफी बढ़ा है ।

श्री नि० रं० लास्कर : हमें विदेशी मुद्रा की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और विश्व में विभिन्न देशों के साथ अपने विदेशी व्यापार को बढ़ा कर ही यह कठिनाई समाप्त की जा सकती है । इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या चौथी योजना में निर्यात का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो कितना ?

श्री मनुभाई शाह : 5,100 करोड़ रुपये (पुराने) तथा 8,030 करोड़ रुपए (नये) ।

Shri Yashpal Singh : May I know whether Government has paid attention to this saying of Mahatma Gandhi that, "That Government is the best which governs the least"? Why does not Government allow the people to expand the scope of their trade ? There is no use of State Trading Corporation etc. as the sons of businessmen can better manage trade and business. The job of Government is to prepare the country to defend against external aggression from Pakistan and China.

उपाध्यक्ष महोदय: इससे इन सब बातों का क्या सम्बन्ध है ?

श्री बासप्पा : क्या पूर्वी यूरोप अथवा पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिये कोई प्रयास किये गये हैं और क्या इन देशों की यात्रा करने वाले संसद् सदस्यों ने उनके साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिये कोई सुझाव दिये हैं; यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

श्री मनुभाई शाह : संसद् सदस्यों के रचनात्मक सुझावों के लिये हम आभारी हैं लेकिन जहां तक पूर्वी यूरोप के साथ व्यापार का सम्बन्ध है, यह पहले ही बढ़ रहा है और इसके लिये इन सभी देशों के साथ पांच वर्ष के लिये व्यापार करार है ।

श्री बूटा सिंह : क्या रुपए के अवमूल्यन के कारण वर्तमान ठेकों के अन्तर्गत रूस से आयात की जाने वाली वस्तुओं तथा उसे निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य 75.5 प्रतिशत बढ़ा दिए गए हैं; यदि नहीं, तो आयात की जाने वाली वस्तुओं तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों में इतना अन्तर क्यों है ?

श्री मनुभाई शाह : यह सब तो बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार होता है । मूल्यों का ठेकों से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या भारत सरकार ने मूल्य बढ़ाये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : कोई नहीं ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : पिछले वर्ष जब मैंने लैटिन अमरीका के देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के बारे में प्रश्न पूछा था, तो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि वहां व्यापार बढ़ाने की बहुत कम गुंजाइश है । लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चीन राजनैतिक तथा व्यापारिक दोनों उद्देश्यों से लैटिन अमरीका के देशों पर अपना जाल फैला रहा है, वहां पर अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिये हमारा इस वर्ष क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री मनुभाई शाह : दक्षिण अमरीका के देश बहुत दूर हैं और परिवहन तथा नौवहन सुविधायें इतनी नगण्य हैं कि मैं सभा को इस दिशा में अधिक प्रगति का आश्वासन नहीं दे सकता ।

डा० रानेन सेन : हाल में जब हमारे वाणिज्य मंत्री श्री मनुभाई शाह रूस गये थे तो अवमूल्यन के पश्चात् उन्होंने करार पर हस्ताक्षर करने के बाद एक वक्तव्य दिया था कि सोवियत

संघ द्वारा व्यापार का प्रस्ताव बहुत उदारतापूर्ण है। इस वक्तव्य और इस बात को इस ध्यान में रखते हुए कि समाजवादी देशों के साथ व्यापार भारत को लाभदायक रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कि भारत तथा अन्य समाजवादी देशों—सोवियत संघ तथा अन्य—के बीच और अधिक व्यापार बढ़ाने के मार्ग में रुकावटों को दूर करने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य ने अवमूल्यन के पश्चात् पुनर्मूल्यन के बारे में मेरे वक्तव्य को थोड़ा गलत समझा है। जब विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में रुपए का अवमूल्यन किया गया तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जरिये सभी मूल्य स्वत : 157.5 प्रतिशत के आधार पर पुनः निर्धारित कर दिये गये थे। इसमें मूल्य बढ़ाने की बात नहीं है। यह तो रूबल के रुपए बनाने का प्रश्न है। जब मैं सोवियत संघ गया था तो यह तय हुआ था कि पुराने रुपए के अनुसार किये गये सभी निर्यात करारों का रुपए के मूल समता मूल्य के 47.5 प्रतिशत के अनुसार पुनर्मूल्यन किया जावेगा और आयात करारों का 57.5 प्रतिशत के हिसाब से पुनर्मूल्यन होगा। यह समता का प्रश्न है।

जहां तक व्यापार बढ़ाने का प्रश्न है इसे और अधिक बढ़ाना संभव नहीं है जब तक कि सारा पूर्वलेख (प्रोटोकोल) नहीं बदला जाता।

डा० रानेन सेन : मैंने अन्य समाजवादी देशों के बारे में भी पूछा था।

श्री मनुभाई शाह : बहुत से देशों के साथ द्विपक्षीय संधियां हैं; सभी आठ समाजवादी देशों के साथ पांच वर्ष के लिये व्यापार करार हैं। तीसरी योजना में उल्लिखित प्रगति के अनुसार व्यापार सुचारु रूप से चल रहा है।

Shri Bhagwat Jha Azad : The Hon. Minister stated all those measures in detail which took the export from Rs. 600 crores in the First Plan to present figure of over Rs. 801 crores. Is it not a fact that all these efforts have failed otherwise why should Government resort to devaluation? If not, have the exports recorded any increase after devaluation and if so, it was due to these efforts or due to devaluation ?

Shri Manubhai Shah : Too many questions have been put together. Increase from Rs. 600 crores to Rs. 820 crores undoubtedly testifies the achievement but if further steps are taken to increase it, it will not be proper to term the earlier efforts as failure. As far as fresh exports are concerned, exports cannot be increased unless production is increased and therefore, we are paying attention to production.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि अवमूल्यन से पहले और उससे पूर्व के मूल्यों पर आयात की गई वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ा दिये गये हैं और यदि हां, तो क्या इसमें सरकार की सहमति थी और यदि नहीं, तो सरकार ने इस बारे में क्या किया है ?

श्री मनुभाई शाह : जैसा मैं बता रहा था, यह तो स्वयं गतिशील प्रक्रिया है। मूल्य बढ़ाना

ऐच्छिक नहीं है। जब विश्व की मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा की समता में परिवर्तन होता है तो यह तो स्वाभाविक रूप से होता ही है। पूर्व यूरोप के इन देशों के मामले में रुपए का अवमूल्यन रुपए की तुलना में तो नहीं किया जा सकता। इन देशों के साथ विशेष प्रकार का व्यापार करार है; इसलिए दोनों पक्षों में समझौता आवश्यक था। सभी छः समाजवादी देश, अर्थात् पोलैण्ड, हंगरी, रूमानिया, यूगोस्लाविया, चैकोस्लोवाकिया और पूर्वी जर्मनी—पूर्वी जर्मनी के मामले में अभी बातचीत हो रही है—57.5 प्रतिशत पुनर्मूल्यन के लिये सहमत हो गये हैं; सोवियत संघ के साथ हमारी ओर 47.5 प्रतिशत और उसके आयात का 57.5 प्रतिशत पुनर्मूल्यन किया गया है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं तो अवमूल्यन से पहले उससे पूर्व के मूल्यों पर आयात किये गए माल की बात कर रहा हूँ। आयातकों ने उनका मूल्य अपने आप बढ़ा लिया है और मुझे बताया गया है कि राज्य व्यापार निगम ने इसका समर्थन किया है जबकि इसका कोई कारण नहीं है।

श्री मनुभाई शाह : जिस मामले में खरीदार ने विक्रेता को भुगतान नहीं किया है, स्वाभाविक है कि मूल्य बढ़ाना ही पड़ेगा। यदि भुगतान पुराने रुपए के अनुसार कर दिया गया है तो वृद्धि का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता; यदि ऐसे कोई मामले हैं और हमें बताया जाता है तो हम जांच करेंगे।

Shri Raghunath Singh: Since Indians are living in a very big number in Africa and South East Asia, do Government propose to keep liaison with them to expand our trade?

Shri Manubhai Shah: We do keep a very close liaison with them but this House is well aware that how the people of Indian origin are living in other countries. It will not be a realistic approach to expect from them expansion of our trade.

तीसरे दर्जे के रेल डिब्बों में भीड़-भाड़

* 694. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी** :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रेलगाड़ियों के तीसरे दर्जे के डिब्बों में अब भी बहुत भीड़-भाड़ रहती है; और

(ख) यदि हां, तो भीड़-भाड़ को दूर करने के लिये तथा रेलों में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को अधिक सुविधायें देने के लिये क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) लाइन की क्षमता और स्टाक के रूप में जो साधन उपलब्ध हैं, उनके अनुरूप मौजूदा गाड़ियों का चालन-क्षेत्र और उनमें डिब्बों की तादाद बढ़ाने के अलावा, अतिरिक्त गाड़ियां भी चलायी जा रही हैं। इनके अलावा सामयिक भीड़-भाड़ के दिनों में यातायात की निकासी के लिए स्पेशल गाड़ियां भी चलायी जाती हैं।

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : क्या तीसरी श्रेणी के टिकट बेचने की कोई सीमा है, क्योंकि तीसरी श्रेणी के डिब्बों में बहुत भीड़ होती है और कभी-कभी भीड़-भाड़ के कारण महिलाओं और बच्चों को चोट आ जाती है ?

डा० राम सुभग सिंह : टिकट बेचने की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। किन्तु अधिक भीड़-भाड़ की आशंका होने पर हम विशेष गाड़ियों की व्यवस्था करते हैं। वर्ष 1965-66 में यात्रियों की अधिक भीड़ को देखते हुए 2,035 विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की गई थी।

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : क्या मंत्रियों की सुविधाओं के सम्बन्ध में सरकार को यह पता है कि लम्बी यात्रा वाली रेलगाड़ियों में तीसरी श्रेणी के शयन यानों की बहुत आवश्यकता है ?

डा० राम सुभग सिंह : इस समय 113 अप, डाउन रेलगाड़ियों में तीसरी श्रेणी के शयन यानों की व्यवस्था की गई है। इनमें 605 यान बड़ी लाइन पर हैं, 376 डिब्बे छोटी लाइन पर हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : चूंकि बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के कारण भी भीड़ में वृद्धि होती है, अतः इन लोगों को तीसरी श्रेणी के डिब्बों में घुसने से रोकने के लिये क्या कार्य-वाही की जा रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों को रोकने के लिए एक विशेष दस्ते की व्यवस्था है और इस कार्य के लिये मजिस्ट्रेटों द्वारा जांच पड़ताल की जाती है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के सियालदाह सेक्शन के दक्षिण में पहले चलने वाले 8 डिब्बों को घटाकर 4 कर दिया गया है जिससे रेलगाड़ियों में बहुत अधिक भीड़ होने लगी है जिसके कारण आन्दोलन होते हैं और रेल सेवा अव्यवस्थित हो जाती है।

डा० राम सुभग सिंह : पश्चिम बंगाल में कुछ आन्दोलन हुआ था किन्तु इसका एक मात्र कारण यात्रियों की सुविधाएं ही नहीं है। यह सच है कि पश्चिम बंगाल में विभिन्न प्रकार के आन्दोलनों के कारण 72 डिब्बे जला दिये गये थे। इन डिब्बों के जल जाने से हमारे पास डिब्बों की कमी हो गई है। इसलिए हमने एक काम किया है। किन्तु डिब्बों की कमी के कारण किसी यात्री को रुकना नहीं पड़ेगा। हम पर्याप्त डिब्बों की व्यवस्था करेंगे। इसके साथ-साथ मैं सभा से तथा सभा के बाहर लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आन्दोलनों के दौरान रेलवे की सम्पति नहीं जलाई जानी चाहिए।

डा० रानेन सेन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय द्वारा अभी दिया गया उत्तर सभा को गुमराह करने वाला है। माननीय सदस्य ने दक्षिण क्षेत्र में बिजली से चलने वाली कम गाड़ियों के चलाये जाने के बारे में प्रश्न पूछा है। इस क्षेत्र में पहले बिजली से चलने वाली गाड़ियां नहीं चलती थीं और इस लाइन पर कोई डिब्बे नहीं जलाए गये थे। बिजली से चलने वाली आठ गाड़ियां चलाने के बजाय सरकार ने चार गाड़ियां चलाईं इसके परिणामस्वरूप इस

लाइन पर 50 प्रतिशत क्षमता की हानि हो रही है। इसका राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर देने के बजाय विषयान्तर करके राजनीति को बीच में ला रहे हैं और सभा को गुमराह कर रहे हैं। उन्हें प्रश्न का सीधा उत्तर देना चाहिए।

डा० राम सुभग सिंह : हमने ये समाचार कलकत्ता के अंग्रेजी के समाचारपत्रों में भी पढ़े। यह सच नहीं है कि जितने यात्री पहले वाले डिब्बों में यात्रा कर सकते हैं उतने इन डिब्बों में यात्रा नहीं कर सकते हैं। हम इस बात की व्यवस्था करेंगे कि किसी यात्री को स्थान की कमी के कारण न रुकना पड़े। हम उपयुक्त व्यवस्था करेंगे।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि तीसरी श्रेणी के डिब्बों में अधिक भीड़ कम करने के लिये अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। क्या सरकार को पता है कि दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक जाने वाली आसाम मेल में बहुत भीड़-भाड़ होती है और क्या इस गाड़ी में भीड़ को कम करने के लिए अतिरिक्त रेलगाड़ी चलाने अथवा उसे डीजल गाड़ी में परिवर्तित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

डा० राम सुभग सिंह : आसाम मेल 1964 में नई गाड़ी चलाई गई थी। यह काफी उपयुक्त सिद्ध हुई। किन्तु अभी बिजली अथवा डीजल से चलने वाली गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु दो अन्य गाड़ियों को डीजल से चलने वाली गाड़ियों में परिवर्तित किया गया है।

Shri Kashi Ram Gupta : On 15th August it was announced over the loudspeaker at Allahabad Station that passenger should not board on the roofs of trains as there were electric wire over it which might prove dangerous. It shows the seriousness of the problem of inadequate number of trains. Will this problem be solved during the Fourth Five Year Plan or it will remain even after that ?

Dr. Ram Subhag Singh : It was due to some other reasons, electrification work between Allahabad and Kanpur is in progress. The Calcutta-Bombay train is also electrified upto Allahabad. So far as the travelling on the roof is concerned, it is five years old story. No person was seen travelling on the roof during the Kumbha Mela last year.

Shri M. L. Varma : The Hon. Minister has stated that out of 600 trains, only 113 trains have the provision of sleeping coaches. What steps are being taken to provide third class sleeping coaches in remaining trains ?

Dr. Ram Subhag Singh : In the Fourth Five Year Plan 555 sleeping coaches on broad gauge and 550 sleeping coaches on metre gauge are likely to be provided.

Shri U. M. Trivedi : The Hon. Minister has just now stated that people did not travel on the roof, but recently while going from Gujarat to Ahmedabad I saw many people travelling on the roof from Kalol to Mehsana. Due to increase in the sleeping coaches in Pathankot Express from Bombay to Delhi and in Dehra Dun Express from Bombay to Delhi facilities for the third class passengers boarding from the ordinary intermediary stations have been reduced to the minimum. Keeping in view the fact that this problem can be solved, if three third class coaches are provided in each of these two trains and run them with diesel. May I know whether Government are considering this proposal ?

Dr. Ram Subhag Singh: A new train is to be introduced with effect from 2nd October between Ahmedabad and Mehsana in order to reduce the over crowding. Frontier Mail running from Bombay and Amritsar will be run with diesel with effect from 2nd October and three more coaches has been attached to this train. The Mail train running between Howrah and Amritsar will be dieselised from Moghalsarai to Amritsar and beyond that from Moghalsarai to Howrah it will be electrified. Three more coaches will be attached to this train.

Shri U. M. Trivedi: My question has not been answered. Once you say that tickets are booked from Bombay to Delhi only and from Delhi to Bombay only in the Frontier Mail, will you allow third class passengers to enter in the middle stations?

Dr. Ram Subhag Singh: It will be increased, if possible.

Shri Braj Bihari Mehrotra: May I know whether fans will be provided in third class compartments and whether it will be ensured that these will be in working order?

Dr. Ram Subhag Singh: Few third class compartments are not provided with fans. Only more than ten years old compartments do not have fans. We are providing fans in all the compartments.

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के कारखानों का विस्तार

*695. **श्रीमती रेणुका राय :**
डा० रानेन सेन :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के इस्पात कारखानों के विस्तार के बारे में विश्व बैंक से कोई समझौता हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या है ?

लोहा और इस्पात मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने अपने इस्पात कारखाने का 1 मिलियन टन से 1.3 मिलियन टन इस्पात पिण्ड प्रति वर्ष तक विस्तार करने के कार्यक्रम तथा फालतू पुर्जों और प्रतिस्थापन के लिए विदेशी मुद्रा की लागत की पूर्ति करने के लिए 7 जुलाई, 1966 को विश्व बैंक के साथ ऋण का एक करार किया है ।

जहां तक टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का सम्बन्ध है यद्यपि सरकार ने उन्हें प्रति वर्ष 2.00 मिलियन टन इस्पात पिण्डों का उत्पादन प्राप्त करने के लिए कुछ सहायक योजनाओं की विदेशी मुद्रा की लागत की पूर्ति करने के लिए विश्व बैंक के साथ ऋण के बारे में बातचीत करने की अनुमति दे दी है, ऋण के बारे में अभी बातचीत की जानी है ।

(ख) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा लिये गये ऋण के बारे में एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-**6926/66]

श्रीमती रेणुका राय : सभा-पटल पर रखे गये विवरण में यह नहीं बताया गया है कि विस्तार योजना में जो इस्पात बनाया जायेगा, क्या उसकी भारत के उत्पादन कार्यों में पूरी तरह खपत हो जाएगी अथवा क्या उसमें से कुछ का विदेशों को, जहां इस्पात में मन्दी चल रही है, निर्यात करना पड़ेगा।

श्री प्र० चं० सेठी : इस करार के सम्बन्ध में इन बातों के ब्योरे की कोई आवश्यकता नहीं हैं क्योंकि यह समझौता ऋण के सम्बन्ध में विश्व बैंक और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के बीच हुआ है। जहां तक पेटर्न का सम्बन्ध है, दोनों बातों को ध्यान में रखा गया है क्योंकि अब इस्पात के निर्यात को भी ध्यान में रखा जाता है।

श्रीमती रेणुका राय : क्या इस परिवर्तन और तरीके के कारण रोजगार के अवसर बढ़ेंगे अथवा इस युक्तीकरण से अवसर कम हो जायेंगे या कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ेगी।

श्री प्र० चं० सेठी : इस वर्ष उत्पादन 1 से बढ़कर 1.3 हुआ है। रोजगार अवसरों के बारे में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं कि क्या वास्तव में इससे रोजगार अवसर बढ़ेंगे।

श्रीमती रेणुका राय : क्या सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र के ब्योरों में नहीं जाती है। वह बिना परिणाम जाने ही कार्य करती है।

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : किसी कर्मचारी की छंटनी का कोई प्रश्न ही नहीं है।

डा० रानेन सेन : कुछ वर्ष भारत सरकार ने निर्णय किया था कि गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात की उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ायी जानी चाहिए और हम अब देखते हैं कि सरकार की गारंटी पर विश्व बैंक ने इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को विस्तार के लिए ऋण दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि इस्पात उद्योग का विस्तार हो रहा है जबकि औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार भारत सरकार को गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात-उत्पादन क्षमता बढ़ाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। क्या सरकार अपने निर्णय के प्रतिकूल गैर सरकारी क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र के वर्तमान कारखानों के विस्तार का सम्बन्ध है, यह औद्योगिक नीति संकल्प के अन्दर आता है। इससे उनके विस्तार की अनुमति देने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगता। इसीलिए उनके विस्तार की अनुमति दी गई है।

Shri Bhagwat Jha Azad: The Supplementary question of Shrimati Renuka Rai has not been answered properly, therefor, keeping in view the big guarantee given by the Government, may I know whether the steel will be produced for indigenous consumption or whether it will be produced for export?

Shri P. C. Sethi: No production pattern has been provided in the agreement. But it does not mean that no production pattern has been settled with them. It has already been decided. But I have not full information about the quantity to be exported and the quantity to be indigenously consumed.

Shri Bhagwat Jha Azad: Is it not a fact that this company, by taking such a big loan, for which Government has given guarantee, will export the steel instead of meeting the requirements of the country?

Shri T. N. Singh: Private and Public, both, sectors are producing steel for export as well as for indigenous requirements.

Shri D. N. Tiwary: There is demand of steel in national and international markets. May I know whether the Planning Commission have considered to produce such steel which is in great demand in the country instead of producing such steel which is to be exported at a loss by giving subsidy and if so what is its outcome?

Shri T. N. Singh: Public and Private, both, sectors should take this fact in view. I think it does not require much subsidy. I hope such situation may arise in future. But at the same time it is difficult to say that there will be no glut (more production) of any thing. Today there are steel gluts in England at various places.

Shri Raghunath Singh: Keeping in view the fact that we are importing steel plates for our shipyards at Cochin, may I know whether the Government propose to manufacture the steel plates required for the ships?

Shri T. N. Singh: We are increasing the production of steel plates. We are importing some special quality of steel plates which cannot be produced in the country to meet the entire indigenous demand.

अल्प सूचना प्रश्न संख्या
SHORT NOTICE Q. No.
रेलवे विद्युतीकरण परियोजना के कर्मकारों की छंटनी

+

अ०सू०प्र०सं० 18. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** **श्री मधु लिमये :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री उमानाथ : **श्री नि० चं० चटर्जी :**
श्री मुहम्मद कोया : **श्री रामसेवक यादव**
श्री बीरेन दत्त : **श्री अल्वारेस :**
डा० उ० मिश्र : **श्री नम्बियार :**
श्री कोल्ला वेंकैया : **श्री प० कुन्हन :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने रेलवे विद्युतीकरण परियोजना के कर्मकारों को बड़ी संख्या में

छंटनी किये जाने का आदेश दिया है ;

(ख) क्या छंटनी किये गये कर्मकारों को रेलवे के चालू लाइन निर्माण कार्यों (ओपन लाइन वर्क्स) में खपाने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ग) क्या यह सच है कि प्राधिकारियों से कोई उत्तर न मिलने पर विद्युतीकरण परियोजना के कर्मकारों ने कलकत्ता तथा अन्य स्थानों में भूख-हड़ताल आरम्भ कर दी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, नहीं। किन्तु रेलवे विद्युतीकरण परियोजना का काम समाप्त होने के कारण कर्मचारियों की संख्या कुछ कम कर दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रशासन द्वारा स्थिति का ठीक-ठीक स्पष्टीकरण दिये जाने पर भी, कुछ कर्मचारियों ने भूख-हड़ताल कर दी थी।

(घ) कानून और व्यवस्था की दृष्टि से इस मामले पर राज्य सरकार के असैनिक अधिकारियों का ध्यान दिलाया गया था।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच है कि रेलवे विद्युतीकरण परियोजना में लगे हुये 8,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी हो चुकी है तथा लगभग 7,000 की और छंटनी होने वाली है ? यदि हां, तो इस दृष्टि से कि रेलवे में साधारणतया हर साल 2 प्रतिशत यानी 26,000 के लगभग स्थान रिक्त होते हैं तथा इस दृष्टि से भी कि रेलवे मंत्रालय अपने प्रतिवेदन के अनुसार 38,000 नये स्थान बनाना चाहता है, तो रेलवे विद्युतीकरण परियोजना के कर्मचारियों की, जो रेलवे बोर्ड के कर्मचारी भी हैं, छंटनी क्यों की जा रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : यह सच नहीं है कि 8,000 व्यक्तियों की छंटनी की गई है। उन्होंने सम्भावित छंटनी का भी जिक्र किया। अगले छः महीनों में फालतू घोषित किये जाने वाले कर्मचारियों की अनुमानित संख्या इस प्रकार है : वर्क्स सुपरवाइजर्स—51; मटीरियल चैकर्स—62; कैजूयल लेबर 1,098। कुल योग 1,211। रेलवे में वर्षवार रिक्त होने वाले स्थानों पर नियुक्ति के लिये हम वर्ष वार छंटनी किये गये कर्मकारों को सुविधा देने की व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में रेलवे विद्युतीकरण परियोजना के कर्मकारों में फैले असन्तोष तथा विद्रोह को, जिसके कारण इलाहाबाद सैक्शन के कर्मचारी पिछली 25 तारीख से हड़ताल पर हैं तथा कलकत्ता में भी इस मांग को लेकर, कि छंटनी किये गये सभी कर्मचारियों को 'ओपन लाइन वर्क्स' में लगाया जाये, कर्मचारी हड़ताल करने जा रहे हैं, दृष्टिगत करते हुये क्या सरकार फिलहाल छंटनी नहीं करेगी तथा रेलवे विद्युतीकरण परियोजना के कर्मचारियों से मिलकर स्थिति का अनुमान लगायेगी जिससे इन छंटनी किये गये कर्मचारियों को फिर से काम पर लगाया जा सके ?

डा० राम सुभग सिंह : यह सब विद्युतीकरण कार्यक्रम पर निर्भर करता है। अभी 1,350 कि० मीटर की लाइनों पर काम चल रहा है, जिसमें से 480 कि० मीटर की हावड़ा—खड़गपुर लाइन को छोड़कर 875 कि० मीटर की लाइन का कार्य अगले 2 या 3 महीनों में पूरा हो जायेगा। काम न मिलने के कारण कर्मचारियों के फालतू होने की समस्या उत्पन्न हुई। कलकत्ता और इलाहाबाद में भूख-हड़तालें हुईं। अब कहीं भी भूख-हड़ताल नहीं हो रही है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : लेकिन हड़तालें तो अभी भी चल रही हैं।

डा० राम सुभग सिंह : हड़तालें तो हर जगह हो रही हैं, किन्तु मैंने कहा था कि भूख-हड़तालें कहीं नहीं हो रही हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि हावड़ा तथा इलाहाबाद खण्ड में तथा इलाहाबाद, कानपुर आदि स्थानों में भूख-हड़तालें केवल हड़तालों में बदल गई हैं ? क्या समस्या को बातचीत के द्वारा सुलझाने की अपेक्षा इलाहाबाद में कल और परसों लाठी-चार्ज हुआ है तथा इलाहाबाद और कानपुर दोनों स्थानों पर 60 श्रमिकों को पकड़ लिया गया है ? क्या मंत्री महोदय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे जिससे स्थिति पर उचित विचार किया जा सके ?

डा० राम सुभग सिंह : मुझे कानपुर या इलाहाबाद में लाठी-चार्ज की कोई सूचना नहीं मिली। मुझे भूख-हड़ताल की जानकारी थी जो अब समाप्त हो गई है। बातचीत का जहां तक सम्बन्ध है माननीय सदस्य स्वयं दक्षिण-पूर्वी रेलवे के मान्यता प्राप्त एक संघ के अध्यक्ष हैं और हम साधारणतया उचित स्तरों पर ही विधिवत् वार्त्ता करते हैं। कुछ प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने जो भी कागज़ात रेलवे मंत्रालय को भेजे, उन सबकी बड़ी सावधानी से छानबीन की गई है। हम कर्मचारियों की कठिनाइयों को कम करने का हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या वे प्रतिनिधि मण्डल से मिलेंगे ?.....

उपाध्यक्ष महोदय : वे कह चुके हैं कि कठिनाइयों को कम करने का हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह सुन चुका हूँ और मैं अंग्रेजी समझता हूँ। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि क्या वे कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल तथा प्रतिनिधियों को मिलेंगे ?

डा० राम सुभग सिंह : मुझे या वरिष्ठ मंत्री महोदय से मिलने में उनका स्वागत है।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : प्रश्न कठिनाई कम करने का नहीं है, क्योंकि यह तो एक पवित्र सूत्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।

सरकार के पास फालतू घोषित किये जाने वाले, सम्भावित छंटनी में आने वाले तथा रेलवे के चालू कामों में फिर से लगाये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या की सूचना होनी चाहिये।

सरकार 7,000 या 8,000 कर्मचारियों को एकाएक गलियों में तो नहीं पटक सकती । सरकार को किस हद तक समस्या को सुलझने की आशा है तथा क्या लोगों को काम पर लगाये जाने की सम्भावनाओं की जांच की गई है, जिससे वे एकदम बेरोज़गार न रहें ।

डा० राम सुभग सिंह : जी, हां । हमने इन कर्मचारियों के लिये रोज़गार की व्यवस्था करने की सभी सम्भावनाओं की जांच की है । अब तक 800 व्यक्तियों को चालू लाइन निर्माण में वैकल्पिक रोज़गार दिये गये हैं । हाल ही में सियालदह खण्ड में 400 छंटनी किये गये व्यक्तियों को वैकल्पिक अनियमित श्रमिक कार्य स्वीकार करने को कहा गया लेकिन उनमें से किसी ने भी यह प्रस्ताव अभी तक स्वीकार नहीं किया ।

सम्भवत: कुछ समय के बाद वे इसे स्वीकार करेंगे । हमने रेलवे के सभी क्षेत्रों तथा एककों से, रिक्त स्थान होने पर इन लोगों को काम पर लगाने के लिये कहा है ।

श्री उमानाथ: इन छंटनी किये गये कर्मकारों में कुछ इलैक्ट्रिकल फोरमैन, असिस्टेण्ट इलैक्ट्रिकल फोरमैन, सीनियर इलैक्ट्रिकल चार्जमैन, सीनियर ड्राफ्ट्समैन आदि जैसे तकनीकी लोग भी हैं । उनके नियुक्ति पत्रों में कहा गया है कि यद्यपि उनकी नियुक्ति विद्युतीकरण अनुभाग के लिये की गई है तथापि उन्हें दक्षिण पूर्वी रेलवे या पूर्वी रेलवे में दूसरे रिक्त स्थानों पर भी नियुक्त किया जा सकता है । किन्तु नियुक्ति आदेश में यह सब व्यवस्था होने के बावजूद भी जब छंटनी के बाद उनकी नियुक्ति की गई तो उनकी पिछली सारी सेवायें रद्द कर दी गईं तथा नये सिरे से निम्नतम वेतन दरों में उनकी नियुक्ति दिखाई गई है । कुछ लोग तो 7 साल तक की सेवाओं से वंचित कर दिये गये । छंटनी करने की अपेक्षा उन्हें सीधे दक्षिण पूर्वी रेलवे में क्यों नहीं स्थानान्तरित किया गया; क्योंकि छंटनी से तो उन्हें पिछली सेवाओं से हाथ धोना पड़ता है ?

डा० राम सुभग सिंह : उनमें से कुछ को यह सुविधा दी गई है तथा दक्षिण पूर्वी रेलवे में नियुक्त किया गया है ।

श्री उमानाथ : श्रीमान, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । छंटनी या फिर से नियुक्त करने की अपेक्षा उन्हें स्थानान्तरित क्यों नहीं किया गया ? वह इस प्रश्न का उत्तर दें ।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय सदस्य ने कुछ शर्तें बताई हैं । हम उन शर्तों का पालन कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त हम उन्हें कुछ नई सुविधायें दे रहे हैं ।

श्री उमानाथ : श्रीमान, मैं एक व्यवस्था के प्रश्न पर उठ रहा हूँ । मैंने एक विशेष प्रश्न पूछा था, जिसका उत्तर नहीं आया ।

डा० राम सुभग सिंह : सम्भवत: ये कागज़ात रेलवे के समक्ष सही रूप में नहीं रखे गये । यदि कोई इस प्रकार की व्यवस्था या शर्त है, तो हम उसका पालन करेंगे ।

Shri Madhu Limaye: Twofold retrenchment is going on in Railway Department at present. Ever since the Government took up these two projects of Electrification and Diesclisation there has been retrenchment in factories which manufacture Engines and are run with Steam Power, resultantly. As we find in case of Jamalpur workshop where there were 21,000 workers before and are only 13,000 workers at present. I would like to know from the Hon. Minister whether he will chalk out the plans from 20–25 years during his tenure of office, under which there will be no retrenchment and all will be provided jobs ? Do Government propose to take up such schemes ?

Dr. Ram Subhag Singh: Schemes of Electrification and Dieselisation are formulated within the Five Year Plans. We chalk out these two schemes proportionately in accordance with the amount allotted in a Five Year Plan for the Railway Department. We certainly take into consideration the prospects of coming 20–25 years. There are such conditions in Jamalpur but we have to take into consideration the facilities that are provided to passengers also after introduction of Diesel Engine. Therefore, the staff that is declared surplus from amongst those who are working with Steam Engines, there is provision for absorbing them in this Diesel plant.

श्री नम्बियार : क्योंकि ये हजारों कर्मकार 1954 से पिछले 12 सालों में काम करते आ रहे थे, क्या सरकार इस दृष्टि से इन्हें उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी रेलवे के वर्कशाप्स और लोको-शेड्स में साधारणतया खाली होने वाले स्थानों पर नियुक्त करेगी ?

डा० राम सुभग सिंह : यह तो मैं पहिले ही बता चुका हूँ। वे 'सम्भावित' रिक्त स्थानों पर नियुक्त किये जायेंगे। 'सम्भावित' शब्द का अर्थ माननीय सदस्य को समझ लेना चाहिये।

श्री हेम बरुआ : जब रेलवे विद्युतीकरण विभाग के कर्मकारों की मांग है कि छंटनी किये गये कर्मकारों को विना कोई हानि पहुँचाये रेलवे के दूसरे विभागों में काम पर लगाया जाये, तो सरकार ने समस्या के इस पहलू पर अब तक विचार क्यों नहीं किया, यद्यपि ये कर्मकार 1954 से अनियमित श्रमिक ही रहे, जोकि एक बहुत बुरी बात है ?

डा० राम सुभग सिंह : वही सब कुछ हम कर रहे हैं। जैसा मैं कह चुका हूँ कि कुल 4,000 में से 800 को काम पर लगा लिया गया और 400 को काम पर लगाने का प्रस्ताव किया गया। कुल योग, जैसा कि श्री दीनेन भट्टाचार्य ने बताया, 8,000 नहीं है। फिर सम्भावित छंटनी भी 9,000 या 10,000 नहीं होगी जैसा कि प्रधानमंत्री को भेजे गये अभ्यावेदन में बताया गया है, अपितु लगभग 1,200 है जैसा कि मैं सभा में बता चुका हूँ।

श्री नम्बियार : यह संख्या 5,200 है न कि 1,200।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सहायक उद्योगों सम्बन्धी उप-समिति

*696. **श्री मौर्य :** **श्री चांडक :**
श्री बागड़ी : **श्री पाराशर :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **डा० चन्द्रभान सिंह :**
श्री बड़े : **श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :**
श्री वाडीवा : **श्री शिवदत्त उपाध्याय :**

क्या **उद्योग** मंत्री 6 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1522 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायक उद्योगों सम्बन्धी उप-समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ; और

(ग) प्रतिवेदन के कब दिये जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) से (ग). सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-6927/66]**

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर

*697. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर स्थित घड़ियों का कारखाना केवल अपनी 50 प्रतिशत क्षमता से ही काम कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) इसकी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिये क्या उपाय किए गए हैं ?

उद्योगमंत्री (श्री संजीवैया) : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०, बंगलौर का घड़ी कारखाना इस समय अपनी 75 प्रतिशत क्षमता से काम कर रहा है।

(ख) आवश्यक कच्चे माल और पुर्जों के आयात के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध न होना।

(ग) सम्पूर्ण रूप से उपलब्ध साधनों तथा साथ ही मांग की प्राथमिकता को देखते हुए कारखाने के लिए नियत की जाने वाली विदेशी मुद्रा में वृद्धि करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं जिससे कारखाना अपना उत्पादन बढ़ा सके ।

Derailment of Madras-Howrah Express

*698. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Sonavane :
Shri Raghunath Singh :
Shri Tula Ram :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri D. B. Raju :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Ram Harakh Yadav :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Madras-Howrah Express got derailed along with its engine at Marampalli Railway Station (Southern Rly.) on the 30th May, 1966 ;

(b) whether it is also a fact that two persons were injured as a result thereof ;

(c) the causes of the accident ; and

(d) the action taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) The tender of the train engine and 9 bogies following it got derailed.

(b) Yes, Sir.

(c) The accident was due to the failure of railway staff.

(d) Suitable disciplinary action is being taken against the staff held responsible for the accident.

राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात

*699. **डा० म० मो० दास :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा किये जा रहे निर्यात का मूल्य 1963-64 में 38.62 करोड़ से घट कर 1965-66 में 16.74 करोड़ रुपये रह गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जहां निर्यात तो काफी कम मूल्य का हुआ है, वहां राज्य व्यापार निगम द्वारा किये गये आयात का मूल्य 1963-64 में 55.93 करोड़ रुपये से बढ़कर 1965-66 में 79.83 करोड़ रुपये हो गया है और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या राज्य व्यापार निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य देश के निर्यात व्यापार को बढ़ाना है और यह उद्देश्य किस हद तक पूरा हुआ है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ). एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी**-6928/66]

बोकारो परियोजना के लिये भर्ती

*700. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्री दलजीत सिंह :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :**

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी औद्योगिक कारखानों के मार्ग-दर्शन के लिये भर्ती प्राथमिकता से निर्धारित करने के बारे में बिहार सरकार द्वारा बनाये गये 'आदर्श (माडल)' आदेश की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या बोकारो इस्पात परियोजना के लिये कर्मचारियों की भर्ती करने के तरीके के बारे में बिहार के प्रमुख व्यक्तियों की बढ़ती हुई नाराजगी पर सरकार ने ध्यान दिया है; और

(ग) क्या सरकार ने भर्ती प्राथमिकताओं के बारे में विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों को सुझाव दिये हैं ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, नहीं। ऐसा ज्ञात हुआ है कि बिहार सरकार ने ऐसे कोई 'आदर्श आदेश' नहीं बनाये हैं।

(ख) और (ग). सार्वजनिक क्षेत्र में भारत सरकार के सभी उपक्रमों में भर्ती की एक जैसी नीति है। 14 अप्रैल, 1961 को सभा-पटल पर रखे गये एक नोट में इस नीति की घोषणा की गई थी। बोकारो स्टील लि० भर्ती के बारे में इस नीति का पालन कर रहे हैं। जैसा कि निर्दिष्ट है सभी प्रवरण-समितियों में बिहार सरकार का भी एक प्रतिनिधि रखा जाता है।

कोयले का मूल्य

*701 **श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अथवा कोयला बोर्ड ने कोयले के मूल्यों में परिवर्तन के बारे में विचार करने के लिये कोई समिति नियुक्त की है और यदि हां तो यह समिति कब नियुक्त की गई थी;

(ख) इस समिति की नियुक्ति के कारण क्या हैं और इसके सदस्य कौन-कौन हैं ;

(ग) क्या इस समिति ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) इन सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) भारत सरकार ने 26 मार्च, 1966 को एक अध्ययन समूह बनाया जिसे :

(1) कोयला मूल्य पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों की वर्तमान परिस्थितियों में समीक्षा करना तथा

(2) कोयले की कीमतों की पुनरीक्षा की आवश्यकता की जांच करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

(ख) जिन परिस्थितियों में सी० पी० आर० सी० (1958) ने अपनी सिफारिशें की थीं वह काफी बदल चुकी हैं। अतः अध्ययन समूह को नियुक्ति करके समीक्षा करना आवश्यक समझा गया। समूह के सदस्य निम्न हैं :

श्री ए० बी० गांगुली, अध्यक्ष, कलकत्ता स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन, कलकत्ता	—	अध्यक्ष
श्री के० एस० भंडारी, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।	—	सदस्य
श्री ए० सी० बोस, कोयला नियंत्रक,	—	सदस्य
श्री ए० बी० गुहा, पूर्व मंत्रणाकार, योजना आयोग।	—	सदस्य
श्री के० के० दर, उप-सचिव, खान तथा धातु मंत्रालय	—	सदस्य सचिव

(ग) अध्ययन-समूह ने अभी तक अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत नहीं किया है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

इस्पात संयन्त्र

*702. **श्री पें० वेंकटासुब्बय्या :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा स्थापित की जाने वाली क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए योजना आयोग ने सरकारी क्षेत्रों में पांचवा और छठा इस्पात संयंत्र स्थापित करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख). यह फैसला किया गया है कि सरकारी क्षेत्र में पांचवां और छठा इस्पात कारखाना लगाते समय हैवी इंजीनियरिंग

कारपोरेशन तथा अन्य प्रायोजनाओं की मशीनें बनाने की उपलब्ध क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाएगा ।

पाकिस्तान को किये गये निर्यात की रकम की वसूली

*703. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 11 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 494 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान को किये निर्यात से आय की बकाया राशि को उस देश से वसूल करने के लिये क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : इस समय पाकिस्तान से प्राप्त 126.49 लाख रुपये की राशि में से 60 प्रतिशत राशि भारत के राज्य बैंक में नैशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के जमा शेष के विरुद्ध समायोजित की जा रही है । सरकार को शेष 40 प्रतिशत का भुगतान शत्रु सम्पत्ति के अभिरक्षक द्वारा, जिसने नैशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की आस्तियां तथा दायित्व सम्भाल लिये हैं अनुपाती दर के आधार पर किया जायेगा ।

Wages of Labourers in Bhilai

*704. **Shri Bade** : **Shri Onkar Lal Berwa** :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Kashi Ram Gupta** :

Will the Minister of **Iron and Steel** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that labourers in the Bhilai Steel Plant Factory are paid daily wages at the rate of Rs. 1.75 ;

(b) whether it is also a fact that the regular workers of the same factory doing the same job are paid wages at the rate of Rs. 135 per month ; and

(c) if so, the reasons for the low rate of wages in the case of workers employed on daily wages in the Government undertakings ?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh) : (a) to (c). It is a fact that the casual workers on daily wages engaged on Nominal Muster Roll by the Bhilai Steel Plant are paid wages at the rate of Rs. 1.75 per diem. The wages for such casual labour are based on the minimum wages for such labour fixed by the Madhya Pradesh Government.

The wages of permanent and temporary employees on the operation side are regulated by Agreements with the recognised union based on the recommendations of the Iron and Steel Wage Board. Similarly, the wages of the regular employees on construction side are also regulated by Agreement with the recognised union. At present, the total emoluments inclusive of basic salary and dearness allowance of the lowest unskilled worker covered by these Agreements is Rs. 135/- per month.

निर्यात-प्रधान कताई मिल

*705 **श्री वासुदेवन नायर** : **श्री प्रभात कार** :
श्री वारियर : **श्री कपूर सिंह** :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में प्रस्तावित निर्यात-प्रधान कताई मिलें स्थापित

करने के लिये कोई ठोस कार्यवाही करनी आरम्भ कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो ये मिलें किन स्थानों पर खोलने का निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी): (क) जी, हां ।

(ख) यह मामला अभी विचाराधीन है कि निर्यात-प्रधान कताई मिलें किन स्थानों पर स्थापित की जायें ।

फ्रांस द्वारा भारतीय रेल डिब्बों आदि की खरीद

*706 **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह:**

श्री प्र० चं० बरुआ:

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने फ्रांस की अपनी हाल की यात्रा के दौरान फ्रांस द्वारा भारत से रेल के डिब्बे आदि खरीदे जाने की संभावना के बारे में बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में फ्रांस की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) फ्रांस द्वारा भारत से कितने मूल्य के रेल के डिब्बे आदि खरीदे जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी, हां ।

(ख) फ्रांस सरकार इस सुझाव पर विचार करने को सहमत हो गई है ।

(ग) अभी इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

कोयले की ढुलाई

*707. **श्री रामेश्वर टांटिया**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयला सलाहकार परिषद की मई, 1966 में हुई दूसरी बैठक में कोयले की ढुलाई के सम्बन्ध में दिये गये सुझावों पर विचार कर लिया है; और

(ख) कोयले के प्रेषकों और उसे प्राप्तकर्ताओं को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ): (क) और (ख). बैठक में जो सदस्य उपस्थित थे उन्होंने तरह-तरह के सुझाव दिये और विचार प्रकट किये; किन्तु यह निर्णय किया गया कि परिवहन, वितरण और नियंत्रण से सम्बन्धित सभी मामले परिवहन, वितरण और नियंत्रण की स्थायी समिति के सुपुर्द कर दिये जायं । इस समिति का गठन इसी बैठक में हुआ था । स्थायी समिति की पहली बैठक 2 अगस्त, 1966 को हुई । इस बैठक के कार्यवृत्त की प्रतीक्षा की जा रही है ।

2. खान और धातु मंत्री, जिन्होंने बैठक की अध्यक्षता की, ने रेल मंत्रालय के विचारार्थ कुछ सुझाव रखे, जो इस प्रकार हैं:

(i) साफ्ट कोक की ढुलाई को उच्चतर अग्रता दी जाये ।

(ii) साफ्ट कोक के भाड़े में कमी की जाये, खासकर उस हालत में जब यह अधिक दूर भेजा जाता है ।

3. इन प्रस्तावों पर विचार किया गया है । जहां तक रेलों का सम्बन्ध है, साफ्ट कोक की ढुलाई के लिए उच्चतर अग्रता देने का कोई औचित्य नहीं है । जहां तक दूसरे सुझाव का सम्बन्ध है निश्चित प्रस्ताव मिलने पर रेलवे साफ्ट कोक के भाड़े में छूट देने के प्रश्न पर विचार कर सकती है बशर्ते साफ्ट कोक बी ओ एक्स माल डिब्बों के ब्लाक रेक में और ऐसे क्षेत्रों में भेजा जाये जहां अभी वह नहीं भेजा जाता । इन प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

कच्छ में लिग्नाइट के निक्षेप

*708 **श्री दे० जी० नायक :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री बृजबासी लाल**
श्री पन्ना लाल :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जर्मनी के भू-गर्भवेत्ताओं के एक दल ने कच्छ (गुजरात) क्षेत्र में लिग्नाइट के निक्षेपों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) और (ख). जर्मन विशेषज्ञों के एक समूह ने कच्छ के लिग्नाइट निक्षेपों का दौरा किया जिससे इन निक्षेपों के खनन सम्बन्धी सम्भावनाओं तथा उनके उपयोग का अध्ययन किया जा सके । उन्होंने कोई सर्वेक्षण नहीं किया परन्तु लिग्नाइट सर्वेक्षण पर उपलब्ध पहली तकनीकी रिपोर्टों के अध्ययन के बाद उन्होंने सिफारिश की है कि एक शक्यता अध्ययन तथा उसके बाद परियोजना रिपोर्ट बनाई जाए ।

(ग) विषय गुजरात सरकार के विचाराधीन है ।

पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की सम्पत्ति

*709. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे पाकिस्तानी राष्ट्रजन, जो भारत-पाकिस्तान संघर्ष के पश्चात् अपने देश को लौट गये हैं, पश्चिमी बंगाल में अपनी सम्पत्ति को बेचने के लिये गैर-कानूनी तरीके अपना रहे हैं;

(ख) क्या शत्रु सम्पत्ति के अधिरक्षक ने पश्चिम बंगाल सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार से क्या उत्तर मिला है और उन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). संदेह है, कि पाकिस्तानी राष्ट्रजनों द्वारा पश्चिमी बंगाल में अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के कुछ सौदे किये गये हैं। ये पश्चिमी बंगाल सरकार के ध्यान में लाये गये हैं और उसके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

मैसर्स यूनियन कार्बाइड

*710. **श्री रामसेवक यादव :**
श्री मधु लिमये :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैटरी के सैलों और टार्चों के मामले में मैसर्स यूनियन कार्बाइड को प्राप्त वस्तुतः एकाधिकार के परिणामस्वरूप इस फर्म द्वारा किये जाने वाले शोषण तथा परिणामतः फुटकर व्यापारियों और उपभोक्ताओं को होने वाली कठिनाई की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस फर्म की इस प्रकार की वितरण नीति की जानकारी है कि उनकी ऐसी चीजों की बिक्री को, जिनकी मांग नहीं है, जैसे 'मैजिक डोर आई' को देहाती क्षेत्रों में और 'गैस लाइट मैंटलों' को शहरी क्षेत्रों में, 'एवरेडी' बैटरी सैल, जिनकी मांग बहुत अधिक है, इस शर्त पर सप्लाई करके कि वे उसके साथ दूसरा माल भी खरीदें, बढ़ाया जाये; और

(ग) यदि हां, तो क्या बाजार से यूनियन कार्बाइड के एकाधिकार को तोड़ने तथा प्रतियोगिता को बढ़ावा देने की दृष्टि से सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में ऐसे कारखाने लगाने अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में बैटरी सैल बनाने वाले अतिरिक्त कारखानों की मंजूरी देने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) मैसर्स यूनियन कार्बाइड के पास कोई एकाधिकार नहीं है तथा यह कमी उनके उत्पादन के अंश का रक्षा तथा निर्यात के लिए उपयोग में आना है। मैसर्स यूनियन कार्बाइड के अलावा मैसर्स एस्ट्रेला बैटरीज भी सूखी बैटरियों का निर्माण कर रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) मैसर्स यूनियन कार्बाइड (इंडिया) लि० तथा मैसर्स एस्ट्रेला बैटरीज के अलावा दो अन्य कारखानों को भी लाइसेंस दे दिये गये और तीन कारखानों के लिए 5,865 लाख संख्या की कुल स्थापित क्षमता के लिए आशय-पत्र दे दिए गए हैं। अतः सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में कोई भी कारखाना स्थापित करने का नहीं है।

जैसलमेर में फास्फेट के निक्षेपों का पाया जाना

*711 **श्री पन्ना लाल**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बृजवासी लाल :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जैसलमेर (राजस्थान) में पाकिस्तान की सीमा से लगते हुए क्षेत्र में फास्फेट राक के बड़े निक्षेप पाये गये थे; और

(ख) यदि हां तो उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां, महोदय ।

(ख) इस निक्षेप को प्राथमिकता देकर भारतीय भौमिकी विभाग अन्वेषण कर रहा है क्योंकि इसका काफी महत्व है ।

अखबारी कागज का आयात

*712. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री 22 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4250 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा स्कैन्यूज एसोसिएशन आफ स्टाकहाम, स्वीडन के साथ किये गये करार के अनुसार अखबारी कागज की शीटों का संविदात्मक लागत बीमा-भाड़ा मूल्य 60 पौंड (802.80 रुपये) प्रति मीट्रिक टन था;

(ख) क्या इस मूल्य में निर्यात पैकिंग का खर्च भी शामिल था और यदि हां, तो इसके लिये खरीदारों को तीन प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य क्यों देना पड़ता था;

(ग) क्या यह सच है कि मुख्य नियन्त्रक ने बताया है कि संविदात्मक मूल्य 825 रुपये प्रति मीट्रिक टन था किन्तु वाणिज्य सचिव ने 22.20 रुपये की वृद्धि का कारण विनिमय दरों में उतार चढ़ाव होना बताया है और उन्होंने स्वयं भाड़े के तौर पर मूल्य में (3 प्रतिशत) वृद्धि किया जाना उचित ठहराया है; और

(घ) लाइसेंस प्राप्त लोगों को ठगने के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्य-वाही करने का विचार किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ). 1962-63 में अखबारी कागज की रीलों तथा शीटों के संभरण के लिये राज्य व्यापार निगम ने स्कैन्यूज एसोसिएशन आफ स्टाकहाम, स्वीडन के साथ एक संविदा की थी और अखबारी सीटों का मूल्य 60 पौंड प्रति मीट्रिक टन था । संविदा के अनुसार खरीददार को रीलों पर 7 पौंड प्रति मीट्रिक टन की छूट मिली हुई थी और यह भी व्यवस्था की गई थी कि रीलों की अपेक्षा शीटों का मूल्य 7 पौंड प्रति मीट्रिक टन अधिक होगा जिसके परिणामस्वरूप रीलों पर दी गई छूट बराबर हो जायेगी । इसके

अतिरिक्त, चूंकि मूल्य केवल कुल असल वजन के आधार पर कूता गया था, इसलिये धड़ा आदि निकालने के लिये रीलों तथा शीटों दोनों के लाईसेंस मूल्य में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। फिर भी बाद में यह ज्ञात हुआ कि इस 3 प्रतिशत वृद्धि की शीटों के मामले में वास्तव में आवश्यकता नहीं थी। विशिष्ट शिकायतों के सन्दर्भ में 3 प्रतिशत की इस वृद्धि के परिणामस्वरूप लाइसेंस प्राप्त लोगों को ठगे जाने के प्रश्न की जांच की गई थी और यह पाया गया था कि एजेंट ने लाइसेंस प्राप्त लोगों से राज्य व्यापार निगम, जो उपभोक्ताओं को अखबारी कागज का प्रत्यक्ष रूप से सम्भरण भी कर रहा था, द्वारा उपर्युक्त नियत मूल्य की अपेक्षा केवल 6 रु० प्रति मी० टन अधिक लिया था। इससे स्पष्ट है कि अधिक मूल्य लेने का लाइसेंस में दी गई 3 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि, जो 25 रु० प्रति टन तक थी, के साथ कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। कुछ एजेन्टों द्वारा दिये गये बिलों से यह भी पता चला है कि स्टाकहाम की स्कैन्यूज एसोसिएशन तथा राज्य व्यापार निगम के मध्य हुई संविदा में दिये गये मूल्य के लिये ही साख-पत्र खोला गया था और जहां तक लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति का सम्बन्ध है वहां मूल्य की वृद्धि करने में अवैध लाइसेंस मूल्य का कोई लाभ नहीं उठाया गया है।

अत्यावश्यक वस्तुएँ

*714. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जन-साधारण के लिये जो वस्तुएं आवश्यक मानी गई हैं क्या उनकी सूची बनाई गई है;

(ख) क्या इन वस्तुओं को उचित मूल्य पर दिलाने के लिये स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार की कोई योजना और कार्यक्रम है;

(ग) इस सम्बन्ध में अगले दो वर्षों में क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) जनवरी, 1965 से अब तक प्रति महीने इन वस्तुओं के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (घ). एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6929/66]**

गोधरा तथा लुनावडा के बीच रेलवे पटरी का उखाड़ा जाना

*715. **श्री उ० मू० त्रिवेदी :** **श्री बड़े :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
श्री युद्धवीर सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे पर गोधरा-लुनावडा सैक्शन पर पटरी उखाड़ने का निर्णय किया गया है;

(ख) क्या ताल्लुक पंचायतों तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के विचारों पर ध्यान दिया गया है ; और

(ग) क्या उसके विरुद्ध लुनावडा, दोहद, गोधरा, झालोद तथा शहरा ताल्लुकों से उस प्रस्ताव के विरुद्ध बड़े अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) गोधरा-लुनावडा छोटी लाइन खण्ड को उखाड़ने के तथाकथित प्रस्ताव के विरुद्ध, उस क्षेत्र की जनता की ओर से बहुत से अभ्यावेदन मिले हैं, लेकिन फिलहाल इस खण्ड को उखाड़ने का कोई विचार नहीं है ।

आसाम में कोयला खानों के लिये नियतन

*716 **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला नियंत्रक ने, आसाम में कोयला खानों के लिये नियतन करने के लिये हाल ही में बुलाई गई एक बैठक में, उनके नियतनों में बहुत अधिक कटौती कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अब किये गये नियतन गत तीन वर्षों में विभिन्न खानों के वास्तविक उत्पादन की तुलना में कैसे हैं ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री० सु० कु० डे) : (क) और (ख). 23-4-66 को शिलांग में हुई एक मीटिंग में कोल कंट्रोलर ने राज्य सरकार एवं विभिन्न उत्पादन एककों के परामर्श से विभिन्न कोयला कम्पनियों के आवंटन की समीक्षा की । कोयला मांग की प्रवृत्ति को देखते हुए तथा कोयला लेने में असंतुलन को बचाने के उद्देश्य से वर्तमान आवंटनों को पुनरीक्षित किया गया ।

(ग) आसाम की विभिन्न कोयला कम्पनियों द्वारा पिछले तीन वर्षो में किए गए उत्पादन और 1966 में उनके आवंटनों का एक विवरण सदन के समक्ष रखा जा रहा है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-6930/66]**

भिलाई इस्पात संयंत्र में इंजीनियरों की छंटनी

*717. **श्री मधु लिमये :** **श्री किशन पटनायक :**
श्री ही० ना० मुकर्जी : **डा० राम मनोहर लोहिया :**

क्या लोहा और इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में भिलाई में 19 इंजीनियरों की छंटनी की गई और

उन्हें औसत से कम स्तर का पाया जाने के कारण सेवा के लिये अयोग्य घोषित कर दिया गया ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कारण सम्बन्धित इंजीनियरों को बता दिया गया था और क्या उन्हें अपने बारे में स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया गया था; और

(ग) क्या उन्हें अन्यत्र और कोई नौकरी दी जा रही है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) भिलाई इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों ने निर्माण कार्य में लगे हुए 19 इंजीनियरों को 15 जुलाई, 1966 से नौकरी से अलग करने के लिए नोटिस दिये थे । यह कदम इसलिए उठाया गया था कि निर्माण का काम उत्तरोत्तर कम हो रहा था और ये इंजीनियर भिलाई की आवश्यकता से अधिक थे और इसलिए नहीं कि वे अयोग्य थे ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भिलाई में निर्माण कार्य में लगे हुये पर्यवेक्षी कर्मचारी वर्गों को जिनमें इंजीनियर भी शामिल हैं दूसरी नौकरियां प्राप्त करने के लिए यथेष्ट अवसर दिये गये और दिये जा रहे हैं । वास्तव में उन्नीस में से दो इंजीनियरों को कोयला शोधनशाला प्रायोजना में नौकरी मिल गई है । राष्ट्रीय खनिज विकास निगम बैलाडिला ने एक इंजीनियर को नौकरी के लिए चुना है और उसे दो वेतन वृद्धियां पेशगी देने की पेशकश की परन्तु उसने यह पेशकश ठुकरा दी ।

Payment of Penalty to Messrs. Amin Chand Pyare Lal and associated firms

*718. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Iron and Steel** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Messrs. Amin Chand Pyare Lal and other firms associated with them have realised heavy amounts as penalty from Government and Hindustan Steel Limited at times ;

(b) if so, the nature of each such case and the amount of penalty paid to the firms, separately ; and

(c) whether any punishment has been given to the defaulting officials ?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Supply of Billets to Mills

3388. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of **Iron and Steel** be pleased to state :

(a) the number of re-rolling mills in Bihar ;

(b) the number of mills out of these which are being supplied billets together with the quantity thereof and the terms on which these billets are supplied ; and

(c) the reasons for not supplying these billets to the remaining mills and the steps taken by Government to supply the same to them according to their requirements?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh) : (a) The number of re-rolling mills in Bihar is as follows :

Secondary Producers ..	.. 1
Scrap Re-rolling mills registered with Iron and Steel Controller ..	.. 3
Small scale Re-rolling mills registered by the State Government ..	.. 8

(b) During the year 1965-66, 16,210 tonnes of billets were supplied to the secondary producers located in the State.

(c) Billets are allocated by Iron and Steel Controller only to registered billet re-rollers and as no Registered Billet re-rolling Mill has been established so far in the State, the question of supply of billets to any other unit does not arise.

Passenger Amenities at Railway Stations

3389. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the fact that there are no adequate arrangements for waiting rooms, drinking water, electricity and bath-rooms at Railway Stations on the Bakhtiyarpur-Rajgir Section of the Eastern Railway ;

(b) whether there is neither light nor water in most of the compartments of the trains on this Railway line ;

(c) whether it is a fact that the fans in first class compartments constantly remain out of order and they have no cushions and that no attention is paid towards cleaning them ;

(d) whether it is also a fact that the trains never run in time due to defects in engines ; and

(e) if the reply to parts (a) to (d) above be in the affirmative, the steps being taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No. Waiting rooms, drinking water and bath-room arrangements available on this section are considered adequate. Out of nine stations on this section seven station are already electrified and the electrification of remaining two is under consideration.

(b) No. Light and water are provided in train compartments. Train watering arrangements exist at Bakhtiyarpur and arrangements for installation of a battery charging set there are also being made.

(c) No. Regular attention is paid to the up keep and maintenance of fans, and cleaning of cushions.

(d) No. Percentage of trains losing time on loco account is very small and the over all punctuality of trains is more than 95%.

(e) Does not arise.

केरल में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना

3390. **श्री इम्बीचिबावा :**

श्री अ० क० गोपालन :

श्रीमती मैमूना सुल्ताना :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना स्थापित किया है :

(ख) यदि हां, तो उसमें उत्पादन कब आरम्भ हो गया था ; और

(ग) 1965-66 में उसमें कुल कितना उत्पादन हुआ था तथा उसमें कितने व्यक्ति काम कर रहे थे ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया): (क) जी, हां।

(ख) परीक्षण के रूप में उत्पादन अक्टूबर 1964 में और व्यापारिक उत्पादन अप्रैल 1965 में शुरू किया गया था।

(ग) 331 मशीनें जिनका मूल्य 132 लाख रुपया है। 31 मार्च, 1966 को कर्मचारियों की संख्या 2026 थी।

सामग्री आयोजन विभाग

3391. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **संभरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामग्री आयोजन के नये विभाग के मामलों का अध्ययन करने तथा उसके संगठन के तरीकों के बारे में सुझाव देने के लिये नियुक्त की गई पांच सदस्यीय समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संभरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन मंत्री (श्री कोत्ता रघुरामैया): (क) और (ख). सामग्री नियोजन समिति, जिसकी सदस्यता बढ़ाकर 10 कर दी गई थी, का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। समिति ने तांबे और रबड़ के मांग-लक्ष्य और देशी प्राप्यता को ध्यान में रखते हुये 1970-71 तक प्रति वर्ष के लिये इन पदार्थों की आयात आवश्यकताओं के पूर्वानुमानित अनुमान दिये हैं। समिति ने सामग्री नियोजन विभाग को सौंपे गये काम को करने के लिये जरूरी संगठनीय ढांचे के बारे में भी सिफारिशें की हैं।

समिति द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के परीक्षणाधीन हैं।

केरल में रबड़ की खेती

3392. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में रबड़ के छोटे बागानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सहकारी समितियां स्थापित करके उन्हें मिलाने का कोई कार्यक्रम है ; और

(ग) यदि हां, तो यह मामला इस समय किस अवस्था में है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) . छोटे उत्पादकों के कार्यों के समन्वयन के लिये सहकारी समितियों की स्थापना को रबड़ बोर्ड प्रोत्साहित कर रहा है । अभी तक ऐसी 150 सहकारी समितियों का गठन किया गया है, अगले वर्ष के दौरान लगभग पचास और समितियों के स्थापित हो जाने की आशा है ।

भुसावल जाने वाली मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना

3393. **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बृजवासी लाल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 जुलाई, 1966 को भुसावल जाने वाली मालगाड़ी मध्य/उत्तर रेलवे के जबलपुर-इलाहाबाद सेक्शन पर ऊंचडीह और मांडा रोड रेलवे स्टेशनों के बीच पटरी पर से उतर गई थी; और

(ख) यदि हां, तो जान और माल की कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) 11.7.66 को अप भुसावल स्पेशल मालगाड़ी उत्तर रेलवे के मुगलसराय-इलाहाबाद खंड पर ऊंचडीह और मेजा रोड स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गयी थी ।

(ख) किसी की मृत्यु नहीं हुई । रेल सम्पत्ति को लगभग 22,150 रुपये की क्षति पहुँची ।

निर्यात करार

3394. **श्री राम हरख यादव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात करारों के बीजक मूल्य बढ़ा दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस आदेश का क्या प्रभाव होगा ; और

(ग) इससे निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) जी, हां। भारत सरकार ने निर्यातकों को सलाह दी है कि वे रुपया व्यापार के देशों को छोड़ कर अन्य देशों के साथ अवमूल्यन के पूर्व की गयी रुपयों में व्यक्त संविदाओं के बीजक मूल्य में 57.5 प्रतिशत की वृद्धि कर दें।

(ख) तथा (ग) . भारतीय निर्यातक रुपयों में कीमत को उतना बढ़ा देंगे जितनी कि अवमूल्यन के कारण आवश्यक हो गयी है। जहां तक विदेशी खरीदार का प्रश्न है उसे अपने देश की मुद्रा में कोई हानि नहीं होगी और इस प्रकार इससे उसे कोई कठिनाई नहीं होगी। इससे यह सुनिश्चित हो जायगा कि भारतीय निर्यातक को अपना भुगतान रुपयों के मुद्रा मूल्य के बराबर मिलेगा और विदेशी खरीदार विदेशी मुद्रा में वही राशि चुकाएगा। इससे यह भी सुनिश्चित हो जायगा कि इस देश के विदेशी मुद्रा उपार्जन में कोई परिहार्य हानि नहीं होगी।

माल लादने-उतारने के ठेके सम्बन्धी करार

3395. **श्री राम सेवक यादव :**

श्री मधु लिमये :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माल लादने और उतारने के ठेके सम्बन्धी करारों में ठेकेदारों तथा रेलवे अधिकारियों के बीच मतभेद हो जाने की स्थिति में दावों को मध्यस्थ निर्णय द्वारा निपटाये जाने की व्यवस्था है ;

(ख) क्या रेलवे प्रशासन मध्यस्थ के निर्णय पर मुकदमे दायर करता है ;

(ग) क्या यह सच है कि माल लदवाने और उतरवाने वाले भूतपूर्व ठेकेदार विनोद बिहारी सिंह के दावे के पंचाट से सम्बन्धित मुकदमे पर काफी धनराशि खर्च की गई है। (देखिए द्वितीय उपन्यायाधीश, पटना के न्यायालय में 1961 का विविध (मिसलेनियस) मुकदमा संख्या 38 तथा पटना के उच्च न्यायालय में 1962 की अपील संख्या 362)

(घ) यदि हां, तो रेलवे प्रशासन ने इस मुकदमे पर अब तक कितना व्यय किया है और क्या यह धनराशि मध्यस्थ पंचाट की 82,000 रुपये की राशि से अधिक है; और

(ङ) क्या रेलवे प्रशासन का विचार धन के अपव्यय को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थ पंचाट द्वारा निपटाये गये मुकदमों के बारे में अपनी नीति का पुनर्विलोकन करने का है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं, सिवाय बहुत खास मामलों में।

(ग) जी नहीं।

(घ) अब तक केवल 4,297 रुपये।

(ङ) किसी मध्यस्थ के फैसले के खिलाफ कदम उठाने के लिए निश्चय करने के पहले कानूनी राय लेकर प्रत्येक मामले की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है।

केरल में ग्रेफाइट के निक्षेप

3396 **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केरल के त्रिवेन्द्रम जिले के भूभौतिक सर्वेक्षण से वहां पर बढ़िया किस्म के ग्रेफाइट के बड़े निक्षेपों का पता लगा है;

(ख) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने इस सम्बन्ध में क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ; और

(ग) क्या उन सिफारिशों के अनुरूप कोई कार्यवाही की गई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) से (ग). 1958-63 की अवधि में त्रिवेन्द्रम जिले के वेलानद, कुट्टीचेल चेंगा, किजाथिगल, आर्यन्द, वेगनूर, चिंगलूर और पोलूयारषोनम आदि विभिन्न स्थानों पर ग्रेफाइट के लिए विधिवत भू भौतिकी अनुसंधान भारतीय भौमिकी विभाग द्वारा किए गए। वीक्षाकार पट्टियों के रूप में खनिज की उपस्थिति पाई गई। भारतीय भौमिकी विभाग द्वारा निक्षेपों को सिद्ध करने के लिए व्यधन के सुनिश्चित कार्य-क्रम की सिफारिश की गई तथा वेलानद के चेंगा खण्ड में अप्रैल 1956 में व्यधन कार्य शुरु किया गया। अनुसंधान प्रगति पर है।

गढ़ बरुआरी और सुपौल स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशन

3397. **श्री किशन पटनायक** :
श्री बड़े :
श्री मधु लिमये :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में गढ़ बरुआरी और सुपौल के बीच एक हाल्ट स्टेशन बनाने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में जांच की गई है ; और

(ग) जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

पंचायतों द्वारा चलाये जाने वाले उद्योग

3398. **श्री बै० ना० कुरील** :
श्री राम हरख यादव :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में पंचायतों द्वारा चलाये जाने वाले

उद्योगों के कार्यकरण की जांच करने के लिये एक अध्ययन दल नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन दल का क्या ब्योरा है;

(ग) इस अध्ययन दल का वास्तविक कार्यक्षेत्र क्या है; और

(घ) इस योजना पर कितना धन व्यय होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). योजना आयोग, उद्योग, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालयों तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चार सरकारी प्रतिनिधियों के एक दल की नियुक्ति कर दी गई है। यह दल उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में पंचायत उद्योगों की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने और विद्यमान एककों को सुदृढ़ बनाने के लिये उपायों का सुझाव देने तथा उन उद्योगों के नमूने बताने के लिये नियुक्त किया है, जो अन्य राज्यों में अपनाये जा सकते हैं, जिनमें ये उद्योग किस प्रकार के होने चाहिये और उनके लिये उपयुक्त संगठन संबंधी प्रबन्ध तथा पंचायती राज्य की संस्थाओं का क्या स्थान है, आदि बातें शामिल हैं।

(घ) इस पर होने वाला खर्च मुख्य रूप से सदस्यों के यात्रा भत्ते पर होगा।

केरल में काजू उद्योग

3399. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अफ्रीकी देशों से कच्चा काजू मिलने की अनिश्चितता के कारण केरल राज्य में काजू उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) कच्चे काजू की अबाध सप्लाई बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत कच्चे काजू का आयात करने की अनुमति अबाध रूप से दी जाती है। देश में काजू का उत्पादन बढ़ाने के उपाय भी किये जा रहे हैं। बरबादी को रोकने के लिये अच्छी संग्रहण विधियों के शुरू करने पर भी सरकार विचार कर रही है।

हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच रेल यातायात

3400. **श्री राम हरख यादव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच रेल यातायात फिर से चालू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) रेल सेवाएं बन्द किये जाने के क्या कारण थे ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां ।

(ख) 5-8-1966 से ।

(ग) हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच यातायात इस कारण बन्द रहा कि 25-7-66 को रायवाला-ऋषिकेश शाखा पर 1×10 फुट गर्डर-पुल ढह गया था क्योंकि सुसवा नदी में बाढ़ आ जाने से उसका पानी इस छोटे से पुल से बहने लगा था ।

चामराजनगर-सत्यमंगलम् और सेलम-बंगलौर रेलवे लाइनें

3401. **श्री सिद्ध्या** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चामराजनगर-सत्यमंगलम्-कोयम्बटूर और सेलम-बंगलौर रेलवे लाइनों का इंजीनियरी और यातायात सम्बन्धी पिछला सर्वेक्षण कब किया गया था; और

(ख) सर्वेक्षण प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या थीं तथा प्रस्ताव के वित्तीय पहलू क्या थे ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) चामराजनगर-सत्यमंगलम्-कोयम्बटूर लाइन बनाने के लिए 1948-49 में और सेलम-बंगलौर लाइन के लिए 1937 में प्रारम्भिक इंजीनियरिंग तथा यातायात सर्वेक्षण किये गये थे । सेलम-बंगलौर लाइन के लिए अंतिम स्थान-निर्धारण सर्वेक्षण 1962 में किया गया था ।

(ख) सर्वेक्षण रिपोर्टों से पता चला कि चामराजनगर-कोयम्बटूर लाइन से 4.45 करोड़ रुपये की पूंजी-लागत पर छठे वर्ष में केवल 0.04% की आय होगी । सेलम-बंगलौर लाइन से 7.16 करोड़ रुपये की पूंजी-लागत पर छठे वर्ष में 5.54% की आय होने की संभावना थी ।

Black-marketing in Consumer Goods

3402. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there has been a constant increase in black-marketing of consumer goods in Delhi despite rationing and other controls;

(b) the principal commodities being sold in the black-market and the reasons therefor ; and

(c) the steps being taken to remedy the situation ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) to (c). A statement is attached. **[Placed in Library. See No. LT-6931/66].**

रेलवे गार्ड पर आक्रमण

3403. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कलकत्ता के समाचार-पत्रों में 28 मई, 1966 को प्रकाशित इस

समाचार की ओर दिलाया गया है कि रेलवे सुरक्षा दल के तीन पुलिस कर्मचारी 27 मई, 1966 को बेलियाघाट रेलवे पुल के निकट एक माल डिब्बे से चावल निकालते हुए रंगे हाथों पकड़े गये थे;

(ख) क्या उन माल डिब्बा तोड़ने वालों ने माल गाड़ी के गार्ड पर, जबकि उसने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, आक्रमण किया और स्थानीय लोगों ने गार्ड को छुड़ाया;

(ग) क्या गार्ड को अस्पताल ले जाना पड़ा; और

(घ) उस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (घ). सही स्थिति यह है कि 27.5.66 को लगभग 05.05 बजे आगे बिजली का एक इंजन खराब हो जाने के कारण गाड़ी नं० 711 अप सरकार बाजार रेलवे पुल पर रुक गयी । रेलवे सुरक्षा दल की सशस्त्र शाखा के तीन कर्मचारी वहां गश्त कर रहे थे । घटना की सूचना मिलने पर जब सरकारी रेलवे पुलिस वहां पहुंची तो गार्ड ने शिकायत की कि उसने रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों को एक माल डिब्बे से चावल निकालते हुए देखा है । रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों और गार्ड में हाथापाई हुई जिसमें गार्ड को कुछ हल्की चोटें आयीं । उस समय जनता का कोई व्यक्ति वहां नहीं था । दूसरी ओर रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों ने रिपोर्ट की कि उन्होंने कुछ अपराधियों को चावल निकालते हुए देखा और पीछा करने के बाद उनमें से एक व्यक्ति पकड़ा गया । बाद में पता चला कि वह गाड़ी का गार्ड है । रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी और रेलवे सुरक्षा दल के तीनों रक्षकों को सरकारी रेलवे पुलिस, सियालदह ने गिरफतार कर लिया और भारतीय दंड संहिता की धारा 461/379/332 के अधीन 27.5.66 को एक मामला सं० 153 दर्ज कर लिया । मामले की अभी छान-बीन हो रही है ।

इलायची की खेती विस्तार

3404. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में देश में विस्तृत तथा गहन पैमाने पर इलायची उगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में इलायची की विस्तृत तथा गहन खेती करने के सम्बन्ध में क्या अस्थायी कार्यक्रम बनाया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी करेशी): (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में विकास कार्यक्रम निम्न प्रकार होने की आशा है :

(1) उत्पादन क्षेत्र की वृद्धि;

(2) नौ लाख पौधों का वितरण;

(3) पौधों की सुरक्षा के उपाय; और

(4) मैसूर में प्रदर्शन प्लाटों की स्थापना ।

(ख) चौथी योजना के लिये निम्न अस्थायी कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :

(1) उत्पादन क्षेत्र में लगभग 6,000 एकड़ का विस्तार तथा उत्पादन में 500 मी० टन की वृद्धि;

(2) 11,500 एकड़ के कुल क्षेत्र में कट्टे रोग के दूर करने के लिये गहन कार्यक्रम और पौधों की सुरक्षा के सम्यक उपाय; और

(3) 78.3 लाख पौधों तथा 18.75 मी० टन उर्वरकों का वितरण ।

सिंगरेनी कोलरीज द्वारा बोनस का भुगतान

3405. **श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोनस अधिनियम के अनुसार सिंगरेनी कोलरीज कम्पनी लिमिटेड द्वारा 1964-65 तथा 1965-66 के लिये श्रमिकों तथा अन्य कर्मचारियों को कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है;

(ख) क्या प्रबन्धकों ने सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया था कि बोनस की मांग पूरी करने के लिये कोयले के बिक्री मूल्य में वृद्धि करने की मंजूरी दी जाय और यदि हां, तो कब;

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या प्रबन्धकों ने कर्मचारियों को बोनस का भुगतान कर दिया है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे): (क) वर्ष 1964-65 के लिये 17,91,213 रु० का भुगतान किया गया । 1965-66 वर्ष के लिए कम्पनी द्वारा दिया बोनस अनुमानतः 20 लाख रु० है ।

(ख) इण्डियन माईनिंग एसोसिएशन, जिसकी सिंगरेनी कोलरीज़ कम्पनी एक सदस्य है, ने इस बारे में जुलाई 1966 में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था ।

(ग) सरकार ने कोयले के विक्रय मूल्य में 40 पैसे प्रति टन के हिसाब से 24-12-65 से वृद्धि मंजूर की ।

(घ) 1964-65 वर्ष का बोनस दिसम्बर 1965 में दे दिया गया । 1965-66 वर्ष का बोनस 30 नवम्बर, 1966 तक देय है ।

फिल्मों का निर्यात

3406. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में विदेशों में कितनी भारतीय फिल्में प्रदर्शित की गईं; और

(ख) उनसे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). विदेशों में प्रदर्शित की गई भारतीय फिल्मों की संख्या उपलब्ध नहीं है परन्तु 1964-65 तथा 1965-66 में 86.23 लाख मीटर तथा 68.42 लाख मीटर की भारतीय फिल्मों का निर्यात किया गया जिनकी कीमत क्रमशः 198.69 लाख रु० तथा 170.38 लाख रु० थी ।

कोलाघाट पर पुल

3407. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 पर रूपनारायण नदी पर कोलाघाट में रेलवे पुल के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या यह कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है और क्या 1967 तक पूरा हो जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) रूपनारायण नदी पर कोलाघाट का रेलवे पुल जो अभी बन रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 6 पर नहीं है । उसके खम्भे और तटबन्ध बन चुके हैं और गर्डर लगाने का काम किया जा रहा है।

(ख) जी हां । आशा है कि दिसम्बर, 1966 तक यह पुल बनकर तैयार हो जायेगा ।

तेल निकालने का उद्योग

3408. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में तेल निकालने के उद्योग की अप्रयुक्त क्षमता हाल में बढ़ गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि उसे तेल की बजाय तिलहन का आयात करना चाहिये ताकि इस उद्योग में निष्कार्य क्षमता का प्रयोग किया जा सके, और यदि हां, तो सुझाव स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां, इसका कारण बड़ी संख्या में छोटे कारखानों का विकास हो जाना है ।

(ख) जी, नहीं ।

सहायक उद्योगों का विकास

3409. **श्री मधु लिमये :** **श्री बागड़ी :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री किशन पटनायक :**

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सहायक उद्योगों के विकास के बारे में नवीनतम जानकारी इकट्ठी कर ली है;

(ख) क्या गत वर्ष भारत पाकिस्तान संघर्ष के पश्चात् पंजाब में इन उद्योगों के विकास तथा उनमें होने वाले उत्पादन को ठेस पहुंची थी; और

(ग) यदि हां, तो इन उद्योगों को पंजाब तथा अन्य स्थानों में फिर से स्थापित करने तथा उनका विस्तार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग). सहायक उद्योगों के विकास के बारे में कुछ विश्वविद्यालयों नेआर्थिक विकास संस्था, दिल्ली तथा आर्थिक अनुसन्धान की राष्ट्रीय परिषद, नई दिल्ली द्वारा किये गये सर्वेक्षणों के माध्यम से जानकारी इकट्ठी की है । लघु उद्योग बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई स्थायी सहायक उद्योग समिति ने औद्योगिक क्षेत्र में विकसित सभी राज्यों में क्षेत्रीय सहायक उद्योगों की उप-समितियां भी स्थापित कर दी हैं जिससे वे अपने क्षेत्रों में सहायक उद्योगों के विकास की गुंजाइश के बारे में सूचना इकट्ठी कर सकें । इनमें से बहुत सी क्षेत्रीय उप-समितियों ने अपनी-अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । तथा रिपोर्ट में की गई सिफारिश के आधार पर राज्य के उद्योग निदेशकों एवम् संबंधित लघु उद्योग सेवा संस्थानों के निदेशकों द्वारा जैसी कि रिपोर्टों में सिफारिश की गई है सहायक उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिये उपाय किये जा रहे हैं ।

1965 में हुए भारत-पाक संघर्ष के दौरान पंजाब में सहायक तथा अन्य लघु उद्योगों के उत्पादन में अस्थायी कमी हुई है । किन्तु इन कारखानों ने अब सामान्य रूप से अपना उत्पादन खर्च फिर से शुरू कर दिया है ।

केन्द्र के परामर्श से पंजाब सरकार द्वारा लघु उद्योगों को पुनः स्थापित करने के बारे में विभिन्न उपाय किये गए हैं जिनमें सहायक उद्योग भी शामिल हैं । इनमें (1) अतिरिक्त वित्तीय सहायता देना, (2) सरकारी स्टोरों के खरीद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक विशेष योजना चलाना, (3) कुछ कच्चे माल का विशेष आवंटन करना, (4) केन्द्र और राज्य करों की वसूली को स्थगित कर देना तथा (5) सरकारी लघु उद्योग निगम आदि के ऋणों की किस्तों की वसूली को स्थगित कर दिया जाना शामिल है ।

मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड

3410 **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव अभी भी सरकार के विचाराधीन

ही है अथवा उसको रद्द कर दिया गया है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा कि सरकार ने यह प्रस्ताव किन कारणों से बनाया था तथा किन कारणों से अन्तिम निर्णय लिया गया था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड स्थापित करने के बारे में कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मजदूर संघों के नेताओं तथा रेलवे कर्मचारियों के लिये वातानुकूलित गाड़ियों के पास

3411. **श्री मधु लिमये :** **श्री किशन पटनायक :**
श्री बागड़ी : **डा० राममनोहर लोहिया :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मजदूर संघों के कितने नेताओं को इस समय (एक) विभिन्न रेलवे जोनों पर वातानुकूलित गाड़ियों के प्रथम श्रेणी के जोनल पास तथा (दो) भारत भर में यात्रा करने के पास दिये गये हैं;

(ख) कितने रेलवे अधिकारी देश भर में प्रथम श्रेणी वातानुकूलित गाड़ियों में यात्रा करने के हकदार हैं;

(ग) क्या कुछ सदस्यों ने मांग की थी कि उन्हें वातानुकूलित गाड़ियों में यात्रा करने के पास दिये जायें;

(घ) क्या सरकार ने उक्त व्यक्तियों को ये सुविधायें न देने के प्रश्न पर विचार कर लिया है;

(ङ) क्या उन्होंने प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बों को पूर्णतः समाप्त करने तथा उनके स्थान पर तीसरी श्रेणी की चेयर कारें लगाने के प्रश्न पर भी विचार किया है; और

(च) यदि उपरोक्त भाग (घ) और (ङ) का उत्तर 'नहीं' है, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) (i) कोई नहीं । (ii) चार ।

(ख) केवल ड्यूटी पर यात्रा करने वाले 612 प्रशासनिक अधिकारियों को ।

(ग) जी हां ।

(घ) उन लोगों से नहीं जिनका उल्लेख ऊपर भाग (ख) में किया गया है। भाग (ग) में उल्लिखित व्यक्तियों से वापस लेने का सवाल नहीं उठता क्योंकि उनकी मांग स्वीकार नहीं की गयी थी।

(ङ) जी नहीं।

(च) जहां तक भाग (घ) का सम्बन्ध है, रेल अधिकारियों को केवल ड्यूटी पर वातानुकूल डिब्बे में यात्रा करने की जो सुविधा दी गयी है, उसे वापस लेना ठीक नहीं समझा जाता। केन्द्रीय और राज्य सरकार के अन्य विभागों के उसी ओहदे के अधिकारी ड्यूटी पर वातानुकूल डिब्बे में यात्रा करने के हकदार होते हैं। जहां तक भाग (ङ) का सम्बन्ध है रेलवे में वातानुकूल दर्जे के स्थान की व्यवस्था सरकार की वर्तमान नीति और इस दर्जे में यात्रा करने की मांग के अनुरूप है।

विद्युत् चालित करघा जांच समिति

3412. **श्री मधु लिमये :**
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री किशन पटनायक :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री 25 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1025 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत् चालित करघा समिति के प्रतिवेदन के बारे में निर्णय कर लिया है;

(ख) क्या अनधिकृत रूप से स्थापित किये गये हथकरघों को उनसे कुछ अर्थदण्ड लेकर लाइसेंस दे दिये जायेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इन करघों को जबरदस्ती बन्द कर दिया जायेगा और उसके परिणामस्वरूप होने वाली बेरोजगारी और उत्पादन की हानि के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां। सरकार का निर्णय भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 2 जून, 1966 के संकल्प के रूप में प्रकाशित कर दिया गया है। सरकारी संकल्प और विद्युत चालित करघा जांच समिति की प्रतियां पहले ही सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(ख) सभी अनधिकृत करघों को, जो कि 28 फरवरी, 1966 तक स्थापित किये गये थे, उनसे बिना कुछ अर्थदण्ड लिये, वस्त्रायुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय को दिये गये आवेदन-पत्र पर नियमित किया जा रहा है। सभी विद्युत् चालित करघों को, चाहे वे अधिकृत हों अथवा अनधिकृत

वस्त्र आयुक्त से टैक्स-मार्क परमिट लेने के लिये 100 रु० प्रति विद्युत्चालित करघा की फीस देनी पड़ती है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार में उद्योगों का विकास

3413. **डा० राम मनोहर लोहिया :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री मधु लिमये : **श्री किशन पटनायक :**
श्री किन्दर लाल : **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के मुख्य मंत्री ने गत दिसम्बर में यह शिकायत की थी कि बिहार में औद्योगिक विकास की सम्भावनायें बहुत कम हैं ?

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से बिहार देश का सबसे निर्धन राज्य है; और

(ग) चौथी योजना अवधि में बिहार में अधिक उद्योग स्थापित करने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग). बिहार में औद्योगिक विकास की संभावनाएं कम न होकर वस्तुतः राज्य में खनिज तथा अन्य साधनों को देखते हुए अच्छी ही हैं ।

यह सच है कि प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से बिहार अधिक गरीब राज्यों में से एक है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में अभी अंतिम निर्णय नहीं किया गया है किन्तु देश के विभिन्न भागों में उद्योगों के संतुलित विकास की आवश्यकता को सदैव ध्यान में रखा जाता है ।

पुस्तकों का आयात

3414. **श्री बागड़ी :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री मधु लिमये : **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पुस्तकों के आयात के सम्बन्ध में अधिक उदारता बरतने का सरकार का विचार है;

(ख) क्या बौद्धिक कार्य करने वाले लेखकों तथा संस्थाओं की ओर से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) पुस्तकों के लिये आयात नीति पहले ही उदार की जा चुकी है। पुराने आयातकों का कोटा 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 150 प्रतिशत कर दिया गया है। तकनीकी पुस्तकों आदि के आयात के लिये पुराने आयातकों को आगे और भी अनुपूरक लाइसेंस जारी किये जायेंगे। वास्तविक उपयोक्ताओं, जैसे पुस्तकालयों, शैक्षिक तथा तकनीकी संस्थाओं को आयात लाइसेंस मुक्त रूप से जारी किये जायेंगे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

काजू निर्यात संवर्धन परिषद्

3415. **श्री बागड़ी :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :
श्री मौर्य :
श्री किशन पटनायक :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री 29 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4647 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजू निर्यात सम्वर्धन परिषद् के कार्यों के बारे में दक्षिण भारत के कुछ काजू तैयार करने वालों के द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका पर सरकार ने इस बीच कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). सरकार ने काजू निर्यात सम्वर्द्धन परिषद् के लिये अब नये अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। परिषद् अब सुचारु रूप से कार्य कर रही है।

Foreign Tour of Chairman, Railway Board

3416. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :
Dr. L. M. Singhvi :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chairman, Railway Board visited U.S.A., England and Germany to examine Railway material and also the performance of Railways there ;

(b) if so, the aid received as a result of his visit to these countries and the terms thereof ;

(c) the difference between the performance of Railways here and in those countries ; and

(d) the improvements proposed to be brought about in the working of Railways here ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes, the purpose of the visit was mainly to negotiate loans in the U.S.A. for the Indian Railways: on his return journey he stopped over in U.K. and Germany to inspect the functioning of the technical establishment of Railway officers posted abroad; and to hold discussions with the German Federal Railways and manufacturers of Railway equipment. In doing so, he also took the opportunity to observe railway operations and performance in those countries.

(b) A credit equivalent of U.S. dollars 68 million has been secured from the International Development Association, an affiliate of the World Bank. The terms of this credit have already been indicated in reply to Unstarred Question No. 2776 answered in Lok Sabha on 19-8-1966. Discussions were also held with the Export Import Bank of Washington for a loan for the Diesel Locomotive Works, Varanasi but this has not yet been finalised.

(c) and (d). In terms of track and equipment utilisation, the Indian Railways compare favourably with other systems. However, as traffic is no longer growing and there is no need to add large amounts of capacity in its basic forms, those railways are intensifying their programmes for mechanisation and computerisation of railway working and making a bid for very high speeds of operation in an effort to reduce the labour wage-bill, and other costs and to improve services in order to meet the growing competition from roads and airways. The Indian Railways have applied and will be applying to a greater degree in future, more sophisticated techniques for coping with the rapid growth of traffic over successive five year plans with due regard to the availability of foreign exchange and development of capacity within the country for the manufacture of the necessary equipment. The example of these foreign Railways in improving the quality of passenger, parcels and goods services would also be emulated to the extent the different conditions prevailing in India would permit.

Iron and Steel Factories

3417. **Shri Sidheshwar Prasad:** Will the Minister of **Iron and Steel** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the industrial capacity of several iron and steel factories is not being utilised fully.

(b) if so, the names of such factories and the capacity not being fully utilised; and

(c) the reasons therefor?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh): (a) Yes, Sir. (By Iron and Steel factories, it is understood to mean Re-rollers, wire drawing units, tinplate manufacturers etc.).

(b) Information is not readily available and is being collected.

(c) Indigenous supply of raw materials is not adequate for running all the units at full capacity. Imports have also been restricted in the past due to paucity of foreign exchange.

Supply of Uniforms to Railway Employees

3418. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Rameshwaranand:
Shri Raghunath Singh:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the supply of uniforms to the Railway employees of Varanasi was discontinued in the name of Emergency and economy ;

(b) if so, the number of employees affected, class-wise ;

(c) the period for which uniforms will not be supplied and the amount of money saved thereby ;

(d) whether the money thus saved has been deposited in the Defence Fund ; and

(e) whether any demonstration was held by some employees against this cut and if so, the action taken by Government in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) No. Supply of uniforms is continuing in accordance with the old Dress Regulations of Railways.

(b) to (e) Do not arise.

Conversion of Ujjain-Agar Narrow Gauge

3419. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Rameshwaranand:
Shri Raghunath Singh:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to convert Ujjain-Agar narrow gauge railway line in Madhya Pradesh into a metre or broad gauge line ;

(b) if so, when this work is likely to be completed ; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) No.

(b) Does not arise.

(c) The traffic on this section is very meagre and it will not warrant any further capital investment.

Cement Factory in Kangra

3420. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Rameshwaranand:
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Cement Corporation propose to set up a big cement factory in Kangra area as reported in "Nav Bharat Times" of the 4th May, 1966 ;

(b) If so, whether raw material would be available easily and at cheap rates there; and

(c) the location of the factory, its cost and when it will be commissioned?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya): (a) to (c) The Government of Punjab are at present engaged in prospecting of the area to establish the reserves of cement-grade limestone. Pending that, Cement Corporation of India Limited has no proposal to set up a cement factory in Kangra area immediately.

Derailment between Simultala and Lahabon

3421. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** **Shri Raghunath Singh:**
Shri Rameshwaranand: **Shri Vishwa Nath Pandey:**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about 26 wagons of a goods train got derailed between Simultala and Lahabon stations in the first week of May, 1966 as a result of which all train services were cancelled there;

(b) if so, the reasons for the derailment; and

(c) the action taken in regard thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) The accident occurred on 2-5-66.

(b) The accident was due to the failure of railway staff.

(c) Suitable disciplinary action is being taken against the defaulting staff.

Accident at Nizamuddin Railway Station

3422. **Shri Raghunath Singh:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a person was run over by a train at Nizamuddin Railway Station New Delhi; in May, 1966 as reported in the 'Hindustan' dated the 15th May, 1966;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) to which place that person belonged?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) and (b). Yes. The man was run over accidentally by a shunting engine while he was picking charcoal in the Nizamuddin Railway Station Yard.

(c) The deceased belonged to Village Jaitob, District Moradabad.

रेलगाड़ियों का टकरा जाना

3423. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1966 से सभी रेलों में रेलवे फाटकों (लेवल क्रासिंग) पर रेल गाड़ियों और मोटर गाड़ियों में कुल कितनी टक्करें हुईं ; और

(ख) हताहतों को क्या मुआवजा दिया गया ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) 1-5-66 से 31-7-66 तक की अवधि में भारत की सरकारी रेलों पर ऐसी 13 दुर्घटनाएं हुईं ।

(ख) 2528 रुपये 20 पैसे की क्षतिपूर्ति का एक दावा मिला है और उसकी जांच हो रही है । पीड़ित व्यक्तियों को अनुग्रह के रूप में 6,500 रुपये का भुगतान किया गया है ।

कपड़ा मिलों की मशीनों का आयात

3424. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अब भी कपड़ा मिलों की मशीनों का आयात करता है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में भारत कब तक आत्म-निर्भर हो जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख). कपड़ा उद्योग के लिए आवश्यक अधिकतर मशीनों का उत्पादन अब देश में ही होता है । अपरिहार्य आयात ऐसी मदों तक सीमित रहता है जिनका उत्पादन या तो देश में होता ही नहीं या पर्याप्त मात्रा में नहीं होता । हाल की गणना के अनुसार 25,000 तकुओं तथा 500 करघों की मिली-जुली कपड़ा मिल के लिए 22.5 प्रतिशत अंश का स्थानीय आयात किया जाता है ।

कपड़ा मिलें

3425. **श्री रा० बरुआ :**
श्री राम सहाय पांडेय :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 में अब तक वित्तीय संकट तथा अन्य कठिनाइयों के कारण कितनी और कौन-कौन सी कपड़ा मिलें बन्द हैं ;

(ख) उक्त अवधि में केन्द्र अथवा राज्य सरकार ने कुल कितनी कपड़ा मिलों को अपने हाथ में लिया है ; और

(ग) क्या कपड़ा उद्योग की कठिनाइयों को दूर करने के संबंध में सरकार ने कोई पहल की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-6932/66]**

अखिल भारतीय निर्माता संगठन का वार्षिक सम्मेलन

3426. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1966 में नई दिल्ली में अखिल भारतीय निर्माता संगठन का 26वां

वार्षिक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां तो भारत की अर्थ-व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिये उस सम्मेलन में क्या-क्या विचार व्यक्त किये गये तथा क्या-क्या सुझाव दिये गये ; और

(ग) सरकार की उनके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) . अखिल भारतीय निर्माता संगठन का 26वां वार्षिक सम्मेलन 28 और 29 मई, 1966 को नई दिल्ली में हुआ था। उपर्युक्त सम्मेलन में किये गये विभिन्न निर्णय और सुझाव अखिल भारतीय निर्माता संगठन के इण्डस्ट्रियल इण्डिया नामक प्रकाशन में दिये हुए हैं, जिसकी एक प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है। ये निर्णय और सुझाव नोट कर लिये गये हैं।

चन्डिल स्टेशन के निकट दुर्घटना

3427. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हुकम चन्द कछवाय:
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सोनावने :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राम हरख यादव :
श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25-26 मई 1966 को दक्षिण-पूर्व रेलवे के राजखर सांवा-अनारा सेक्शन पर चंडिल रेलवे स्टेशन के निकट दो माल-गाड़ियों में टक्कर हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ; और

(ग) इस दुर्घटना के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) यह दुर्घटना आद्रा-चक्रधरपुर सेक्शन पर सुवर्णरेखा 'बी' केबिन और चन्डिल स्टेशनों के बीच हुई।

(ख) दुर्घटना रेल कर्मचारी की गलती के कारण हुई।

(ग) चूंकि दुर्घटना में उस ड्राइवर की मृत्यु हो गयी जो दुर्घटना के लिए जिम्मेवार था इसलिए उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी।

ब्रिटेन में 'अधिक चाय पियो' आन्दोलन

3428. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और श्रीलंका ने पांच अफ्रीकी देशों के सहयोग से ब्रिटेन में "अधिक चाय पियो" आन्दोलन आरम्भ किया है;

(ख) इस आन्दोलन में भारत कितना सहयोग दे रहा है; और

(ग) इस आन्दोलन से कितनी सफलता मिली है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) तीन वर्षों के लिये 1,87,500 पौंड प्रति वर्ष।

(ग) अक्तूबर, 1965 से अभियान शुरू किया गया है और यह विभिन्न चरणों का कार्यक्रम है जो तीन वर्ष में पूरा होगा। अभियान द्वारा प्राप्त की गई सफलता का मूल्यांकन करना अभी सम्भव नहीं है। प्रारम्भिक प्रतिक्रियाएं अनुकूल मालूम होती हैं।

कपड़ा सम्बन्धी मूल्य नियंत्रण आदेश का उल्लंघन

3429. **श्री कोल्ला वैंकैया :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़े के व्यापारी बम्बई तथा अहमदाबाद कपड़ा मिलों द्वारा उत्पादित कुछ विशेष किस्म के लोकप्रिय सूती कपड़े को नियंत्रित दरों पर नहीं बेच रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो किस-किस किस्म के कपड़े के नियंत्रित मूल्यों से ऊंची दरों पर बेचा गया है;

(ग) ये किस्में किन-किन मूल्यों पर बेची गईं; और

(घ) नियंत्रित मूल्यों पर कपड़ा न बेचने वाले कपड़े के व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (घ). यदि पूर्ण रूप से विचार करें तो नियंत्रित कपड़ा देश भर में सांविधिक रूप में नियत कीमतों पर बेचा जाता है। कुछ ऐसे उदाहरण भी ध्यान में लाए गये हैं जिनमें खुदरा व्यापारियों ने कपड़े की बढ़िया तथा बारीक किस्मों के लिये छपे हुए दामों से अधिक कीमत ली और ऐसे सभी मामलों में सम्बद्ध राज्य सरकारों के साथ वस्त्र आयुक्त के कार्यालय की प्रवर्तन शाखा द्वारा समय-समय पर दौरे किये जाते हैं तथा छापे मारे जाते हैं और अपराधियों को सजा दिलाने की कार्यवाही की जाती है।

सिंगरेनी कोयला खानों को सरकारी राज सहायता

3430. **श्री कोल्ला वैंकैया** : क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1964-65 और 1965-66 में सिंगरेनी कोलरीज कम्पनी लिमिटेड के लिये रेत की थाक लगाने के निमित्त कोई राज सहायता मंजूर की है; और यदि हां, तो कितनी धनराशि मंजूर की गई;

(ख) क्या यह धनराशि मंजूर करने में कोई विलम्ब हुआ था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या मंजूर की गई धनराशि रेत की थाक लगाने पर हुए खर्च को पूरा करने के लिये पर्याप्त है और यदि नहीं, तो राज सहायता न बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) 6,27,967.14 रु० की राशि सिंगरेनी कोलरीज कम्पनी को 1964-65 में रेत की थाक लगाने के निमित्त दी गई है। 1964-65 वर्ष के लिए 41,767.09 की अतिरिक्त राशि के बिल बनाने के आदेश कम्पनी को दिये जा चुके हैं जिसके बिल कम्पनी प्रस्तुत करेगी। जहां तक 1965-66 का सम्बन्ध है, नवम्बर, 1965 तक लगाई गई रेत की थाक के निमित्त 6,02,931.61 की राशि का भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त दिसम्बर 1965 और फरवरी, 1966 की अवधि के लिये 1,74,996.52 की राशि के बिल बनाने के आदेश दिये जा चुके हैं जो अभी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे।

(ख) नहीं महोदय।

(ग) तदर्थ निर्धारित सीलिंग दर को ध्यान में रखते हुए जो सहायता देय होती है वह कोयला कम्पनियों द्वारा किये गये वास्तविक व्यय के बराबर होती है। यह दर समय-समय पर थाक लगाने की कीमतों पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न कारणों को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षित की जाती है।

ट्रैक्टरों और शक्ति चालित हलों का निर्माण

3431. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सरकारी तथा गैर-सरकारी, दोनों क्षेत्रों में ट्रैक्टरों तथा शक्ति चालित हलों के कितने कारखानों के लिये लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इन भारी कृषि मशीनों की मरम्मत के लिये फालतू पुर्जों वाली वर्कशाप पर्याप्त संख्या में नहीं है; और

(ग) ट्रैक्टरों और शक्ति चालित हलों के निर्माण के लिये अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करने और मरम्मत की सुविधाओं के लिये वर्कशाप अथवा सामूहिक सुविधा केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) गैर-सरकारी क्षेत्र में अब तक कृषि ट्रैक्टरों में निर्माण के लिए पांच कारखानों तथा शक्ति चालित हलों के निर्माण के लिए दो कारखानों को लाइसेंस दिए गए हैं। इसके अलावा 20 अश्व शक्ति वाले कृषि ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक कारखाने की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ख) निर्माताओं ने अपने उत्पादों के इस्तेमाल किये जाने वाले क्षेत्रों में उनकी देखभाल और बिक्री के बाद मरम्मत करने के लिए वर्कशापों का एक जाल बिछा दिया है। वे अपनी बिक्री

और मरम्मत करने की सुविधाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे हैं। कृषि ट्रैक्टरों के निर्माताओं और आयातकों को खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय को उनके और विक्रेताओं के पास बिक्री के बाद दी जाने वाली सुविधाओं का विस्तृत ब्योरा देना होता है। इन सुविधाओं की राज्य सरकारों के जरिये जांच की जाती है। यदि कोई विक्रेता ऐसा पाया जाता है जिसके पास अपर्याप्त सुविधाएं हों तो सम्बन्धित निर्माता आयातक से राज्य सरकारों के सन्तोष के अनुसार सुधार करने के लिए कहा जाता है।

निर्माताओं द्वारा वर्कशापों को पर्याप्त संख्या में फालतू पुर्जे उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ग) हाल ही में कृषि ट्रैक्टरों तथा शक्ति चालित हलों के निर्माताओं को उनकी उत्पादन क्षमता में विस्तार करने की अनुमति दे दी गई है। शक्ति चालित हलों का निर्माण करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र में चार अन्य फर्मों को भी आशय-पत्र जारी कर दिये गये हैं। इसके अलावा पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकारों को शक्ति चालित हलों का निर्माण करने के लिए संयंत्र स्थापित करने की अनुमति देने की बात को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है। कुछ राज्य सरकारों ने कृषि ट्रैक्टरों की बिक्री के बाद की देख-भाल तथा मरम्मत के लिए स्वयं वर्कशाप स्थापित कर लिए हैं।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालयों द्वारा कृषि ट्रैक्टरों और शक्ति चालित हलों की मरम्मत करने की सुविधाएं प्रदान करने के लिए सेवा केन्द्र और वर्कशापें स्थापित करने की एक परीक्षण योजना का मसौदा तैयार कर लिया गया है और उसे राज्य सरकार को उनके विचार जानने के लिए भेज दिया गया है। सभी राज्य सरकारों के विचार प्राप्त हो जाने के बाद ही उस मंत्रालय द्वारा इस योजना पर आगे विचार किया जायगा।

भारतीय व्यापार का विकास

3432. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय व्यापार के सम्बन्ध में नई दिल्ली में हुए 'इकाफे' सम्मेलन का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) हमारे व्यापार के विकास से सम्बन्धित निर्णयों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) तथा (ख). मार्च-अप्रैल, 1966 में नई दिल्ली में हुए संयुक्त राष्ट्र के इकाफे ने अपने 22 वें अधिवेशन में कई संकल्प स्वीकार किये थे जिनका सम्बन्ध कई विषयों से था जैसे कि क्षेत्रीय व्यापार सहयोग, आर्थिक विकास तथा आयोजन, एशियाई मार्ग, एशियाई व्यापार मेला, एशियाई विकास बैंक आदि। इन सभी संकल्पों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संयुक्त प्रभाव क्षेत्र के सभी देशों के व्यापारिक विकास पर पड़ता है जिन में भारत

भी सम्मिलित है। फिर भी इन संकल्पों में से कोई भी विशेषतः भारतीय व्यापार के विकास के बारे में नहीं है।

2. नई दिल्ली में हुए इकाफे अधिवेशन में स्वीकृत प्रमुख प्रस्तावों की महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित थीं :

(1) क्षेत्रीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग।

(2) एशियाई विकास बैंक की स्थापना।

(3) एशियाई औद्योगिक विकास परिषद की स्थापना।

(4) एशियाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला।

(5) एशियाई सांख्यिकी प्रशिक्षण तथा गवेषणा संस्थान की स्थापना।

(6) कृषि का विकास।

(7) एशियाई मार्ग की प्रगति।

(8) मेकोंग घाटी में सिंचाई प्रायोजनाओं के विकास में प्रगति।

(9) निरक्षरता का उन्मूलन।

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त इकाफे क्षेत्र के विकासोन्मुख देशों ने एक संयुक्त घोषणा की जिसमें संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के महासचिव से निवेदन किया गया कि वे इस वर्ष किसी उपयुक्त स्थान पर '77' विकासोन्मुख देशों की एक बैठक बुलाएं ताकि 1967 में होने वाली संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन की द्वितीय बैठक के पूर्व, 77 देशों द्वारा अपने निर्यात व्यापार के विस्तार और उनके माल के निर्यात पर लगे हुए उन विभिन्न व्यापारिक प्रतिबन्धों को हटाने के लिए जिनको वे विश्व के विकसित देशों के बाजारों में अभी अनुभव कर रहे हैं, ठोस उपायों तथा कार्यक्रमों के बारे में सोचा जा सके।

4. निम्नलिखित कागजपत्रों में से प्रत्येक की एक प्रति माननीय सदस्यों की सूचनार्थ सदन के पुस्तकालय में पहिले ही रख दी गयी है :

(क) इकाफे के 22 वें अधिवेशन की कार्यसूची।

(ख) आर्थिक तथा सामाजिक परिषद को दिये गये 1965-66 के आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन का मसौदा जिसमें कार्य सूची की विभिन्न मदों पर आयोग की सिफारिशें/सुझाव दिये गये हैं।

(ग) इकाफे के 22 वें अधिवेशन में स्वीकृत संकल्प ; और

(घ) इकाफे के 22वें अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का प्रतिवेदन।

Train between Delhi and Allahabad via Jhansi

3433. **Shrimati Savitri Nigam :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :
(a) whether the people of Bundelkhand area sent a representation to his Ministry in

which they requested for the introduction of an Express train between Delhi and Allahabad via Jhansi so that the backwardness of this area might be removed; and

(b) if so, the action taken thereon?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes.

(b) The request has been examined and it is observed that there is no justification for the introduction of a train between Delhi and Allahabad via Jhansi and Manikpur. Apart from lack of traffic justification, line capacity on certain sections on this route and terminal facilities at Delhi/New Delhi are also not available at present for the introduction of such a train.

पूर्वोत्तर रेलवे में बिना टिकट यात्रा

3434. **श्री विश्वनाथ पांडेय :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के उत्तर प्रदेश में उन सैक्शनों के नाम क्या हैं, जहां वर्ष 1965 के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले अधिकतम यात्री पकड़े गये हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) भटनी-वाराणसी और नानपारा-कतरनियांघाट खण्ड ।

(ख) चल टिकट-परीक्षकों द्वारा की जाने वाली नियमित जांच के अलावा, मुख्यालय के दस्तों और विशेष रेलवे मजिस्ट्रेटों द्वारा और अधिक अचानक जांच की जा रही है ।

मुरादाबाद के निकट माल गाड़ी पर छापा

3435. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 तथा 4 मई, 1966 के बीच की रात को उत्तर रेलवे पर मुरादाबाद तथा दलपतपुर स्टेशनों के बीच 20 डाकुओं ने माल गाड़ी के आठ डिब्बों को खोल दिया और अन्न तथा कपड़े की गांठें फेंक दीं; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्योरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). सही स्थिति यह है कि 27.4.66 की रात को (न कि 3/4.5.66 को) काठघर और दलपतपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किलोमीटर 1390/13 पर 532 डाउन माल गाड़ी में लगे 8 माल डिब्बों पर अपराधियों ने धावा बोल दिया । अपराधियों ने गाड़ी के बीच में लगे फालतू ब्रेक यान से वैक्यूम द्वारा गाड़ी रोक ली । गार्ड और इंजन के कर्मचारियों ने डर से हस्तक्षेप नहीं किया लेकिन बाद में उन्होंने शोर मचाया और तब कुछ गांव वाले वहां पहुंचे लेकिन तब तक बदमाश भाग चुके थे । सूचना मिलने पर सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंच गये और 1885 रुपये की चुरायी गयी सम्पत्ति में से 1140 रुपये के कुछ परेषण बरामद

कर लिये । मुरादाबाद की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 353/323/379/511/395 के अधीन मामला सं० 172 दर्ज कर लिया है । अभी इस मामले की छानबीन हो रही है । पुलिस ने अब तक 5 आदमी गिरफ्तार किये हैं ।

रेलवे सुरक्षा दल और सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा इस खण्ड में संयुक्त गश्त की व्यवस्था की गयी है । अपराधियों पर निगाह रखने के लिए दलपतपुर स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा दल के दो रक्षक तैनात किये गये हैं । सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल द्वारा सक्रिय और संदिग्ध अपराधियों की निगरानी का काम तेज कर दिया गया है ।

विदेश स्थित उद्योगों में भागीदारी

3436. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेश स्थित संयुक्त उपक्रमों में भागीदारी के लिये 28 भारतीय उद्योगपतियों से प्राप्त प्रस्तावों में से लगभग 40 प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उद्योगपतियों के नाम क्या हैं, किस प्रकार के उद्योग स्थापित करने का विचार है तथा उसकी शर्तें क्या होंगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). जी, हां । विदेश स्थित संयुक्त उपक्रमों में निम्नलिखित 27 भारतीय उद्योगपति भाग ले रहे हैं :

मेसर्स (1) बिरला ब्रदर्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता । (2) स्टैण्डर्ड पेन्सिल फैक्टरी, मद्रास (3) एच० एल० मल्होत्रा एण्ड सन्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता (4) बम्बई सोप फैक्टरी, बम्बई (5) डन्कन ब्रदर्स, कलकत्ता (6) इण्डियन कन्सर्टियम (पार्टियों का निश्चय बाद में किया जायेगा) (7) दि रेमंड बूलन मिल्स लि०, बम्बई (8) बंगाल एनैमल वर्क्स, कलकत्ता (9) कर्मचन्द प्रेमचन्द, अहमदाबाद (10) रेनबो इंक एण्ड वार्निश कं० (प्रा०) लि०, बम्बई (11) दि प्रीमियर लाईटिंग इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लि०, बम्बई (12) इण्डियन ह्यूम पाइप कं०, बम्बई (13) मिसेज सरला सोमानी, बम्बई (14) कमानी मेटल्स एण्ड एलायूज लि० बम्बई (15) महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि०, बम्बई (16) कसमेस इण्डिया रबड़ वर्क्स (प्रा०) लि०, बम्बई (17) जय इंजीनियरिंग वर्क्स, कलकत्ता (18) हीरो साइकिल इण्डस्ट्रीज, लुधियाना (19) जनरल इण्डस्ट्रीज़, कलकत्ता (20) गोलचा लि०, जयपुर (21) अहमद उमरभाई, बम्बई (22) गोदरेज एण्ड बायस मैन्यु० कं० लि०, बम्बई (23) इण्टर ट्रेड कारपोरेशन, विशाखापत्तनम (24) अनिल हार्डबोर्ड्स लि०, बम्बई (25) इण्डियन टूल मैन्यूफैक्चरर्स लि०, बम्बई (26) आर० एम० गोकुल दास, बम्बई तथा (27) के० टी० डोंगरे एण्ड कं०, बम्बई ।

इन प्रायोजनाओं में विदेशों में इन उद्योगों की स्थापना भी शामिल है : हल्के इंजीनियरी सामान के दो कारखाने; सूती वस्त्र की दो मिलें; ऊनी वस्त्र की दो मिलें; एक विलायक-निःसारण संयंत्र; ताड़ की गिरी पीसने का एक यंत्र; एक पेन्सिल फैक्टरी; दो रेज़र ब्लेड

फैक्टरियां; एक साबुन फैक्टरी; एक प्लास्टिक प्रक्रिया संयंत्र; एक घड़ी-संयोजन संयंत्र; चीनी उद्योग; एक तामचीनी की फैक्टरी; एक ग्राइप-वाटर फैक्टरी; दो भेषजीय संयंत्र; एक मुद्रण-स्याही निर्माण संयंत्र; एक हल्का इंजीनियरी संमिश्र; एक पाइप फैक्टरी; अर्ध अलौह धातु निर्माण का संयंत्र, ट्रेलर उद्योग; विद्युत मीटर तथा ट्रांसफार्मर बनाने के लिए एक फैक्टरी; एक सिलाई मशीन उत्पादन संयंत्र, एक विद्युत स्थिर चाय की पत्ती; डंठल विगलक मशीन बनाने की एक फैक्टरी; एक ऊन फैक्टरी; रेफ्रीजरेटर बनाने की एक फैक्टरी; वातानुकूलक तथा वायुशीतक; ऐस्बस्टास-सीमेण्ट उत्पाद के तीन संयंत्र; एक वनस्पति संयंत्र; इस्पात-फर्नीचर उद्योग; एक जिंक-आक्साइड प्रायोजना; लोहे के सामान की एक फैक्टरी; पेचदार बरमे बनाने का एक संयंत्र; एक हौज़ पाइप उद्योग; तथा प्रतिदीप्त जुड़नार एवं उपसाधन निर्माण करने की एक फैक्टरी ।

उपरोक्त सभी प्रायोजनाओं में भारतीय भागीदारी सम्बद्ध प्रायोजनाओं में भारतीय हिस्सा पूंजी के प्रति भारत से स्वदेशी मशीनें, उपकरण, संघटक, तकनीकी ज्ञान आदि निर्यात करने के द्वारा अनुमित कर दी गई है ।

उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में ढलाई कारखाना

3437. **श्री किन्दर लाल :**

श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **उद्योग** मंत्री 25 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 789 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में एक ढलाई कारखाना स्थापित करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : इस कम्पनी ने आवश्यक भूमि खरीद ली है और कारखाने की इमारत का निर्माण शुरू कर दिया गया है । पूंजीगत उपकरणों के आयात के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त कर लिया गया है और बताया गया है कि आयात किये जाने वाले संयंत्र और मशीनों का सम्भरण करने के लिए विदेशी सम्भरणकर्ताओं को आर्डर दे दिये गये हैं । भट्ठी के संभरण के लिए देश के सम्भरणकर्त्ताओं को एक आर्डर दिया गया है जिसके शीघ्र ही मिल जाने की आशा है । इसके लिए आवश्यक विद्युत सम्भरण के लिए भी स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है ।

मध्य प्रदेश में मशीनी औजार कारखाना

3438. **श्री मौर्य :** **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री बागड़ी : **श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **उद्योग** मंत्री 6 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1515 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में मशीनी औजार कारखाने के निर्माण के बारे में ब्योरे और कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जापान को रद्दी लोहे का निर्यात

3439. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान भारत से रद्दी लोहे का आयात कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ;

(ग) क्या भारत इस रद्दी लोहे के निर्यात के बदले जापान से कुछ वस्तुओं का आयात कर रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो वे कौन-कौन सी वस्तुएँ हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) जापान भारत से रद्दी लोहे तथा इस्पात का आयात बहुत दशकों से कर रहा है, जैसा कि संलग्न विवरण से स्पष्ट है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-6933/66]**

(ग) तथा (घ). 26 जुलाई, 1965 से पहले भारत से जापान को रद्दी लोहे का निर्यात 100 प्रतिशत आधार पर इस्पात के आयात के बदले में किया जाता था, जिसकी किस्म लोहे तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा निर्धारित की जाती थी । उक्त तिथि के बाद, वस्तु-विनियम के स्थान पर एक निर्यात संवर्द्धन योजना चालू कर दी गई, जिसके अन्तर्गत रद्दी लोहे के निर्यात के बदले में 60 प्रतिशत आयात हकदारी की व्यवस्था की गई थी । इस हकदारी पर आयात के लिये जिन वस्तुओं की अनुमति दी गई है उनके नाम संलग्न सूची में दिये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-6933/66]** अवमूल्यन के परिणामस्वरूप 6 जून, 1966 को यह प्रेरणादायी आयात योजना समाप्त कर दी गयी थी ।

निर्यात ऋण तथा प्रत्याभूति निगम

3440. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात ऋण तथा प्रत्याभूति निगम (एक्सपोर्ट क्रेडिट एण्ड गारन्टी कारपो-

रेशन) भारत में बनी वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि कर सका है,

(ख) यदि हां, तो 1965-66 में निर्यात की वस्तुओं के मूल्य के आधार पर कितना ऋण दिया गया, और

(ग) यह ऋण केवल निर्यात करने वाली फर्मों को ही दिया जाता है या निर्माताओं को भी दिया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). निर्यात ऋण तथा गारण्टी निगम अपनी पालसियों तथा वित्तीय गारण्टियों के माध्यम से निर्यातकों को निर्यात वित्त की प्राप्ति में सहायता करके भारतीय माल के निर्यात को प्रोत्साहन देता है निर्यातक तथा निर्माता बैंकों से वित्तीय सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं। निर्यात ऋण तथा गारण्टी निगम की गारण्टियों तथा पालिसियों पर निर्यात क्षेत्र को बैंकों द्वारा 1965 में दिये गये ऋण की राशि 38.44 करोड़ रुपये थी जब कि 1964 में वह 22 करोड़ रुपये तथा 1963 में 8 करोड़ रुपये थी।

निर्यात ऋण तथा गारण्टी निगम द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं निर्यातकों तथा निर्माताओं पर समान रूप से लागू होती हैं।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर

3441 **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर ने जब से उसे सरकार ने अपने अधिकार में लिया है, कोई उल्लेखनीय प्रगति की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस उपक्रम की मुख्य समस्यायें क्या हैं तथा निकट भविष्य में उसकी प्रगति की क्या सम्भावना है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे): (क) हां, महोदय।

(ख) मैटल कारपोरेशन आफ इंडिया की, 22-10-65 को केन्द्रीय सरकार द्वारा अवाप्ति के पहले की समस्तदेय राशि जो 4. 5 करोड़ रु० की थी भुगतान की जा चुकी है। भूतपूर्व प्रबन्धकों द्वारा बंद किये गये कूपक खनन कार्य को पुनः आरम्भ कर दिया है। जस्ता प्रद्रावक में शीशे की लाइनिंग लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। राजस्थान सरकार के माध्यम से विद्युत शक्ति और पानी लिये जाने के प्रबंध किये जा रहे हैं। जस्ता प्रद्रावक का निर्माण कार्य कारपोरेशन के पास आवश्यक वित्तीय साधन न होने के कारण रोक दिया गया था। इस मामले को फ्रांसीसी फर्म के साथ बातचीत करके हल कर लिया गया है और तकनीकी सहायता जारी रखने के विषय में उनकी सहमति ले ली गई है।

(ग) मुख्य समस्याएँ ये हैं :

(1) जस्ता प्रद्रावक के निर्माण को पूरा करना ;

(2) खान का विकास करना तथा अयस्क उत्पादन बढ़ाना ।

आशा की जाती है कि परियोजना शीघ्र उत्पादन प्रारम्भ कर देगी ।

Export of Leather

3442. **Shri Ram Sewak Yadav**: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the quantity of leather exported during the current year from 1965 to March, 1966 and whether the export is more as compared to the last year ;

(b) the difference in the prices of skins of killed and dead animals ; and

(c) whether the skin of the animals killed are more profitable than those of dead animals ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) Export of 19995000 Kg. of Leather in 1965-66 was lower by 394000 Kg. of Leather than 20389000 Kg. of Leather exported during 1964-65.

(b) and (c). Usually hides and skins derived from slaughtered animals fetch 40 to 50% better price than those derived from dead animals.

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का काम-काज

3443. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के समूचे कार्य एवं प्रगति का मूल्यांकन किया जा चुका है, जबकि देश में चौथी पंचवर्षीय योजना आरम्भ हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) और (ख). शासकीय उपक्रम के कार्य निष्पादन एवं कार्य पद्धति का मूल्यांकन निरन्तर चलता रहता है । राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कार्य का ब्योरा प्रतिवर्ष सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है । निगम द्वारा किए गए अंतिम मूल्यांकन के निम्नलिखित बिन्दु हैं :

(1) तृतीय योजना के मूल लक्ष्य के अनुपात में यद्यपि कोयले का उत्पादन कम रहा तथापि वह वास्तविक मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त रहा ।

(2) चतुर्थ योजना में नान-कोकिंग कोल की समस्त प्रत्याशित मांग के पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता प्राप्त कर ली गई है ।

(3) चतुर्थ योजना के अंत तक कोकिंग कोल का उत्पादन वर्तमान 3 मि० टन प्रतिवर्ष से बढ़कर लगभग 12 मि० टन प्रतिवर्ष हो जाने की संभावना है ।

(4) पिछले वर्ष की अपेक्षा उत्पादकता बढ़ गई है और उत्पादन लागत कम हो गई है।

(5) 1965-66 वर्ष में लाभ की संभावना है।

Shifting of Industries in Punjab

3444. **Shri Prakash Vir Shastri**: Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the news-item in the 'Hindustan' and the 'Nav Bharat Times', dated the 7th June, 1966, wherein it has been stated that about 125 industrialists of Punjab have shifted their industries to Uttar Pradesh;

(b) whether Government have gone into the reasons therefor after verifying the facts from the U. P. Government; and

(c) the names of the districts of Punjab from where these industries are being shifted, and whether Government propose to take any action to stop this?

The Minister of Industry (**Shri D. Sanjivayya**): (a) and (b). Government have taken note of the report published in the "Hindustan" dated 7-6-66 regarding shifting of industries from Punjab to U. P. The report was verified from the respective State Governments as well as from other authorities, but no shifting of the existing industries in Punjab to U. P. has been reported by them.

(c) Does not arise.

Unauthorised occupation of seats by Porters in the train stabled in the Yards at Railway Stations

3445. **Shri Prakash Vir Shastri**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in big cities like Bombay, Calcutta, Delhi and Madras some porters or professionals accept 4–5 rupees from passengers, go into the trains standing in the station yards and occupy seats for them by spreading pieces of cloth, due to which other passengers face difficulty in getting accommodation;

(b) whether at some of the stations such professionals are doing this in collusion with the station authorities; and

(c) if so, the action taken to check such activities?

The Minister of State in the Ministry of Railways (**Dr. Ram Subhag Singh**): (a) and (c). Some complaints have been received in this connection. Steps taken to prevent such malpractices, are indicated in the statement attached.

(b) No.

Statement

(a) and (c) 1. In order to prevent occupation of seats/berths in unreserved compartments stabled in Yards by licensed porters/unsocial elements, Railway Protection Force and Government Railway Police staff have been posted on platforms leading to the Yard.

2. Special drives are launched to ensure that licensed porters/unsocial elements do not occupy unserved III class seats/berths either in the Yard or when the train is backed on to the Platform.

3. At certain stations upper class compartments are also kept locked until placement of the rake on the platform.

4. Deterrent action is taken against licensed porters who indulge in such practices.

रूस को मशीनी औजारों का निर्यात

3446. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस ने भारतीय मशीनी औजारों का आयात करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो उनको किस किस्म के मशीनी औजारों की आवश्यकता है; और

(ग) आयातकर्त्ताओं की इच्छानुसार सामान निर्यात करने की देश की कितनी क्षमता है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) . 1966-70 की अवधि में भारत-सोवियत रूस व्यापार को बढ़ाने के बारे में नयी दिल्ली में हुई वार्ता के दौरान सोवियत पक्ष ने भारतीय इन्जीनियरी सामान के आयात में काफी वृद्धि करना स्वीकार कर लिया। भारत विभिन्न किस्मों के मशीनी औजारों का उत्पादन कर रहा है जिनका सोवियत रूस पक्का आयातक है। मशीनी औजारों से संबंधित सोवियत संगठन ने बताया है कि वह मुख्यत: विशेष उद्देश्यीय, अत्यन्त शुद्ध मापक मशीनी औजारों, जैसे गियर-कटाई मशीनों, खड़ी बरमा मशीनों आदि में दिलचस्पी रखता है। इन मशीनी औजारों के निर्यातकों को सोवियत संगठन से सम्पर्क करने की सलाह दी गयी है जिससे वे भारत से निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगा सकें। अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकले हैं।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानों का विकास

3447 **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोकिंग कोयला खानों का विकास करने में भारत को सहायता देने के लिये सहमत हो गया है;

(ख) क्या रूसी खनन विशेषज्ञों ने विभिन्न परियोजनाओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की सांख्यिकी का अध्ययन कर लिया है;

(ग) क्या रूसी विशेषज्ञ भारतीय उपकरणों का उपयोग करेंगे; और

(घ) रूसी सहायता के फलस्वरूप कोकिंग कोयले के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) और (ख) . हां, महोदय ।

(ग) जितना भारतीय उपकरण देश में बनाया जायगा वह सभी प्रयोग में लाया जायगा ।

(घ) जिन नई खानों के लिए सोवियत सहायता की अपेक्षा की जा रही है उनकी परिलक्षित क्षमता 6.5 मि० टन है । 2.0 मि० टन कोयले के अतिरिक्त उत्पादन के उद्देश्य से दो मौजूदा खानों के विस्तार के लिए भी सहायता चाही गई है ।

राजस्थान में अनेक धातुओं के निक्षेप

3448 **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री वसवन्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने राजस्थान के दरीवा-राजपुरा क्षेत्र में अनेक धातुओं के निक्षेपों का पता लगाया है;

(ख) दरीवा के इन निक्षेपों में मिले इन अयस्कों में कौन-कौन से मुख्य तत्व हैं और वहां पर अयस्कों का कितना भण्डार होने का अनुमान है; और

(ग) क्या अयस्क के आकार, स्वरूप और किस्म की सही जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रायोगिक खनन कार्य आरम्भ किया गया है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां, महोदय ।

(ख) तांबा, सीसा और जस्ता अयस्क के मुख्य तत्व हैं और औसतन 5 से 6 प्रतिशत तक धातुयुक्त अयस्कों का संचय अनुमानत: 9.45 मिलियन टन है ।

(ग) प्रारम्भिक खनन के लिये एक योजना तैयार की जा रही है ।

कीमतों पर निगरानी रखने के लिये नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम)

3449. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतों पर कड़ी निगरानी रखने तथा उन्हें नियमित

करने के लिये नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) स्थापित किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका संगठनात्मक ढांचा क्या है, और अब तक का अनुभव कैसा रहा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) . एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6934/66]**

भूसी का तेल

3450. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूसी से तेल निकालने की बहुत अधिक सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां।

(ख) चावल की भूसी के तेल के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयत्न निम्न प्रकार हैं :

(i) भारत सरकार ने तेल पेरने के उद्योग से लाइसेंस हटा दिया है तथा अब उद्योगपति चावल की भूसी का तेल निकालने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत बिना औद्योगिक लाइसेंस लिए ही संयंत्र लगा सकते हैं।

(ii) देश में बैच किस्म तथा आधुनिक निरन्तर तेल निकालने वाले दोनों किस्मों के सयंत्र लगाने के लिए प्रबन्ध कर लिया गया है।

(iii) चावल की भूसी के तेल पर कोई उत्पादन शुल्क नहीं लगता है।

(iv) 6-6-66 से पहले तेल निकली चावल की भूसी के निर्यात के बदले 3 प्रतिशत की आयात हकदारी के अधीन 2 प्रतिशत कर ऋण लगता था। अन्य निर्यात संवर्द्धन तथा कर ऋण योजनाओं के अनुसार ही इसे भी 6-6-66 से हटा दिया गया। यद्यपि 6-6-66 से तेल निकली मूंगफली की खली / चूरे पर निर्यात शुल्क लगा दिया गया है। फिर भी तेल निकली हुई चावल की भूसी ऐसे शुल्क से मुक्त है। यह चावल की भूसी से तेल निकालने के उद्योग के लिए एक अतिरिक्त प्रेरणा है।

राजस्थान में फ्लूरस्पर खनिज का पाया जाना

3451. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में डूंगरपुर जिले के दक्षिण पहाड़ी क्षेत्रों में एक दुर्लभ खनिज, फ्लूरस्पर के अयस्क का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्लभ धातु से एल्यूमिनियम, इस्पात तथा रासायनिक उद्योगों को क्या लाभ होगा; और

(ग) क्या इसे निकालने के लिये कोई योजना बनाई गई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां, महोदय ।

(ख) एल्यूमिनियम, इस्पात तथा रसायनिक उद्योगों में प्रयोग के लिये उपयुक्त धात्वीय और अम्लीय श्रेणी के फ्लोराइट सकेन्द्रक बनाने के लिये आवश्यक परिष्करण के हेतु यह खनिज पदार्थ उपयुक्त है ।

(ग) तृतीय योजना की अवधि में राजस्थान सरकार द्वारा इस निक्षेप के विदोहन का प्रस्ताव है । परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

औद्योगिक विकास निगम

3452. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में औद्योगिक विकास निगम जिस ढंग से काम कर रहे हैं; उससे केन्द्रीय सरकार के साधनों पर बहुत बोझ पड़ रहा है;

(ख) यह कहां तक सच है कि बहुत से मामलों में औद्योगिक वित्त निगम ने ऐसी परियोजनाओं के लिये, जिनको बहुत सा धन देना पड़ेगा, सहायता देने का वचन दिया है, जो वह अपने साधनों से नहीं दे सकता; और

(ग) औद्योगिक विकास निगमों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिये वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों को क्या विशिष्ट सुझाव दिये हैं;

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) . जी, हां ।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

यात्रियों के लिये बीमा योजना

3453. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे की दैनिक आय का कुछ प्रतिशत भाग अलग रख कर रेलवे यात्रियों के लिये बीमा योजना आरम्भ करने के सुझाव पर विचार कर लिया है;

(ख) हाल में हुई रेल दुर्घटनाओं के लिये रेलवे कर्मचारियों में हतोत्साह की अत्यधिक भावना और अधिक कार्यभार कहां तक उत्तरदायी हैं; और

(ग) इंजन चालकों के काम करने की पुरानी समय सूची में परिवर्तन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेल यात्रियों का बीमा करने के मामले पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) हाल में जो रेल-दुर्घटनाएं हुई हैं, उनका कारण नैतिक पतन तथा अधिक कार्यभार नहीं पाया गया है ।

(ग) इंजन ड्राइवरों की कार्य-अनुसूचियां पुरानी नहीं हैं, क्योंकि काम के घंटों के विनियमों के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए इन कार्य-अनुसूचियों का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है ।

कारों की बिक्री

3454. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जून, 1966 के 'स्टेट्समैन' (कलकत्ता संस्करण) में 'एक्सेप्शन टु ऐवरी रूल' शीर्षक से प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि कलकत्ता से स्थानान्तरित किये गये केन्द्रीय सरकार के एक पदाधिकारी को सरकार के इस विनियमन की उपेक्षा करके, कि एक कार को खरीदने से दो वर्ष के भीतर की अवधि में नहीं बेचा जा सकता, अपनी कार बेचने की अनुमति दी गई;

(ख) क्या उसने कार की बिक्री के लिये विज्ञापन दिया था;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम के प्रतिनिधि द्वारा पूछे जाने पर उसने कार का मूल्य 24 हजार रुपये मांगा जब कि वह लगभग 16 हजार रुपये में खरीदी गई थी; और

(घ) कितने और मामलों में इस प्रकार अनुमति दी गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां । केन्द्रीय सरकार के संबंधित अधिकारी ने जिसका कलकत्ता से स्थानान्तरण कर दिया गया था, 24-5-1966 को एक अभ्यावेदन दिया था कि चूंकि अपने नये पद पर उसे सरकारी कार इस्तेमाल करने के लिये मिल जायगी, इसलिये उसे केन्द्रीय सरकार के कोटे से नियत की गई जुलाई, 1965 में खरीदी गई फिएट कार बेच देने की अनुमति दी जाय । इसके अनुसार उन्हें कार बेच देने की अनुमति दे दी गई थी । इस प्रकार की अनुमति देने की व्यवस्था मोटर कार (वितरण और बिक्री) नियंत्रण आदेश में की गई है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) हमें इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है कि राज्य व्यापार निगम का कोई प्रतिनिधि उक्त अधिकारी के पास गया था । फिर भी पश्चिमी बंगाल सरकार के परिवहन उप-आयुक्त द्वारा की गई जांच-पड़ताल से पता चलेगा कि उन्हें यह बताया गया था कि अधिकारी को उस कार के लिये 24,000 रु० से कम रकम की आशा नहीं थी ।

(घ) 1 जनवरी, 1966 से लेकर आज तक मोटर कार नियंत्रक, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दो वर्षों की अवधि के अन्दर 20 सरकारी अधिकारियों को अपनी-अपनी कारें बेच देने के लिये अनुमति दी जा चुकी है।

इस्पात की उत्पादन लागत में वृद्धि

3455. **श्री अ० प्र० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दे० जी० नायक :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस्पात की बढ़ती हुई उत्पादन-लागत की जांच करने के लिये बनाई गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य उप-पत्तियां और सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उनके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट में की गई सिफारिशों और निष्कर्षों का एक संक्षिप्त विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6935/66]**

(ग) सरकार को यह रिपोर्ट हाल में ही पेश की गई थी। आजकल इस पर विचार किया जा रहा है।

Export of Shoes to Ghana

3456. **Shri Bade :** **Shri Kashi Ram Gupta :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is enough scope for the export of shoes to Ghana;

(b) if so, the steps taken in this regard ; and

(c) the time by which this proposal would be finalised ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) to (c). There is very little scope for the export of our shoes to Ghana because of local production and Ghana's having balance of payment difficulties. To protect her own local Footwear industry, Ghana has also since increased import duty on footwear from 33·1% to 66·2%. Moreover, Ghanian importers demand credit facilities for 180 days which Indian exporters are unable to extend.

जुलाई, 1966 में जालंधर के निकट बस तथा गाड़ी की टक्कर

3457. **श्री राम हरख यादव :** **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री प्र०चं० बरुआ : **श्री सोनावने :**
श्री बड़े : **श्री यु० द० सिंह :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 जुलाई, 1966 को जालंधर-होशियारपुर रेलवे लाइन पर नसराला के

निकट एक यात्री गाड़ी बस से टकरा गई;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में; और

(ग) उस दुर्घटना में मारे गये अथवा घायल हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) और (ख). 4.7. 1966 को लगभग 18.32 बजे जब गाड़ी नं० 12 जे० एच० खुर्दपुर और नसराला स्टेशनों के बीच जा रही थी, तो पंजाब रोडवेज की एक बस ने कि०मी० 27/11-12 पर आती हुई गाड़ी के सामने से रेलवे समपार को पार करने की कोशिश की । उस समपार पर चौकीदार तैनात नहीं है । बस समपार को पूरी तरह पार न कर पायी थी कि गाड़ी का इंजन बस के पिछले हिस्से से टकरा गया ।

(ग) इस दुर्घटना के कारण तीन व्यक्ति मारे गये और 11 व्यक्तियों को चोटें आयीं ।

सीमेंट का उत्पादन

3458. **श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से सीमेंट के कारखानों में बिजली की कटौती की गई है तब से सीमेंट के उत्पादन में कुल कितनी कमी हुई है; और

(ख) राष्ट्रीय परियोजनाओं के निर्माण-कार्य के लिये सीमेंट की मांग को सरकार का विचार कैसे पूरा करने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया): (क) अप्रैल से जुलाई, 1966 की अवधि में बिजली में कटौती के कारण सीमेंट के उत्पादन में जो कमी हुई उसका अनुमान लगभग 1 लाख मी० टन लगाया गया है ।

(ख) सीमेंट के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत पहले से ही सरकारी विभागों को दिये जाने के लिए सुरक्षित रख दिया गया है । जब कभी इनमें से किसी विभाग को उस क्षेत्र में बिजली में कटौती के कारण पर्याप्त परिमाण में सीमेंट नहीं मिलता है तो उनकी परियोजनाओं के लिए अन्य क्षेत्रों से सीमेंट के बिना किसी रुकावट के सम्भरण करने के लिए तुरन्त कोई दूसरा प्रबन्ध कर दिया जाता है ।

पश्चिम रेलवे पर तोड़फोड़ करने का प्रयास

3459. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे, कोटा डिवीजन के सिगनल डिपार्टमेंट के कुछ मुस्लिम कर्मचारियों द्वारा मोरक के सहायक स्टेशन मास्टर की सांठगांठ से मिलिटरी स्पेशल को नष्ट करने का प्रयास किये जाने के बारे में सी०एस०आई० पश्चिम रेलवे, कोटा के एक लार्किंग फिटर ने 16 जून, 1966 को उन्हें लिखित रूप में शिकायत की थी ;

(ख) क्या उस शिकायत की जांच की गई थी और यदि हां, तो वह जांच किसने की थी; और

(ग) इस साजिश में हिस्सा लेने वाले कर्मचारियों को जिनमें उक्त सहायक स्टेशन मास्टर भी शामिल है, क्या दण्ड दिया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी हां, लेकिन शिकायत 16 जून, 1965 को केन्द्रीय गृह मंत्री को की गयी थी ।

(ख) जी हां । पुलिस और रेलवे प्राधिकारियों ने शिकायत की जांच की थी ।

(ग) चूंकि यह पता चला कि शिकायत सही नहीं है और कर्मचारियों के बीच एक निजी झगड़े और स्टेशन मास्टर तथा सहायक स्टेशन मास्टर के बीच तनावपूर्ण सम्बन्धों के कारण की गयी है, इसलिए दण्ड देने का सवाल नहीं उठता । फिर भी, स्टेशन मास्टर और सहायक स्टेशन मास्टर को उस स्टेशन से स्थानान्तरित कर दिया गया है ताकि उनमें आगे संघर्ष न होने पाये ।

Burning of Sleepers at Gangapur Station

3460. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that new sleepers piled up at Gangapur Railway Station (W. Rly.) were set on fire in the third week of June last ; and

(b) if so, the number of sleepers and the value thereof which were burnt during the fire ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No. There was, however, a fire on the night of 6/7-7-1966, in which some new sleepers stacked in the Permanent Way Inspector's Stores near Gangapur City Railway Station, were destroyed.

(b) The value of the sleepers destroyed in the fire has been estimated at Rs. 26,000 approximately.

Demands of Railway Porters

3461. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have received recently any demands from Railway Porters of the Western and Northern Railways ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the reasons for which Government are unable to accept the same ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No demands have been received recently from Railway porters of Northern Railway. A representation has, however been received from the Railway porters of Ahmedabad, Western Railway.

(b) and (c). A statement is attached. **[Placed in Library. See No. LT-6936/66]**

Report on Neyveli Project

3462. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether Government have accepted the report on Neyveli Project ;

(b) if so, the outlines thereof ; and

(c) the target fixed for this in the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of Mines and Metals (Shri S. K. Dey) : (a) The Hon'ble Member is presumably referring to the Project Report submitted by the Soviet Organisation (viz. M/s. Technopromexport, Moscow) for the second expansion of the Neyveli Thermal Power Station. The Neyveli Lignite Corporation accepted this report in March, 1966.

(b) The expansion envisages increasing the power generating capacity at Neyveli from 400 MW to 600 MW by the addition of two units of 100 MW each.

(c) According to present indications, this expansion is expected to be completed by March, 1969.

इस्पात की उत्पादन-लागत सम्बन्धी समिति

3463. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात की उत्पादन-लागत सम्बन्धी समिति ने कोयला खानों को सरकारी क्षेत्र में मिला दिये जाने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी सिफारिश स्वीकार कर ली है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह): (क) इस्पात उद्योग को दीर्घकाल तक कोकिंग कोयले की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति सुनिश्चित करने की समस्या पर विचार करते समय समिति द्वारा सुझाये गये संभव उपायों में से एक यह था कि निजी क्षेत्र की छोटी-छोटी कोयला खानों को मिला दिया जाये और उनका सरकारी क्षेत्र में विकास किया जाये ।

(ख) सरकार को रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत की गई थी और आजकल इस पर विचार किया जा रहा है ।

उत्तर रेलवे के 'पर्सानल' शाखा, दिल्ली में भ्रष्टाचार

3464. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन के पर्सानल अनुभाग के क्लर्क तबादला कराने तथा तबादला रद्द कराने के लिये खुले रूप में रिश्वत ले रहे हैं और उनका वर्षों से किसी अन्य विभाग में तबादला नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या रेलवे प्रशासन को इस भ्रष्टाचार की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जब कभी ऐसी कोई शिकायत मिलती है, तो उसकी पूरी छान-बीन की जाती है और कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाही की जाती है ।

पिछले एक वर्ष में मण्डल कार्यालय, दिल्ली की कार्मिक शाखा के क्लर्क कर्मचारियों के विरुद्ध सतर्कता शाखा को दो शिकायतें मिली थीं, जिनकी जांच हो रही है ।

स्टेशन मास्टरों के विरुद्ध शिकायतें

3465. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले बजट अधिवेशन के दौरान रेलवे सम्बन्धी कुछ बैठकों में यह प्रश्न उठाया गया था और शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं कि बड़े स्टेशनों पर लगभग सभी स्टेशन मास्टर कैंटीनों, पार्सलघरों तथा अन्य साधनों से भ्रष्ट तरीके अपना कर धन कमाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि कैंटीनों को और आगे किराये पर देने से यात्रियों पर भार पड़ता है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं । लेकिन स्टेशन मास्टरों के विरुद्ध समय-समय पर शिकायतें आती रहती हैं, जिनमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जाते हैं ।

(ख) शायद कैंटीन शब्द से अभिप्राय उन भोनालयों/स्टालों आदि से है, जो रेलवे स्टेशनों/गाड़ियों में ठेकेदार द्वारा चलाये जाते हैं । इन ठेकों को शिकमी पट्टे पर देना मना है । इन में मिलनेवाले खाद्य पदार्थ, भोजन, काफी आदि के भाव क्षेत्रीय रेल प्रशासनों द्वारा निश्चित किये जाते हैं और यात्रियों से इस प्रकार निश्चित भावों से अधिक पैसे नहीं लिये जा सकते ।

(ग) और (घ). जब कभी स्टेशन मास्टरों के विरुद्ध निश्चित शिकायतें मिलती हैं, उनकी पूरी जांच की जाती है और दोषी स्टेशन मास्टरों के विरुद्ध अनुशासन की कार्रवाई की जाती है । इसी प्रकार, भोजनालयों/स्टालों को शिकमी पट्टे पर देने के निश्चित मामलों की जो रिपोर्टें मिलती हैं, उनकी पूरी जांच की जाती है और जिन मामलों में यह सिद्ध हो जाता है कि ठेका शिकमी पट्टे पर दिया गया है, उनमें ठेके की शर्तों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है ।

बम्बई के निकट माल डिब्बे का लूटा जाना

3466. **श्री विश्वनाथ पांडेय :**

श्री दिगे :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 जुलाई 1966 को बम्बई में कोलवाडा तथा वडाला स्टेशनों के बीच झुग्गियों में रहने वालों ने मालगाड़ी के एक डिब्बे का ताला तोड़ लिया था और लगभग 14,000 रुपये के मूल्य के तांबे के पिण्ड लूट लिये थे ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा०राम सुभग सिंह): (क) जी हां ।

(ख) वारदात की सूचना मिलने पर, रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी घटना-स्थल पर जा पहुँचे और रेल पथ के पास की खाई और कुछ झाड़ियों में तलाश की, जिसके फलस्वरूप 13,200 रुपये मूल्य के तांबे की 132 सिल्लियां बरामद हुईं । जिन 4 अपराधियों पर चोरी का सन्देह था उनका पीछा करने में रेलवे सुरक्षा दल के कुत्ते 'रेक्सी' का भी उपयोग किया गया ।

सरकारी रेलवे पुलिस, कुर्ला ने चारों सन्देहास्पद अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 461/379 और 34 के अधीन अपराध सं०ए-105/66 के रूप में एक मामला दर्ज किया है । एहतियातन इस सेक्शन में रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र स्कन्ध के कर्मचारियों द्वारा गश्त लगायी जा रही है ।

गुन्टूर तथा रेपल्लि के बीच चलाये जाने वाले इंजन

3467. **श्री म० ना० स्वामी :**

श्री उमानाथ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुन्टूर तथा रेपल्लि (दक्षिण रेलवे) के बीच चलाये जाने वाले इंजनों की निर्धारित अवधि पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उनके स्थान पर अन्य इंजन न लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

जमालपुर क्षेत्र में रेलवे को धोखा देने का प्रयास

3468. **श्री राम सेवक यादव :** **श्री विश्वनाथ पांडेय :**

श्री मधु लिमये : **श्री बृजवासी लाल :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुछ ठेकेदारों की, रेलवे अधिकारियों की सांठ-गांठ से

जमालपुर क्षेत्र में जून, 1966 में रेलवे को 20,000 रुपये (20 मन) तथा 30,000 रुपये (2 टन, 400 किलोग्राम) के पीतल के बारे में धोखा देने की साजिश की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे सुरक्षा दल तथा अन्य एजेंसियों ने झाझा तथा जमालपुर यार्ड में इस पीतल से लदे हुए वैगन पकड़ लिये थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि मई, 1966 में जमालपुर में रेलवे वर्कशाप के द्वार संख्या 6 पर 30 मन पीतल पाया गया था;

(घ) क्या जुलाई, 1966 में जमालपुर में टूल तथा टिनप्लेट स्टोर में भी चोरी हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस गिरोह में शामिल अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मेसर्स भगवान दास मंगल प्रसाद द्वारा लादे गये एक माल डिब्बे की 5.7.66 को अचानक जांच करके 5179.91 रुपये की कीमत के 1.4 मीटरिक टन रद्दी ताम्बे की प्लेटों तथा पाइपों और 0.9 मीटरिक टन रद्दी पीतल की रेल-सम्पत्ति को चुराने की कोशिश बेकार कर दी गयी। इस मामले में रद्दी इंजनों और बायलरों के खरीदार मेसर्स भगवान दास मंगल प्रसाद और 3 रेलवे अधिकारियों पर गभीर साजिश का संदेह किया जाता है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां, फाटक नं० 7 पर, न कि फाटक नं० 6 पर।

(घ) जी हां।

(ङ) इस मामले में अभी तक किसी बड़े अफसर के शामिल होने का संदेह नहीं है। दूसरी ओर, कारखाने के कार्यभारी अफसर ने अचानक जांच का आदेश दिया था।

5.7.66 को जमालपुर में तीन रेलवे कर्मचारियों को चोरी करने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किये गये कर्मचारियों में एक चार्जमैन, एक भंडार सत्यापक (Verifier) और एक सहायक भंडारी (Store Keeper) हैं।

29.5.66 को फाटक नं० 7 पर 6 रेलवे कर्मचारियों को भी चोरी करने की कोशिश के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसका हवाला उपरोक्त उत्तर के भाग (ग) में दिया गया है। गिरफ्तार कर्मचारियों में 2 रेलवे सुरक्षा दल के रक्षक तथा 4 क्रेन कर्मचारी हैं। चोरी करने की कोशिश के सभी मामलों में पुलिस जांच कर रही है।

चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन में कर्मचारियों का स्थानान्तरण

3469. **श्री ह० च० सोय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन (दक्षिण पूर्व रेलवे) में, डिवीजनल

मुख्यालय में कार्यालय सहायकों तथा अन्य रेलवे कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या 10 से 15 वर्ष से भी अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्य कर रही है तथा उनका कभी स्थानान्तरण नहीं किया जाता है जबकि अपेक्षाकृत नये कर्मचारियों को शीघ्र ही स्थानान्तरित कर दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). जी हां। कार्यालय कर्मचारियों का आवधिक स्थानान्तरण नहीं किया जाता। लेकिन, जब मण्डल कार्यालय के किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण करना आवश्यक हो जाता है, तो सामान्यत: सबसे कनिष्ठ कर्मचारी को स्थानान्तरित किया जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि वरिष्ठ कर्मचारी उसी कार्यालय में बने रहते हैं।

मोर के पंखों का निर्यात

3470. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965-66 में अन्य देशों को मोर के पंखों का निर्यात बढ़ गया है और यदि हां, तो कितना ;

(ख) इन पंखों को इकट्ठा करने के लिये लगभग कितने मोरों को मारा जाता है; और

(ग) उक्त अवधि में इनके निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां। 1964-65 की तुलना में लगभग 2,000 किग्रा० की वृद्धि हुई है।

(ख) कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि केवल मोरों द्वारा गिराये गये पंखों का ही निर्यात किया जाता है।

(ग) 1965-66 में 1.38 लाख रु०।

रूस के साथ व्यापार

3471. **श्री उ० मु० त्रिवेदी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रूस के साथ एक समझौता किया है कि उस देश से भारत में किये गये आयात के लिये भारत अधिक राशि देगा और उस देश को भेजे गये माल का दाम कम लेगा;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते के परिणामस्वरूप भारत को कुल कितनी हानि हुई है; और

(ग) क्या किसी अन्य देश के साथ भी ऐसा ही समझौता किया गया है, जिसके साथ हमारा रुपयों में भुगतान करने का समझौता है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). भारतीय आयातक को, अपने संविदागत दायित्व के कारण, अवमूल्यन के पश्चात् अपनी चालू संविदाओं पर सोवियत रूस को 57.5 प्र० श० अधिक भुगतान करना पड़ा क्योंकि सोवियत रूस ने अपनी लगभग सभी निर्यात संबंधी संविदाओं में समताखण्ड शामिल किया हुआ था। सोवियत रूस ने भारतीय निर्यातकों के साथ की हुई अपनी संविदाओं में एक समझौता कर रखा था जिसके अनुसार हमारे विक्रेताओं पर निर्यात शुल्क अदा करने का दायित्व था। इन संविदाओं में विनिमय-परिवर्तन संबंधी खण्ड भी नहीं था। अतः कानूनी तौर पर सोवियत खरीदारों पर यह दायित्व नहीं था कि वे भारतीय निर्यातकों को अवमूल्यन-पूर्व रुपयों में की गयी संविदाओं की मूल कीमत से अधिक कीमत अदा करें जबकि उनकी सभी निर्यात सविदाओं पर उन्हें समान रूप से अतिरिक्त रकम मिल सकती थी। भारतीय निर्यातकों को काफी हानि उठानी पड़ती किन्तु उस करार के अनुसार जिसपर 11 जुलाई, 1966 को हस्ताक्षर हुये थे, इसे 47.5 प्रतिशत तक निष्प्रभावित कर दिया गया है। इसकी ओर भारतीय आयातक अपने संविदागत दायित्व के कारण 57.5 प्रतिशत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। अतः भारतीय निर्यातक को इस प्रकार से कोई हानि नहीं हुई है और भारतीय अर्थव्यवस्था को 47.5 प्रतिशत तक लाभ हुआ है।

(ग) युगोस्लाविया, पोलैण्ड, हंगरी, चैकोस्लोवाकिया, रूमानिया और बल्गारिया के साथ भी इसी प्रकार के करार किये गये हैं जिनमें केवल यह थोड़ा सा अन्तर है कि आयात तथा निर्यात दोनों में मूल्य-वृद्धि 57.5 प्रतिशत तक की जा सकती है।

रोपड़-नांगल डैम रेलवे सेक्शन पर सुविधायें

3472. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री 29 अप्रैल, 1966 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 4685 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे के रोपड़-नांगल सेक्शन पर यात्रियों तथा कर्मचारियों के लिए सुविधायें देने के मामले में क्या अग्रेतर प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : चालू वित्त वर्ष में यात्री और कर्मचारी सुविधा सम्बन्धी निम्नलिखित काम करने का विचार है :

(i) नांगल-डैम के यात्री-प्लेटफार्म पर शेड की व्यवस्था।

(ii) पहले और दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालयों में फ्लश व्यवस्था वाली टट्टियां।

(iii) नांगल-डैम में माल और पार्सल-सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार।

(iv) आनन्दपुर साहिब के यात्री-प्लेटफार्म पर शेड की व्यवस्था।

(v) कीरतपुर साहिब के तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय का विस्तार।

(vi) नांगल-डैम में रेकों की धुलाई के लिए जमीनी नल।

(vii) नांगल-डैम में 2000 वर्गफुट के तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय की व्यवस्था।

(viii) नांगल-डैम के स्टेशन के बाहर ड्योढ़ी, अमानती सामान घर, किताबों की दूकान, प्लेटफार्म पर और बेंचों और स्टेशन मास्टर के लिए अलग से एक कार्यालय की व्यवस्था ।

(ix) नांगल-डैम में सफाई व्यवस्था वाली मिली-जुली टट्टियों तथा पेशाब व नहाने की सुविधाओं की व्यवस्था ।

(x) आनन्दपुर साहिब में 4" व्यास का नलकूप लगाने के लिए 6" व्यास जमीन खोदने की व्यवस्था ।

उपर्युक्त मद (i) से (iv) तक के कामों की मंजूरी दे दी गयी है और दूसरे कामों के बारे में तखमीना लगाया जा रहा है । मद (x) का काम पूरा हो गया है ।

यदि रकम उपलब्ध हुई तो उपर्युक्त कामों के अलावा नांगल-डैम पर अतिरिक्त प्लेटफार्मों की व्यवस्था करने के काम को 1967-68 के निर्माण-कार्यक्रम में शामिल करने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

अत्यावश्यक वस्तुओं तथा खाद्यान्न नियंत्रण आदेश

3473. **श्री शिव चरण गुप्त :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री रामपुरे :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने अत्यावश्यक वस्तुओं तथा खाद्यान्न नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत जुलाई, 1966 में अनाज के व्यापारियों तथा अन्य लोगों पर छापे मारे थे;

(ख) यदि हां, तो इन छापों में कितनी मात्रा में अत्यावश्यक वस्तुएं पकड़ी गईं; और

(ग) इस सम्बन्ध में कौन-कौन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या आरोप हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) इन छापों में लगभग 307 बोरी अनाज और 207 लीटर मिट्टी का तेल पकड़ा गया ।

(ग) एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-6937/66]**

तकनीकी निरीक्षक

3474. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :**

श्री सिद्दय्या :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1947 में रेलवे में अधिकांश श्रेणियों के कर्मचारियों के

वेतन-मान 1931 से पहले के वेतन-मानों के बराबर कर दिये गये थे, जो कि 1931 के बाद की अवधि में देश में आई आर्थिक मन्दी के कारण हटाये गये थे; और

(ख) क्या रेलवे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रेणियों में से एक श्रेणी तकनीकी निरीक्षकों को उन वेतन-मानों से वंचित रखा गया है और आज भी (वेतन आयोग के पंचाट के अनुसार 1957-59 में महंगाई भत्ता मिला दिये जाने के बाद) उनके वेतन-मान 1931 से पहले के वेतन-मानों से कम हैं, हालांकि उनके उत्तरदायित्व बढ़े हुए हैं और उनकी सेवाएं देश के लिये अत्यन्त महत्व की हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी नहीं ।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए तकनीकी पर्यवेक्षकों को 1931 से पहले का वेतन-मान न देने का सवाल नहीं उठता । वास्तव में कुछ पर्यवेक्षकों का 1931 से पहले का वेतन-मान वर्तमान अधिकृत वेतन-मान से अधिक था और एक के बाद दूसरे नियुक्त किये गये वेतन-आयोगों ने इस कोटि के कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन-मान नियत करते समय इस तथ्य का भी ध्यान रखा ।

प्रोत्साहन योजनाएं

3475. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रोत्साहन योजनाओं से रेलवे प्रशासन को भारी लाभ हो रहा है और यदि हां, तो क्या रेलवे वर्कशापों में काम कर रहे फोरमैनों को, जो उक्त योजना की सफलता के लिए मुख्यत: उत्तरदायी हैं, उसके लाभों से वंचित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). रेल कारखानों में खर्च कम करने में आंशिक रूप से प्रोत्साहन योजना लागू करने तथा आंशिक रूप से वैज्ञानिक संगठन और योजना के अनुसार काम किये जाने के फलस्वरूप कुछ सफलता मिली है । ये दोनों योजनाएं साथ-साथ लागू की गयी थीं ।

रेल कारखानों में पर्यवेक्षण कार्य मिस्त्री और चार्जमैन के स्तर से लेकर वर्क्स मैनेजर और कुछ कारखानों में उप-मुख्य यांत्रिक इंजीनियर द्वारा किया जाता है । यद्यपि प्रोत्साहन योजना की सफलता के लिए सभी स्तर के पर्यवेक्षकों का सहयोजन और सक्रिय सहायता आवश्यक है, फिर भी स्पष्ट है कि मजदूरों के प्रयास से सीधे होनेवाले लाभों में भाग लेने का क्षेत्र केवल पर्यवेक्षण के सोपानों में सीमित स्तर तक ही बढ़ाया जा सकता है ।

भारतीय रेलों पर अपनायी गयी प्रोत्साहन-योजना में केवल पहली पंक्ति के पर्यवेक्षकों के लिए व्यवस्था की गयी है जो कि इस योजना में भाग लेनेवाले कुछ विशेष अनुभागों या

समूहों, जैसे मिस्त्री और चार्जमैन, के सीधे नियंत्रण में रहते हैं । इसके निम्न कारण हैं :

(i) पर्यवेक्षण के ऊँचे स्तर पर मजदूरों के सीधे प्रयास से सम्पर्क स्थापित करने की दूरी अधिकाधिक बढ़ती जाती है ।

(ii) मजदूरों के प्रोत्साहन-बोनस का हिसाब लगाने में बड़ी संख्या में प्रलेख तैयार करने पड़ते हैं । किसी संगठन में यह आवश्यक है कि ऐसे प्रलेखों की जांच ऐसा निष्पक्ष अधिकारी करे जो स्वयं बोनस-योजना में भाग न ले । रेल कारखानों में यह काम प्रत्येक कारखाने के कार्यभारी पर्यवेक्षक, जैसे फोरमैन या उसके सहायक द्वारा बहुत अच्छे ढंग से पूरा किया जा सकता है ।

तकनीकी निरीक्षक

3476. **श्री शिवमूर्ति स्वामी:**

श्री सिद्द्य्या:

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह जानते हैं कि अनुभवी तकनीकी निरीक्षकों की एक बड़ी संख्या अन्य सरकारी उपक्रमों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में अच्छी नौकरियां प्राप्त करने के लिए रेलवे की सेवायें छोड़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में इनकी संख्या क्या है;

(ग) क्या रेलवे अपने तकनीकी कर्मचारियों को अन्य स्थानों पर अधिक अच्छी नौकरी के लिए जाने की अनुमति देती है ; और

(घ) अनुभवी तकनीकी कर्मचारियों को रेलवे में बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). पिछले 5 वर्षों में केवल 292 तकनीकी पर्यवेक्षकों ने रेलवे की नौकरी छोड़ी है ।

(ग) जी हां, लेकिन कुछ शर्तों पर ।

(घ) ऐसे कर्मचारियों की संख्या अधिक नहीं है, इसलिए विशेष उपाय बरतने की आवश्यकता नहीं है ।

Export Houses

3477. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some business firms have been recognised as 'Export Houses' in order to promote exports ;

(b) if so, the number thereof; and

(c) the special facilities provided to them ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) Yes, Sir.

(b) So far 87 firms in all have been accorded recognition as Export Houses, but recognition is valid in respect of 83 Export Houses only.

(c) Recognised Export Houses are eligible for the following facilities :

(i) Lump sum releases of foreign exchange for business visits abroad by their representatives.

(ii) Grants-in-aid (under the Code of Grants-in-aid) for undertaking market surveys and export publicity and for participation in exhibitions abroad.

(iii) Grants-in-aid under the Code of Grants-in aid in cases where two or more Export Houses set up a joint foreign office or where an Export House and an approved organisation such as an Export Promotion Council set up a foreign office jointly.

(iv) Such other assistance or facilities as Government may decide to provide from time to time.

रेलवे विभाग में आई० बी० एम० आंकड़ों का परीक्षण करने की मशीनों के आपरेटर

3478. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० बी० एम० आंकड़ों का परीक्षण करने को पेचीदा मशीनों के आपरेटर तथा लेखे का आंकड़ों के साथ जोड़ने वालों को 15 रुपये विशेष वेतन मिल रहा है जोकि 20 वर्ष पहले मनमाने ढंग से निर्धारित किया गया था जबकि रेलवे कार्यालय में 'पावर सोमाजे' 'टेबुलेटिंग मशीनें' चालू की गई थीं;

(ख) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग, स्टेट बैंक आफ इण्डिया जैसे केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों तथा अन्य सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में ऐसे आपरेटरों को कितना वेतन दिया जाता है; और

(ग) क्या रेलवे बोर्ड इन मशीन आपरेटरों के वेतनक्रम में संशोधन करने पर विचार कर रहा है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) पावर सोमाजे और हौलरिथ आदि मशीनों पर काम करने वाले आपरेटरों को 15 रुपये प्रतिमास का जो विशेष वेतन दिया जाता है वह लगभग 10 वर्ष पहले कुछ भारतीय रेलों में आई० बी० एम० डेटा प्रोसेसिंग मशीनों का इस्तेमाल होने पर उनके आपरेटरों को भी दिया जाने लगा । विभिन्न प्रकार की मशीनों, जैसे पंच, वैरीफायर, सार्टर, टेबुलेटर, बुक कीपिंग मशीन, कैलकुलेटिंग मशीन आदि पर काम करने वाले आपरेटरों को प्रतिमास 15 रुपये का जो विशेष वेतन दिया जाता है, जगन्नाथ दास वेतन आयोग के सुझाव पर 1961 में उस पर फिर विचार किया गया और उस विशेष वेतन का दिया जाना जारी रखा गया । आई० बी० एम० मशीनों पर आंकड़ों के साथ लेखे का काम मिला देने के बाद यह विशेष वेतन जारी रखा गया है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों से सूचना मंगायी जा रही और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जी नहीं ।

आंध्र प्रदेश में अग्निगोन्डाला ताम्बा परियोजना

3479. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री वारियर :

श्री प्रभात कार :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश की अग्निगोन्डाला ताम्बा परियोजना का प्रबन्ध एक अमरीकी फर्म को सौंपने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना में अमरीकी फर्म के अंश कम ही होंगे; और

(ग) इस विदेशी फर्म को प्रबन्ध भार सौंपने के क्या कारण हैं ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) नहीं महोदय ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारी इंजीनियरी निगम, रांची

3480. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी इंजीनियरी निगम, रांची राज्य सरकार के सहयोग से, एक कच्चा लोहा उद्योग समूह स्थापित करने का विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने कारखाने स्थापित किये जायेंगे;

(ग) कौन-कौन से राज्य भारी इंजीनियरी निगम के साथ सहयोग करेंगे; और

(घ) क्या ये कारखाने चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किये जायेंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (घ) . हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि० के पास किसी भी राज्य सरकार का कच्चा लोहा उद्योग समूह स्थापित करने के बारे में कोई भी प्रस्ताव नहीं है । फिर भी कारपोरेशन ने क्रमश: चांदा और हिसार में कच्चे लोहे के संयंत्र स्थापित करने में सहयोग करने के लिए महाराष्ट्र और पंजाब की सरकारों से कहा है । मेसर्स उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम से उनकी तालमर परियोजना के लिये कारपोरेशन द्वारा सभी प्रकार की सहायता देने के आधार पर बातचीत शुरू कर दी गई है । इसमें कोक, कच्चा लोहा और उर्वरक आदि का उत्पादन शामिल है । किन्तु अभी तक कोई निश्चित समझौता नहीं हो सका है ।

कायमगंज में गाड़ी का रोका जाना

3481. **श्री पन्नालाल :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री बृजबासी लाल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ क्रुद्ध सवारियों द्वारा अपनाये गये धमकीपूर्ण रवैये के

कारण 29 जुलाई, 1966 को 17-अप कानपुर-कासगंज (पूर्वोत्तर रेलवे) सवारी गाड़ी को कायमगंज स्टेशन पर लगभग दो घण्टे के लिये रोका गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). माननीय सदस्यों का आशय संभवत: 117 अप कानपुर-कासगंज सवारी गाड़ी से है जो 28.7.1966 को कायमगंज स्टेशन पर खतरे की जंजीर खीचे जाने और गाड़ी के गार्ड के प्रति कुछ यात्रियों के धमकीपूर्ण रवैये के कारण एक घंटे से कुछ अधिक समय तक रुकी रही। स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों की मदद से एक बदमाश स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में पुलिस के संरक्षण में गाड़ी रवाना हुई। भारतीय रेल अधिनियम की 121/108/113 धाराओं के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया है और सरकारी रेलवे पुलिस उसकी जांच कर रही है।

निर्यात संवर्धन योजना

3482. **श्री मधु लिमये :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री बड़े :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री अल्वारेस :
श्री प्रभात कार :
श्री राम सेवक यादव :
श्री तुलसी दास जाधव :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री मौर्य :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री बागड़ी :
श्री अ० व० राघवन :
डा० उ० मिश्र :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत कौन सी फर्मों, कम्पनियों ने अब तक सामान का निर्यात किया है ;

(ख) इन फर्मों ने कितनी विदेशी मुद्रा (एक) अर्जित की है, (दो) उनके नाम में कितनी राशि बकाया है और (तीन) सरकार ने कितनी राशि वसूल की है;

(ग) क्या इन फर्मों को इस निर्यात पर कोई प्रोत्साहन लाइसेंस दिये गये थे;

(घ) इनमें से कितनी फर्में अब मौजूद हैं ;

(ङ) उनको ये लाइसेंस दिये जाने से पहले उनकी पूंजी कितनी थी और उनका कारोबार कितना था; और

(च) इन फर्मों द्वारा कमाई गई विदेशी मुद्रा को बरामद करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) देश के सभी निर्यातकों ने निर्यात संवर्धन योजनाओं और निर्यात के विभिन्न कार्यक्रमों की व्यवस्था के अधीन वस्तुओं का निर्यात किया।

(ख) भारत के सभी निर्यातक वस्तुओं का निर्यात करते हैं किन्तु उनके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं अथवा आमदनी का फर्मवार ब्योरा रखा नहीं जाता है। किसी योजना के अधीन अथवा किसी अन्य तरीके से प्राप्त की गयी समस्त निर्यात-आमदनी पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सामान्य निगरानी रखी जाती है और उसका पीछा किया जाता है तथा बकाया रकम की वसूली के लिये सजा दी जाती है अथवा चूक के लिये दण्ड दिया जाता है। अब तक की गयी सम्पूर्ण जांच से प्रकट होता है कि देश के लगभग तीन से चार लाख निर्यातकों में से लगभग 200 से कम निर्यातकों ने आंशिक अथवा पूर्ण रूप से चूक की। यह पता लगा है कि लगभग पिछले दस वर्षों में कमायी गयी कुल लगभग 6800 करोड़ रु० की आमदनी में से उसी अवधि में कुल 6 करोड़ रु० से कम रकम वसूल नहीं हुई। चूककर्त्ता फर्मों को काली सूची में शामिल कर लिया गया है और कुछ ऐसे मामलों में अभियोग चलाने पर विचार किया जा रहा है जिनके बारे में ठोस आपराधिक कार्रवाई के लिये साक्ष्य उपलब्ध हो।

(ग) से (च). जहां तक प्रोत्साहन लाइसेंसों का संबंध है सभी आयात लाइसेंसों का ब्योरा आयात एवं निर्यात के मुख्यनियंत्रक के साप्ताहिक बुलेटिन में प्रकाशित किया जाता है। जहां फर्मों द्वारा विदेशी मुद्रा नहीं दी गयी हो, जैसा कि (ख) में दिखाया गया है, वहां या तो उनके अगले आयात लाइसेंसों में से प्रोत्साहन मूल्य को काट लिया जाता है अथवा काली सूची में उन्हें शामिल करने के अतिरिक्त उन पर गैर-वसूली का अभियोग चलाने पर विचार किया जाता है। इन फर्मों अथवा अन्य निर्यातकों अथवा व्यापार गृहों की पूंजी अथवा अन्य विशिष्ट विवरणों का कोई भी ब्योरा सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है। यदि माननीय सदस्यगण विशेष फर्म/फर्मों के बारे में किसी प्रकार के ब्योरे को जानने के इच्छुक हों तो मन्त्रालय द्वारा इस प्रकार का विशिष्ट ब्योरा एकत्र करने के प्रयत्न किये जा सकते हैं।

Murder of a Gateman at Kurukshetra

3483. **Shri Bade:** **Shri Omkar Singh:**
Shri Yudhvir Singh: **Shri Solanki:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some miscreants killed a Gateman at Kurukshetra check post of the Northern Railway on the night between the 18th and 19th July, 1966 ;

(b) if so, the number of persons arrested in this connection ; and

(c) the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes. The Gateman was, however, found murdered near Gate No. 64, situated between Kurukshetra and Thaneshwar City and not at Kurukshetra check post.

(b) Two persons have been arrested so far and efforts are being made to arrest the third one who is absconding.

(c) Government Railway Police, Kurukshetra have registered a criminal case under Section 302 I.P.C. Investigation is still in progress.

बरेली में जूता और चप्पल उद्योग

3484. **श्री किशन पटनायक :** **श्री बड़े :**
श्री मधु लिमये : **श्री युद्धवीर सिंह :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बरेली के चमड़े से भिन्न जूता और चप्पल उद्योग में आये संकट की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या जूते बनाने वाले अनेक लोग बेरोजगार हो गये हैं; और

(ग) क्या जूते बनाने वालों के पुनर्वास के लिये उनको कोई सहायता दी जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) . सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

नमक उपकर

3485. **श्री किशन पटनायक :** **श्री बड़े :**
श्री मधु लिमये : **श्री युद्धवीर सिंह :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र में थाना जिले में वैसीन तालूक में नमक क्षेत्रों पर किसी प्रकार का नमक उपकर लगाया है;

(ख) क्या यह सच है कि नमक क्षेत्र (मिथागार) क्षेत्र में कुछ गांवों के लोगों को पीने के जल की अत्यन्त कठिनाई अनुभव हो रही है;

(ग) क्या उन गांवों की इस आशय की कोई प्रार्थना अथवा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि उक्त नमक उपकर का कुछ भाग उन गांवों की पंचायतों को दिया जाये ताकि वे पीने के जल की व्यवस्था कर सकें; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में कब निर्णय किया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां । नमक पर उपकर नमक कर अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत सहकारी समितियों तथा नमक बनाने के ऐसे कारखानों को छोड़ कर जिनका क्षेत्रफल 4.04686 हैक्टर से अधिक न हो, अन्य सभी प्रकार के लाइसेंस प्राप्त नमकके कारखानों पर लगता है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) . नमक कर की आय से 2. 5 लाख रु० की राशि भारत सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार की जल सम्भरण योजना को कार्यान्वित करने के लिए मंजूर कर दी गई है ।

कते रेशम के कारखाने

3486. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कते रेशम के कारखानों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या वे लाभ में चल रहे हैं अथवा घाटे में तथा कितने लाभ अथवा घाटे में;

(ग) क्या कते रेशम के और अधिक कारखानों की मांग है और यदि हां, तो किन स्थानों में; और

(घ) क्या कते रेशम के विद्यमान कारखानों की आवश्यकता पूरी करने के लिये पर्याप्त मात्रा में रद्दी रेशम मिल जाता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) दो-एक मैसूर राज्य के चन्नापटना में तथा दूसरा असम के जगी रोड में ।

(ख) गत तीन वर्षों की सूचना नीचे दी जाती है :

(लाख रुपयों में)

वर्ष	चन्नापटना में कते रेशम के सरकारी कारखाने लाभ अथवा हानि	असम के जगी रोड में कते रेशम के कारखाने लाभ अथवा हानि
1963-64	4.05 लाभ	4.99 हानि
1964-65	4.00 ,,	0.12 लाभ
1965-66	अप्राप्त	0.44 ,,

(ग) जी, हां । बिहार तथा पश्चिमी बंगाल सरकारों ने अपने राज्यों में एक-एक कते रेशम के कारखाने खोलने का प्रस्ताव दिया है ।

(घ) जी, हां ।

जोधपुर तथा बीकानेर डिवीजनों के रेलवे लेखा विभाग में प्रथम श्रेणी के लिपिक

3487. **श्री प० ला० बारूपाल :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी रेलवे के जोधपुर और बीकानेर डिवीजनों के रेलवे लेखा विभाग में प्रथम श्रेणी के लिपिकों को सीधे भर्ती किया जाता है और विभाग में पहले से कार्य कर रहे स्नातकों को जिनको दो से पांच वर्ष का अनुभव भी है, अवसर नहीं दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

Processing of Lignite in Khari Village, Rajasthan

3488. **Shri P. L. Barupal :**
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the results achieved in the processing of Lignite which was started in Khari Village of District Bikaner, Rajasthan ; and

(b) the amount expended on the processing of Lignite so far and the quantity of Lignite expected to be obtained as a result thereof ?

The Minister of Mines and Metals (Shri S. K. Dey) : (a) There was no processing as such of Lignite. Investigations carried out in Khari Village have proved the presence of lignite shale.

(b) An expenditure of Rs. 1,35,000/- has been incurred so far on these investigations. The Lignite reserves estimated are of the order of 3·5 million tonnes.

Special Trains between Bhatinda and Nokha

3489. **Shri P. L. Barupal :**
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railway Administration propose to run special trains between Bhatinda and Nokha for the convenience of the passengers intending to see the famous Jambaji fair in District Bikaner, Rajasthan ; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). No. The quantum of traffic offering on the occasion of Jambaji fair is not such as to warrant running of special trains. However, the scheduled trains running on the section will be augmented, subject to the offering of adequate traffic on this occasion.

Assistant Personnel Officers on the Northern Railway

3490. **Shri P. L. Barupal :**
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Northern Railway Administration prepared a final panel in May, 1962 for filling up the vacancies of Assistant Personnel Officers (A.P.Os.), which was finally announced in July, 1963 ;

(b) the number of persons who have been appointed as A.P.Os. from that panel and the number of those who are still on the panel ;

(c) whether it is a fact that after the panel had been prepared, three employees from other Railway Administrations and other places were transferred to the Northern Railway and appointed to the posts of A.P.Os.; and

(d) if so, the reasons for the same?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes.

(b) 8 persons were placed on the panel and all of them have been appointed as A.P.Os. There is none on the panel now.

(c) Yes.

(d) The transfers were made on administrative grounds to fill some existing vacancies.

सियालदाह इलेक्ट्रिक रेलगाड़ियों से लगे हुए डिब्बे

3491. **डा० रानेन सेन :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री प्रभात कार :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के दक्षिण उपनगरीय सेक्सन में सियालदाह इलैक्ट्रिक ट्रेन्स के साथ बहुत कम डिब्बे लगे होते हैं जिसके परिणामस्वरूप पास वाले दैनिक यात्रियों (कम्यूटरों) में असन्तोष उत्पन्न हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो पूर्व रेलवे के दक्षिण सेक्शन में सियालदाह से चलने वाली स्थानीय उपनगरीय गाड़ियों में काफी संख्या में डिब्बे लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) . पुराने ढंग के डिब्बों के मुकाबले बिजली गाड़ी के डिब्बों में लगभग दुगुनी जगह होती है और बिजली गाड़ी चलाने के फलस्वरूप पूर्व रेलवे में सियालदाह डिवीजन के दक्षिणी उपनगरीय खण्ड पर कुछ बिजली गाड़ियों में डिब्बों की संख्या कम कर दी गयी थी। लेकिन ऐसा करने से उपनगरीय यात्रियों के लिए कुल मिलाकर जितनी जगह उपलब्ध थी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बिजली गाड़ी चलाने के फलस्वरूप गाड़ियों की संख्या बढ़ा दी गयी है और इससे उपनगरीय यात्रियों के लिए अधिक सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। इसकी वजह से परिवहन व्यवस्था के स्वरूप में जो मामूली परिवर्तन हुआ है उसके अनुसार समंजन करने में यात्रियों को कुछ असन्तोष हुआ।

25 जुलाई, 1966 से बिजली गाड़ी चलाने के बाद जो अनुभव हुआ, उसके आधार पर जनता की सुविधा के लिए कुछ छोटे-मोटे समंजन किये गये हैं, जैसे अतिरिक्त स्टेशनों पर गाड़ियों का ठहराव, अतिरिक्त गाड़ियां चलाना आदि। उपनगरीय यात्री इस परिवर्तन व्यवस्था से अब सामान्यत: सन्तुष्ट हैं। अन्य खण्डों पर भी बिजली गाड़ियों का विस्तार किया जा रहा है और इससे गाड़ियों की व्यवस्था में और सुधार होगा।

Power Controllers and Assistant Loco Foremen

3492. **Shri Y. D. Singh:** **Shri Kashi Ram Gupta:**
Dr. L. M. Singhvi: **Shri Bade:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Power Controllers and Assistant Loco Foremen (Running) appointed in 1963 through the North-Eastern Railway Selection Board, Allahabad, and who have completed 5 years foot plate duty, have been considered suitable for the post of C. and B. Grade drivers;

(b) whether it is also a fact that even such persons were called for this selection who did not fulfil the above-mentioned conditions;

(c) whether it is also a fact that some employees of Varanasi Mandal have complained against it to the Officers concerned; and

(d) if so, the action taken by Government in this connection?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) No. Power Controllers and Assistant Loco Foremen (Running) are in higher grades than 'C' and 'B' Grade Drivers. The question of their promotion as such does not arise.

(b) Does not arise.

(c) No such complaint has been received.

(d) Does not arise.

दक्षिण रेलवे में स्टेशन मास्टर तथा असिस्टेंट स्टेशन मास्टर

3493. **श्री मनोहरन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण रेलवे के स्टेशन मास्टरों तथा असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों को उनकी वरिष्ठता के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला था और यदि हां, तो कब तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय तथा मद्रास के रेलवे प्राधिकारियों की हिदायतों के विरुद्ध स्टेशन मास्टरों में जो सैनिक थे उनको अन्य स्टेशन मास्टरों के ऊपर अनुचित वरिष्ठता दी गई थी ;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड को इस सम्बन्ध में एक असिस्टेंट स्टेशन मास्टर द्वारा केरल उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई लेख याचिका तथा उस पर किये गये निर्णय की जानकारी है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। समय-समय पर रेल-प्रशासन को इन कर्मचारियों के अभ्यावेदन मिले थे, और उन पर यथोचित विचार किया गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) . जी हां। उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार रेल प्रशासन अपेक्षित कार्यवाई कर रहा है।

बरहामपुर रेलवे स्टेशन पर उपरि पुल

3494. **श्री मोहन नायक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने दक्षिण पूर्व रेलवे के बरहामपुर रेलवे स्टेशन के निकट एक उपरि पुल बनाने के लिए कोई राशि मंजूर की है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं, क्योंकि इस काम के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

Sleeping Berths and Reservation of Seats from Delhi to Bhubaneshwar

3495. **Shri Mohan Nayak** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no provision for sleeping berths and reservation of seats for the passengers travelling by Third Class in the bogie running directly between Delhi and Bhubaneshwar ; and

(b) if so, whether Government propose to provide necessary amenities to obviate the difficulties of the long distance passengers travelling by Third Class ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b) A bi-composite Ist and IIIrd class coach is running between Delhi and Bhubaneshwar. This type of coach provides only sitting accommodation in the 'T' portion. It is not, therefore, feasible to provide sleeper berths to passengers in this coach. Instructions have, however, been issued to the Railway Administrations to reserve the seats in the 'T' portion only for passengers travelling over 500 Kms.

Sheds over Railway Platforms

3496. **Shri Rameshwaranand** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sheds are proposed to be provided on the platforms at Samalka, Damana, Babarpur, Kohand, Gharaunda and Bazida, railway stations in order to protect the passengers waiting for the trains from cold, heat and rains ;

(b) if so, when these sheds are likely to be provided ; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative the reasons for not providing these sheds ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No,

(b) Does not arise.

(c) The quantum of passenger traffic dealt with at present, at these stations does not justify according to the yard stick followed by Railways, the provision of cover over platforms. However, waiting halls have been provided at these stations to serve the needs of the waiting passengers and these arrangements are considered adequate for the present.

अपर क्लास के कंडक्टरों के मुख्यालय का वालटेयर से खुर्दा रोड में स्थानान्तरण

3498. **श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपर क्लास के कंडक्टरों का मुख्यालय वालटेयर से बदल कर खुर्दा रोड में कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या यह निर्णय लेने से पहले वालटेयर डिवीजन के अधिकारियों से परामर्श किया गया था ;

(घ) क्या जनता तथा कर्मचारियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे; और

(ङ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) . जी हां, यह कार्य-कुशलता और मितव्ययिता के हित में किया गया है ।

(ग) सवाल नहीं उठता, क्योंकि इन पदों का नियंत्रण मुख्यालय द्वारा होता है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) इस विषय पर पुनर्विचार किया गया था, लेकिन पूर्ववर्ती आदेश में परिवर्तन करने का कोई औचित्य नहीं था ।

तैयार इस्पात के लिये आयात अधिकार लाइसेंस

3499. **श्री काजरोलकर :**
श्री सिद्दय्या :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई से रद्दी लोहे के निर्यातक कलकत्ता स्थित लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक से रद्दी लोहे के निर्यात के बदले में इस्पात की वस्तुओं के लिये आयात अधिकार लाइसेंस प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे लाइसेंस लोहा तथा इस्पात उप-नियन्त्रक बम्बई के माध्यम से जारी न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस स्थिति का पुनर्विलोकन करने तथा बम्बई (पश्चिम खण्ड)

से रद्दी लोहे के निर्यातकों को बम्बई स्थित लोहा तथा इस्पात उप-नियंत्रक के माध्यम से ऐसे आयात लाइसेंस जारी करवाने का है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि लाइसेंस मेटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन की सिफारिशों पर दिये जाते हैं जिसका कार्यालय कलकत्ता में स्थित है, रद्दी लोहे के निर्यात के बदले में इस्पात की वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस जारी करने के काम का केन्द्रीयकरण किया गया है और यह काम कलकत्ता स्थित लोहा और इस्पात नियंत्रक का कार्यालय करता है। यह प्रबन्ध सन्तोषजनक ढंग से चल रहा है। इससे मेटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन की एक ही सिफारिश पर एक से अधिक लाइसेंस जारी किये जाने का खतरा भी कम है।

(ग) जी, नहीं।

तैयार इस्पात के लिये आयात लाइसेंसों का जारी किया जाना

3500. **श्री काजरोलकर :**
श्री सिद्दय्या :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई स्थित लोहा तथा इस्पात उप-नियंत्रक, रद्दी लोहे के उन निर्यातकों को, जिन्हें उनके रद्दी लोहे के निर्यात के आधार पर इस्पात की कुछ तैयार वस्तुएं आयात करने की अनुमति है, उनके आवेदनपत्रों पर लाइसेंस नहीं दे रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि लाइसेंस मेटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन की सिफारिशों पर दिये जाते हैं जिसका कार्यालय कलकत्ता में स्थित है, रद्दी लोहे की निर्यात के बदले में इस्पात की वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस जारी करने के काम का केन्द्रीयकरण किया गया है और यह काम कलकत्ता स्थित लोहा और इस्पात नियंत्रक का कार्यालय करता है। यह प्रबन्ध सन्तोषजनक ढंग से चल रहा है। इससे मेटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन एक ही सिफारिश पर एक से अधिक लाइसेंस जारी किये जाने का खतरा भी कम है।

कौपर कंडक्टर प्लांट

3501. **डा० चन्द्रभान सिंह :** **श्री वाडीवा :**
श्री उ० मू० त्रिवेदी : **श्री पाराशर :**
श्री शिवदत्त उपाध्याय :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राजकीय उद्योग निगम ने हैवी इलैक्ट्रिकल्स, भोपाल के सहायक

उद्योग के रूप में 'कवर्ड कापर कन्डक्टर प्लांट' का निर्माण करने के लिये, जिसके बारे में पहले आशय पत्र जारी किया गया था, औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो यह मामला इस समय किस अवस्था में है और सरकार लाइसेंस मंजूर करने में क्या कठिनाई अनुभव कर रही है ; और

(ग) इस मामले के कब अन्तिम रूप से तय किये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) . जी, हां। सच यह है कि मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम लि० को 12,000 टन प्रति वर्ष कागज चढ़ी पट्टियां (कवर्ड कापर कन्डक्टर) बनाने के लिये हेवी इलेक्ट्रिकल्स, भोपाल के सहायक के रूप में अक्तूबर, 1964 में एक आशय-पत्र जारी किया गया था। लाइसेंस निम्नलिखित बातों के बारे में सरकार के सन्तोष के अनुसार अन्तिम रूप से प्रबन्ध कर लिये जाने के बाद जारी किया जाना था :

1. विदेशी सहयोग ;
2. संयंत्र और मशीनों का आयात ; तथा
3. पूंजी जारी करना।

मध्य प्रदेश उद्योग निगम विदेशी सहयोग / संयंत्र और मशीनों के आयात के लिये जापान और फ्रांस की फर्मों से पत्र-व्यवहार कर रहा था और उसने विदेशी सहयोग / संयंत्र और मशीनों के आयात के बारे में हाल ही में मंजूरी के लिये अपने प्रस्ताव भेजे हैं। इन प्रस्तावों की फिलहाल तकनीकी सलाहकारों (तकनीकी विकास का महा-निदेशालय) द्वारा जांच की जा रही है। सरकार के सन्तोष के अनुसार इन विचाराधीन मसलों के तय होते ही औद्योगिक लाइसेंस जारी कर दिया जायगा।

1 D.R. Shuttle Train at Asthal Bohar Station

3502. **Shri Jagdev Singh Siddhanti:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the complaint of the incident which occurred with 1 D. R. Shuttle Train at Asthal Bohar Railway Station (Northern Railway) on the 4th August, 1966, along with its details, which was sent by the Daily Passengers Association Rohtak, has been received;

(b) whether any inquiry has been conducted into the said incident and action taken in the matter; and

(c) if so, the result thereof?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) An enquiry held in this regard has established that the incident in question took place owing to failure of the train engine. Disciplinary action has been initiated against the staff at fault. Action is also being taken on other points mentioned in the complaint.

रेलवे की नकद राशि का गुम हो जाना

3503. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री बृजबासी लाल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 8 अगस्त, 1966 को बीकानेर रेलवे स्टेशन पर भटिंडा बीकानेर रेलगाड़ी से जब नकदी की पेटी (कैश बाक्स) उतारी जा रही थी तो उससे पश्चिम रेलवे की 20,000 रुपये की राशि गुम पाई गई; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, लेकिन वह नकद रकम उत्तर रेलवे की थी और हानि 20,000 रुपये की नहीं, बल्कि 15, 713 रुपये 79 पैसे की हुई। इसका पता बीकानेर स्टेशन पर 8.8.66 को नहीं, बल्कि 7.8.66 को लगा।

(ख) इस मामले की रिपोर्ट बीकानेर की सरकारी रेलवे पुलिस को की गयी और उस ने इस सम्बन्ध में दो संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। अभी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। एक विभागीय समिति भी इस मामले की जांच कर रही है।

काजू का छिलका उतारना

3504. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इटली की एक फर्म ने हाल ही में मशीन द्वारा काजू का छिलका उतारने की प्रक्रिया को पेटेंट करा लिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि काजू पैदा करने वाले पूर्व अफ्रीकी देशों का जहां से काजू का भारत में अधिकतर आयात किया जाता है, इटली की इस प्रक्रिया को अपनाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इससे जो प्रभाव पड़ेगा क्या काजू बोर्ड ने उस पर विचार कर लिया है; और

(घ) क्या अपने देश में काजू पैदा करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ताकि हमें आयात पर निर्भर न रहना पड़े ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) . जी, हां।

(ग) कोई काजू बोर्ड नहीं है परन्तु सरकार ने इसके प्रभावों पर विचार किया है।

(घ) जी, हां।

भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग

3505 **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागपुर स्थित भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के खोज कक्ष में बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण किये जाने और इस प्रकार नागपुर कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या कम किये जाने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु०कु० डे) : (क) और (ख). भारतीय खान ब्यूरो के पूर्वेक्षण स्कंध की भारतीय भौमकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थानान्तरण करने तथा खनिजों के अन्वेषण के हेतु एक संयुक्त संस्था स्थापित करने के निर्णय के फलस्वरूप अभी तक नागपुर में नियुक्त भारतीय खान ब्यूरो के कर्मचारी गणों को कई सर्किल कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अनुसंधान परियोजनाओं में पुनरसंगठन की योजना के अनुसार लगाया जायगा। योजना की रूपरेखा बनाई जा रही है इससे सम्बन्धित स्टाफ का स्थानान्तरण आवश्यक हो जायगा ।

भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग में खान अधिनियम को लागू करना

3506 **श्री अ०क० गोपालन** : क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खान ब्यूरो (भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग-खोज स्कन्ध) के कर्मचारी छिद्र और खनन से सम्बन्धित विभिन्न कामों को करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विभाग में खान अधिनियम लागू किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु०कु० डे): (क) भारतीय भौमिकी विभाग के खोज-स्कंध के तकनीकी कर्मचारी मुख्यत: पूर्वेक्षण कार्य में लगाए जाते हैं जहां प्राय: व्यधन कार्य किया जाता है । तथा कुछ दशाओं में अन्वेषणात्मक खनन भी ।

(ख) और (ग). माइन्स एक्ट की केवल 7, 8, 9, 44, 45 और 46 धाराएँ जो खानों के निरीक्षण, कार्य-समय, तथा स्त्रियों और बच्चों को काम पर लगाने से संबंध रखती हैं, भारतीय भौमिकी विभाग के खोज स्कंध के पूर्वेक्षण कार्यों पर लागू होती हैं । परन्तु अन्वेषणात्मक खनन के कार्य में लगे हुए कर्मचारियों पर माइन्स एक्ट पूर्णत: लागू होता है ।

भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों को फील्ड संस्थान भत्ता

3507. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग (खोज स्कन्ध) के चतुर्थ श्रेणी के कर्म-

चारियों को फील्ड संस्थान भत्ता दिया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या उसी स्कन्ध के प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों को यह भत्ता दिया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस भेद-भाव के क्या कारण हैं ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे): (क) और (ख). वर्तमान आदेशानुसार यह भत्ता केवल 1, 2 तथा 3 श्रेणी के अधिकारियों को विशिष्ट दशाओं में दिया जाता है । इस भत्ते के दिये जाने का आधार यह है कि कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाय ताकि वे क्षेत्रों में कर्त्तव्य पालन के लिए चपरासियों तथा कुलियों की सहायता प्राप्त कर सकें । यह भत्ता उपरोक्त अभिप्राय तथा भत्ता देने का प्रयोजन पूरा न होने के कारण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नहीं दिया जाता ।

(ग) और (घ). यह भत्ता श्रेणी 1 के सब कर्मचारियों को देय नहीं है अपितु केवल उन अधिकारियों को दिया जाता है जो कि लगातार 30 दिन की अवधि से अधिक क्षेत्र में कार्य करते हैं ।

भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

3508. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री इम्बीचिबावा :
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग (खोज स्कन्ध विंग) के फील्ड में तैनात कर्मचारियों को पहले पूरी दरों पर मकान किराया तथा शहर प्रतिकर भत्ता दिया जाता था ;

(ख) क्या यह भत्ता हाल में बन्द कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे): (क) हां, महोदय । भारतीय भौमिकी विभाग के खोज स्कन्ध के वर्तमान कर्मचारी भारतीय खान ब्यूरो के स्थानान्तरण की तिथि तक क्षेत्रीय कार्य पर नियुक्त होने की दशा में पूरी दर पर हाउस रैंट और सिटी कम्पैसेट्री एलाउंस पा रहे थे ।

(ख) और (ग). नहीं, महोदय । इन अधिकारियों के सम्बन्ध में यह एलाउंस बंद नहीं हुए हैं । भारतीय भौमिकी विभाग के कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियमों से समानता बनाये रखने के उद्देश्य से इसकी दर घटाकर पूरी दर की 2/3 कर दी गई है तथापि सरकार क्षेत्रीय

कार्यों पर नियुक्त समस्त कर्मचारियों के लिए पूरी दर पर यह एलाउंस फिर से दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

भारतीय खान ब्यूरो के कर्मचारी

3509. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री इम्बीचिबावा :
श्री कोल्ला वैंकैया :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खान ब्यूरो (अब भारतीय भूतत्वीय ब्यूरो खोज स्कन्ध विंग) में दैनिक मजूरी के आधार पर मस्टर रोल वाले कितने कर्मचारी रखे गये हैं;

(ख) उन्हें कितनी अवधि के लिए रखा गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें नियमित कर्मचारी बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे): (क) 3,260।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) और (घ). मस्टर रोल कर्मचारियों की नियमित रिक्त स्थानो पर नियुक्ति ऐसे रिक्त स्थानों के उपलब्ध होने तथा सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा विभिन्न स्थानों के भर्ती नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर निर्भर है। संभाव्य कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाती है। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में तीसरी और चौथी श्रेणी के कुल 888 स्थानों पर 281 स्थान मस्टर रोल कर्मचारियों की नियमित स्थानों में नियुक्ति के विषय में इसी प्रकार समय-समय पर विचार किया जायगा।

भारतीय खान ब्यूरो के कर्मचारियों के लिए मजूरी

3510. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री इम्बीचिबावा :
श्री कोल्ला वैंकैया :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खान ब्यूरो अब भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण खोज स्कन्ध (विंग) के मस्टर रोल वाले कर्मचारियों को न्यूनतम मजूरी कितनी दी जाती है;

(ख) ये मजूरी उन्हें किस तारीख से दी जाती है; और

(ग) क्या सरकार का विचार मजूरी की दर बढ़ाने का है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे): (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(ग) विषय विचाराधीन है ।

भारतीय खान ब्यूरो का भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग में विलय

3511. **श्री इम्बीचिबावा :**

श्री अ० क० गोपालन :

श्री कोल्ला वैंकैया :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खान ब्यूरो का भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग में विलय सम्बन्धी कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) क्या भूतपूर्व भारतीय खान ब्यूरो के कर्मचारियों को पदोन्नति और स्थायीकरण के सभी अवसर मिलते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे): (क) से (ग). भारतीय खान ब्यूरो का भारतीय भौमिकी विभाग के साथ विलय नहीं हुआ है । केवल भारतीय खान ब्यूरो का कोल स्कंध भारतीय भौमिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थानान्तरित कर दिया गया है जहां उसे खनिज संचयों के प्रारम्भिक अन्वेषण के लिए उत्तरदायी संस्था के साथ एकीकृत किया जायेगा । इन संस्था सम्बन्धी विनिमयों के उपलक्षणों का परीक्षण किया जा रहा है तथापि यथासंभव यह प्रयत्न किया जायगा कि स्थानान्तरण से प्रभावित होने वाले कर्मचारीगण के पदोन्नति और स्थायित्व के अवसरों पर हानिकारक प्रभाव न पड़े ।

प्याज का निर्यात

3512. **श्री मुथिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उनके मन्त्रालय के दिनांक 25 मार्च, 1965 के पत्र संख्या 14/43/64-एक्सपोर्ट, के अनुसार तूतीकोरिन और बम्बई के दोनों मंडलों (चैम्बर्स) को श्री लंका को प्याज के सुस्थापित निर्यातकों के रूप में मान्यता देगी;

(ख) क्या तूतीकोरिन और बम्बई के निर्यातकों की मूल्य निर्धारण समिति नियुक्त की जायेगी; और

(ग) क्या तूतीकोरिन और बम्बई के मंडल बराबर मात्रा (50:50) के आधार पर प्याज का निर्यात करेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) जी, नहीं। स्थिति में आगे और परिवर्तन हो जाने के कारण ऐसा करना आवश्यक नहीं समझा गया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में सिलिका रेत के खनिज भण्डार

3513. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में सिलिका रेत भण्डारों का पता लगाने के लिए हाल में वहां (उड़ीसा) कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सामग्री का उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे): (क) नहीं, महोदय।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केसिंगा और रायगडा स्टेशनों पर उपरि पुल

3514. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के केसिंगा और रायगडा स्टेशनों पर उपरि पुल बनाये जाने के प्रश्न पर इस बीच विचार करके अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इनका निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) (i) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय हो चुका है कि केसिंगा स्टेशन पर ऊपरी सड़क-पुल कहां बनाया जाये और रेल प्रशासन अब पुल-संरचना का अभिकल्प और नक्शे तैयार कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा इनका अनुमोदन कर दिये जाने के बाद रेल प्रशासन ब्योरेवार अनुमान तैयार करके राज्य सरकार को भेजेगा ताकि निर्माण-कार्य हाथ में लिये जाने से पहले वह अनुमानित खर्च के सम्बन्ध में अपनी स्वीकृति दे दे और रकम की व्यवस्था करे।

(ii) रायगडा स्टेशन पर ऊपरी सड़क-पुल बनाने के प्रस्ताव पर अभी राज्य सरकार ने अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया है।

(ख) अभी से कुछ कहना असामयिक होगा।

उड़ीसा में रेलवे लाइनें

3515. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उड़ीसा राज्य में रेलवे लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है, तथा उनके निर्माण पर कितना खर्च आने का अनुमान था और कितना धन खर्च किया गया है ; और

(ख) इस राज्य में चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में रेलवे कार्यक्रम क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) **तीसरी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में निर्मित लाइनें**

(i) सम्बलपुर—टिटिलागढ़ बड़ी लाइन—लागत लगभग 14.59 करोड़ रुपये।

(ii) बिमलागढ़—किरिबुरु बड़ी लाइन—लागत लगभग 5.93 करोड़ रुपये।

ऊपर बतायी गई लाइनों के अलावा कोट्टवलासा और बैलाडिल्ला के बीच जो नयी लाइन बन रही है, उसका भी एक हिस्सा उड़ीसा राज्य में पड़ता है। इस लाइन की अनुमानित लागत 55.32 करोड़ रुपये है और जुलाई, 1966 के अन्त तक कुल मिला कर 94.80% काम हो चुका है।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में नयी लाइनों के निर्माण के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप देना बाकी है।

उड़ीसा में लघु उद्योग

3516. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान लघु उद्योगों में प्रशिक्षण के लिये उड़ीसा से कितने व्यक्तियों को विदेश भेजा गया ; और

(ख) इनको किन-किन देशों में भेजा गया ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख). एशियाई उत्पादिता संगठन कार्यक्रम के अन्तर्गत 21-6-1965 से 14-8-65 तक जापान में हुए लघु उद्योग प्रशासक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेने के लिए एक व्यक्ति को भेजा गया था।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में नये स्टेशन

3517. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में दक्षिण-पूर्व रेलवे में कितने नये स्टेशन खोले जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) उनका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). 1966-67 में दक्षिण-पूर्व रेलवे में कुल 44 स्टेशन खोलने का विचार है। इनमें से 38 उस नयी लाइन पर खोले जायेंगे जो कोट्टवलासा और किरन्दुल के बीच बनायी जा रही है। शेष 6 स्टेशनों में से 3 निर्गुडी और राज अथगढ़ के बीच बनाये जायेंगे और शेष 3 स्टेशन, राज अथगढ़ और बारंग के बीच उस नयी लाइन पर होंगे जो निर्गुडी-खोरघा रोड खंड पर दोहरी लाइन बिछाने के सम्बन्ध में बनायी जा रही है। इनके अलावा, 1966-67 में मध्य प्रदेश में भिलाई और कुम्हारी स्टेशनों के बीच एक हाल्ट स्टेशन की व्यवस्था करने की भी मंजूरी दी गयी है।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले

3518. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण-पूर्व रेलवे में इस समय भ्रष्टाचार के कितने तथा किस प्रकार के मामले अनिर्णीत पड़े हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : 22-8-66 को दक्षिण-पूर्व रेलवे में भ्रष्टाचार के अनिर्णीत मामलों की संख्या 166 थी।

ये मामले इस प्रकार के थे :

(1)	अवैध पारितोषण की मांग करना और उसे स्वीकार करना	34
(2)	गलत बयानी और झूठे प्रमाण-पत्र देकर नौकरी तथा पदोन्नति, आदि पाना	9
(3)	कपटपूर्ण ढंग से पास और पी० टी० ओ० लेना तथा उनका दुरुपयोग	9
(4)	रेलवे के धन तथा सामान आदि का दुर्विनियोग	35
(5)	गलत हाजिरी रजिस्टर रखना, सरकारी दस्तावेजों में जोड़-तोड़ करना, गलत यात्रा-भत्ता लेना, आदि ...	12
(6)	आचरण नियमों तथा कार्यविधि सम्बन्धी विभागीय आदेशों का उल्लंघन ...	20
(7)	दूसरे के नाम पर नौकरी प्राप्त करना ...	3

(8) झूठे प्रमाण-पत्र देकर मकान किराया-भत्ता लेना	1
(9) आमदनी के अनुपात से अधिक परिसम्पत्तियों का होना	13
(10) उड़ीसा सरकार के सम्बन्ध में जाली रेल वारन्ट पर रेलवे टिकट बदलना...	1
(11) रेलवे ठेकेदारों द्वारा विशिष्ट से निम्नस्तर का निर्माण-कार्य अथवा अधिक मात्रा में सामान देना अथवा अधिक संख्या में मजदूर लगाना	10
(12) अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा गाड़ियों में बिना बुक किया हुआ सामान ले जाना	1
(13) विविध ...	18
जोड़	166

घड़ियों का आयात

3520. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार महीनों में कुल कितनी घड़ियों का आयात किया गया; और

(ख) उसी अवधि में कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). अप्रैल, 1965 से घड़ियों के आयात पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। अप्रैल, 1966 तक समाप्त होने वाले चार महीनों में किए गये आयात में, जैसा कि नीचे दिया गया है, अधिकतर चोरी से लाई गई घड़ियां शामिल हैं जो कि पकड़ी गई थीं और इनमें केवल कुछ अन्य वे शामिल हैं जोकि प्रतिबन्ध लगने से पूर्व जारी किये गये लाइसेंसों के अनुसार आयात की गई होंगी।

	संख्या	मूल्य (रु०)
कलाई की घड़ियां	219	11,462
स्टाप ,,	702	15,048
अन्य ,,	400	11,967
कुल योग	1,321	रु० 38,477

Demands for Wagons in Saurashtra

3521. **Shri Bade :** **Shri Daji :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri S. M. Banerjee :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railway Board have not paid any attention to the repeated demands for wagons by the three Chemical factories in Saurashtra i.e. Tata, Saurashtra Chemicals and Dhargendra Chemicals ;

(b) whether it is also a fact that the daily requirement of these factories is 76 wagons and the Railway Board provide them with only 20 wagons ;

(c) whether on account of the shortage of wagons, soda worth 1·5 crores of rupees is lying near the factory ; and

(d) if so, the steps taken to solve this problem quickly so that the country does not suffer a loss of one crore of rupees ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No ; on the contrary the movement of caustic soda and soda ash from these factories has been upgraded to priority class 'D' of the Preferential Traffic Schedule.

(b) and (c). The daily average loading during the period January to July, 1966 was 46 wagons. The loading was affected in months of June and July this year due to immobilisation of a large number of wagons as a result of severe drought conditions, Mysore-Maharashtra border disturbances, road transport strike in U. P. and unprecedented heavy floods, breaches and land slides on Railway tracks in Assam. The loading has already been stepped upto 75 wagons a day in August, 1966 (upto 19th) and on this basis there were only about a fortnight's demands in arrears on that day.

(d) Efforts are being made to maintain the present rate of loading so as not only to clear the arrears but also to meet the fresh demands currently.

Staff of Mechanical Department, Varanasi

3522. **Shri S. M. Banerjee :** **Shri Daji :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Bade :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the staff of the Mechanical Department, Varanasi who were injured while on duty, have been granted leave without pay for medical treatment ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the number of persons injured in this manner so far during the last three years ; and

(d) the amount of compensation paid to them ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) 497 staff of the North Eastern Railway and 277 of the Diesel Locomotive Works were injured. In addition 35 casual labour were injured on the Diesel Locomotive Works and one died.

(d) All regular staff who had to undergo medical treatment in Hospital for injuries sustained on duty have been granted Hospital Leave with pay. Only one, who lost his earning capacity, was paid Rs. 1,274/- as compensation.

The 35 Casual Labour who were injured were given fortnightly payments amounting in all to Rs. 829.80. In case of the Casual Labourer who died, a sum of Rs. 3,000/- has been deposited with the Commissioner of Workmen's Compensation.

Employees of Railway Accounts Department

3523. **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the reasons for which the employees of Railway Accounts Department, who had passed Appendix II-A examination in December, 1957 but were not promoted according to Railway Board's letter dated the 14th January, 1958, were later on granted concession and promoted with effect from 1st April, 1956 ;

(b) whether this concession was extended without any discrimination, to all the employees who had passed the December, 1957 examination and were senior to the persons promoted last ; and

(c) if not, the reasons therefor and the steps being taken for the benefit of those persons who were deprived of it ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) To mitigate hardship to senior employees who qualified in the Appendix II-A Examination held in May, 1957 and December, 1957 and for whom no vacancies were available, as their juniors who had qualified in earlier examinations had absorbed all the vacancies, it was decided to create supernumerary posts of clerk grade I with effect from 1-4-56, so that the staff ibid who were senior to the last man confirmed against the permanent upgraded posts with effect from 1-4-56 could also be confirmed as clerks grade I with effect from 1-4-56 and paid arrears from that date.

(b) and (c). The concession was extended only to the category of employees referred to at (a) above, while those who qualified in the Appendix II-A Examination before 31-12-57 and were junior to the junior-most employee confirmed against the permanent upgraded posts created with effect from 1-4-56 were not eligible for the benefits arising out of the concession ibid, as they did not fulfil the basic condition of being senior to the junior-most employees confirmed against the upgraded posts. Consequently, the question of any steps being taken for the benefit of these employees does not arise.

रेलवे के कार्यालयों में पद बनाने पर प्रतिबन्ध

3524. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री बालकृष्ण सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के कार्यालयों में पद बनाने पर इस समय लगा हुआ प्रतिबन्ध पहले पहल कब लगाया गया था ; और

(ख) प्रतिबन्ध लगाये जाने के समय से लेकर अब तक सभी श्रेणियों के अधिकारियों तथा तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों के (निर्माण कार्य को छोड़कर) कितने पद बनाये गये थे और उनसे कितना व्यय बढ़ा है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 6.2.1960 से ।

(ख) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर रेलवे का मुख्यालय

3525. **श्री राजदेव सिंह :**

श्री बालकृष्ण सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के मुख्यालय की पर्सोनेल, स्टोर्स तथा जनरल शाखाओं में ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं, जो सब सामान्य प्रक्रियाओं के विपरीत एक ही अथवा भिन्न-भिन्न पदों पर आठ वर्षों से भी अधिक समय से काम कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मुख्यालय की कार्मिक, भंडार, तथा सामान्य शाखाओं में काम करने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता, कुछ स्तर तक, दूसरी इकाइयों से अलग रखी जाती है। ऐसी स्थिति में मुख्यालय की इकाइयों से कोई स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में, जहां कुछ स्तर से ऊपर मिली-जुली वरिष्ठता होती है, सेवा के हित में, आवश्यकतानुसार, स्थानान्तरण किया जाता है।

उत्तर रेलवे के जन-सम्पर्क संगठन

3526. **श्री राजदेव सिंह :**

श्री बालकृष्ण सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के जन-सम्पर्क संगठनों में प्रति दिन पढ़े जाने वाले हिन्दी और अंग्रेजी के समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं का अनुपात क्या है ;

(ख) क्या इसके अनुसार हिन्दी में अंग्रेजी के बराबर ही पत्रकार रखना आवश्यक है ; और

(ग) यदि नहीं, तो वर्तमान संख्या में हिन्दी तथा अंग्रेजी के पत्रकारों की नियुक्ति के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) उत्तर रेलवे के क्षेत्र में अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य भाषाओं में प्रकाशित सभी महत्वपूर्ण समाचार-पत्रों और जर्नलों की इस रेलवे के जन-सम्पर्क कार्यालय में सूक्ष्म छानबीन की जाती है। जन-सम्पर्क कार्यालय अंग्रेजी और हिन्दी के क्रमशः 15 और 5 समाचार-पत्र मंगाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) समाचार-पत्रों और जर्नलों की छानबीन करना रेल जन सम्पर्क-कार्यालय का एक आंशिक दैनिक-कार्य है। पत्रकारों और संवाददाताओं के पदों का सृजन काम की आवश्यकता और औचित्य के आधार पर किया जाता है।

रेलवे में हिन्दी का कार्य करने वाले कर्मचारी

3527. **श्री राजदेव सिंह :**

श्री बालकृष्ण सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के कार्यालयों में नये पदों के बनाये जाने पर लगा हुआ प्रतिबन्ध रेलवे के कार्यालयों में हिन्दी कार्य की प्रगति से सम्बन्धित क्षेत्रों पर भी लागू होता है ; और

(ख) यदि हां, तो जोनल रेलों के मुख्यालयों तथा विभिन्न डिवीजन कार्यालयों में हिन्दी का कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, नये पदों के सृजन पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया है वह सभी लिपिकवर्गीय कर्मचारियों पर लागू होता है जिनमें हिन्दी का काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं ।

(ख) सूचना मंगायी जा रही है और लोक सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे में अनुवाद कार्य

3528. **श्री राजदेव सिंह :**

श्री बालकृष्ण सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के निदेशों को कार्यान्वित कराने तथा साथ ही अनुवाद कार्य भी करने के लिये विभिन्न रेलों के जोनल कार्यालयों में प्रत्येक में केवल एक अनुवादक की व्यवस्था है;

(ख) क्या यह सच है कि इस कार्य की देख रेख करने के लिए कोई पर्यवेक्षी (सुपरवाइजरी) अधिकारी नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह). (क) जी नहीं । काम की मात्रा को देखते हुए सभी क्षेत्रीय रेलों के प्रधान कार्यालयों में पर्याप्त संख्या में अंग्रेजी-हिन्दी अनुवादक नियुक्त किये गये हैं ।

(ख) जी नहीं । अनुवाद कार्य की देख-रेख हिन्दी अधीक्षकों द्वारा की जाती है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

कच्चे काजू का आयात

3529. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष अनुमानत: कितने मूल्य के कच्चे काजू का आयात किया जायेगा;

(ख) अवमूल्यन के कारण इसमें कितनी वृद्धि हुई है तथा क्या इसका काजू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप किन्हीं कर्मचारियों की छंटनी की जायेगी और यदि हां, तो इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है कि किसी भी व्यक्ति को नौकरी से न निकाला जाये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) काजू निर्यात संवर्द्धन परिषद एर्नाकुलम ने 1966 में कच्चे काजू के आयात का अनुमान 1,80,000 मी० टन लगाया है जिसका मूल्य 21 करोड़ रुपये से अधिक होगा ।

(ख) 1966 में आयात के मूल्य में लगभग 4 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जाने की सम्भावना है ।

(ग) इस प्रकार के परिणामों की आशा नहीं है ।

रूस को काजू का निर्यात

3530. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने काजू की सप्लाई के लिये रूस के साथ कोई करार किया है; और

(ख) अवमूल्यन के कारण इस करार को पूरा करने में कितनी अधिक लागत आयेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). निर्यात व्यापार सतत रूप से चलता है और यह भारत-सोवियत व्यापार करार के अन्तर्गत जारी है । अवमूल्यन से इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा ।

लोको वर्कशापों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

3531. **श्री प० कुन्हन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में लखनऊ में लोको वर्कशाप चारबाग तथा 'कैरेज ऐंड वैगन वर्कशाप' आलमबाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में से क्वार्टर के किराये के अतिरिक्त पुंज किराया (पूल रेन्ट) काटा जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार प्रतिमास कितनी राशि काटी जाती है; और

(ग) क्या 1957 में रेलवे बोर्ड ने एक परिपत्र जारी करके ऐसी कटौती किये जाने की मंजूरी नहीं दी थी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) से (ग). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

लोकोमोटिव वर्कस, लखनऊ में लिपिक कर्मचारियों का अधिलंघन

3532. **श्री प० कुन्हन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ में चारबाग स्थित उत्तर रेलवे के लोकोमोटिव वर्क्स

में लिपिक कर्मचारियों का उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों द्वारा अधिलंघन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो 1965-66 में इस प्रकार कितने कर्मचारियों का अधिलंघन हुआ था; और

(ग) यह निर्णय किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी नहीं । सम्बन्धित लिपिक कर्मचारी अलग-अलग वरिष्ठता वर्गों में, अर्थात् सिब्बन्दी तथा गैर-सिब्बन्दी वर्गों में हैं । अनुपयुक्तता के आधार पर किये गये अधिक्रमण के अलावा उनके अपने वर्गों में कोई अधिक्रमण नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) . सवाल नहीं उठता ।

उत्तर रेलवे, चारबाग (लखनऊ) के अन्तारोगि चिकित्सालय (इनडोर, हास्पिटल) में आया

3533. **श्री प० कुन्हन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ में चारबाग स्थित उत्तर रेलवे के अन्तारोगि चिकित्सालय में काम करने वाली आयाओं को जनवरी से जुलाई, 1962 की अवधि में प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करने के लिये कहा गया था;

(ख) किसके आदेश से इन आयाओं से यह अतिरिक्त काम लिया जाता था; और

(ग) क्या उन्हें इस अतिरिक्त कार्य के लिये मंजूरी दी गई थी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अनकापल्लि टाउन (दक्षिण-रेलवे) में रेलवे समपार (लेवल क्रासिंग) पर ऊपरी पुल

3534. **श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे पर अनकापल्लि टाउन में तथा नरसापट्टनम रेलवे स्टेशन के निकट समपारों पर नीचे का पुल अथवा ऊपरी पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ होने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) (i) अनकापल्लि स्टेशन पर समपार की जगह ऊपरी/निचला सड़क-पुल बनाने के लिये जनता तथा स्थानीय निकाय की ओर से कुछ अभ्यावेदन मिले थे और उनसे अनुरोध किया गया था कि वे राज्य सरकार से लिखा-पढ़ी करें क्योंकि यह आवश्यक है कि राज्य सरकार इस प्रकार की योजनाओं को प्रायोजित करे और इस काम की लागत में अपने हिस्से का खर्च बर्दाश्त करे । अभी तक राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ii) जहां तक नरसापट्टनम रोड स्टेशन पर समपार की जगह पुल बनाने का सवाल है, वाल्टेर सिरे पर एक ऊपरी सड़क पुल बनाने की व्यावहारिकता से राज्य सरकार को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने अपने अंतिम विनिश्चय की कोई सूचना नहीं दी है कि वह इस काम को कितनी अग्रता देना चाहती है और नियमानुसार काम की लागत के अपने हिस्से की रकम की व्यवस्था किस वर्ष कर सकेगी ।

(ख) सवाल नहीं उठता।

उत्तर रेलवे के कांगड़ा घाटी सेक्शन के स्टेशनों पर माल डिब्बों की कमी

3535. **श्री हेमराज :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांगड़ा घाटी सेक्शन पर माल डिब्बों की बहुत कमी है और कांगड़ा जिले में रेल हेड एजेंसियों को भेजने के लिये सहकारी समितियों का अनाज बुक नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). छोटी लाइन के पहाड़ी खंड की अन्तर्निहित परिमितताओं के कारण पठानकोट-बैजनाथ पपरोला-जोगिन्दरनगर छोटी लाइन खंड के स्टेशनों के लिए माल यातायात की बुकिंग हमेशा कोटा-प्रणाली के आधार पर नियमित की जाती रही है। 1965 में इस खंड को और अधिक रेल इंजन दिये गये जिसके फलस्वरूप जून, 1965 से इस खंड पर माल यातायात की ढुलाई का दैनिक कोटा बड़ी लाइन के 13 माल डिब्बों से बढ़ाकर 17 माल डिब्बों का कर दिया गया । लेकिन इस वर्ष अगस्त के मध्य से बड़ी लाइन का यह दैनिक कोटा घटाकर 14 माल डिब्बों का कर दिया गया जिसका कारण यह है कि बढ़े हुए कोटे के आधार पर जो काम हुआ उससे यह अनुभव हुआ कि इस समय इस खंड पर जिस तरह का यातायात होता है, उसके लिए छोटी लाइन के और अधिक माल डिब्बों की जरूरत होगी । इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त माल डिब्बे भेजने का आदेश जारी किया गया है ।

फिर भी, वर्तमान परिमितताओं के बावजूद अनाज की ढुलाई के लिए एक विशेष कोटा निर्धारित किया गया है और इस समय अनाज के लिए माल डिब्बों की कोई बकाया मांग नहीं है।

रामपुर से काठगोदाम तक बड़ी रेलवे लाइन

3536. **श्री बूटा सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काठगोदाम के लिए, जो नैनीताल के लिए रेलवे का अन्तिम (टर्मिनस) स्टेशन है, सीधी बड़ी लाइन न होने के कारण यात्री तथा माल बहुत विलम्ब से काठगोदाम पहुंचते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि रामपुर से काठगोदाम तक एक बड़ी रेल लाइन बनाये जाने के

लिए सर्वेक्षण किया गया था और इस योजना को तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जाने के लिए स्वीकृत किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना के अब तक क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं और यह कार्य कब आरम्भ करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) बड़ी लाइन की सुविधाएं न होने के कारण यात्री और माल यातायात को काठगोदाम पहुंचने में कोई रुकावट नहीं पड़ती ।

(ख) और (ग). रामपुर से हलद्वानी (काठगोदाम के पास) तक 57 मील / 92 कि० मी० लम्बी बड़ी लाइन बनाने के लिए 1956-57 में अभिदर्शन इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण किये गये थे । उस समय इस लाइन पर 2·84 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान था और इसे अलाभप्रद पाया गया था । इसलिए इसे तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया । यातायात और वित्तीय आधार पर वर्तमान मीटर लाइन को बदलने का औचित्य नहीं बन सकता । इसलिए इस प्रस्ताव को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के प्रश्न पर भी विचार किये जाने का कोई आसार नहीं है ।

रेलवे के रियायती टिकटों का दुरुपयोग

3537. **श्री नारायण दाण्डेकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ के प्रोफेसरों तथा अध्यापकों द्वारा रेलवे रियायती टिकटों के दुरुपयोग के बारे में कुछ व्यक्तियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, इस तरह की एक शिकायत मिली थी ।

(ख) यह शिकायत श्री बालू राम, सदस्य, जिला परिषद्, फतेहाबाद, जिला हिसार (पंजाब) ने की थी । इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पंजाब विश्वविद्यालय के संस्कृत के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, डाक्टर डी० एन० शुक्ल ने पहले दर्जे के रियायती टिकट सं० 17720 दिनांक 24-8-65 का दुरुपयोग किया । यह टिकट बंगलौर में आयोजित संस्कृत विश्व परिषद् के अखिल भारतीय अधिवेशन में भाग लेने के लिए, पंजाब विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के श्री मदन मोहन के नाम, दिल्ली के मण्डल अधीक्षक द्वारा जारी किये गये रियायत आदेश सं० 200718 दिनांक 21-8-65 के प्राधिकार पर, चण्डीगढ़ से बंगलौर के लिए लिया गया था ।

(ग) जो टिकट बाबू इस गलती के लिए जिम्मेदार पाया गया है, उसके नाम 181 रुपये डाल दिये गये हैं । यह रकम कम वसूल की गई रकम के बराबर है ।

पंजाब विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच करने के लिए कहा गया है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

निर्यात पर अवमूल्यन का प्रभाव

3538. **श्री हेडा :**

श्री रामपुरे :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन वस्तुओं पर जिनका निर्यात भूतपूर्व निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत किया जा रहा था, अवमूल्यन तथा उसके साथ ही निर्यात संवर्धन योजना के हटाये जाने की घोषणा के प्रभावों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि अवमूल्यन द्वारा निर्यात के लिए की गई 57 प्रतिशत की व्यवस्था से कहीं अधिक व्यवस्था उनको निर्यात हकदारी के लाइसेंस के अन्तर्गत प्राप्त थी; और

(ग) इस बात के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं, कि इन वस्तुओं का निर्यात फिर आरम्भ हो जाये और अनेक वर्षों के परिश्रम से विदेशी बाजारों में पैदा की गई भारतीय माल की मांग समाप्त न हो जाये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) कुछ मामलों में ऐसा था ।

(ग) एक विवरण पहले ही 16 अगस्त, 1966 को सदन की मेज पर रखा जा चुका है जिसमें निर्यात की सहायता तथा विकास करने के चुने हुए तात्कालिक कार्यक्रम दिये गये हैं ।

महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में अयस्क खानें

3539. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज उद्योग संघ के सचिव का यह कथन सही है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लगभग 300 खानें बन्द पड़ी हैं और अयस्क का उत्पादन 1957 से 9 लाख मीट्रिक टन से घटकर अब साढ़े चार लाख मीट्रिक टन रह गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) मिनरल इंडस्ट्री एसोसिएशन के सचिव का ऐसा कोई वक्तव्य सरकार की जानकारी में नहीं है । तथापि यह जाहिर होता है कि यह संकेत मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों की मैंगनीज अयस्क खानों की ओर है । 1961 से जून, 1966 के अन्त में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में 15 खानें स्थायी रूप से बन्द हुई हैं तथा

169 खानों ने अस्थायी रूप से उत्पादन बन्द कर दिया था इसमें 117 खानें फिर से खुल गई हैं। दोनों राज्यों में मैंगनीज का उत्पादन 1957 में 607,600 टन था जो कि 1965 में बढ़कर 609,900 टन हो गया।

(ख) आन्तरिक उपभोग और निर्यात दोनों के लिए मैंगनीज की मांग में स्पष्टतः पुनर्वृद्धि हुई है। सरकार ने मैंगनीज के समस्त निर्यात व्यापार को मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० के द्वारा किये जाने का निर्णय लिया है जिससे भारतीय मैंगनीज के मूल्य और सब श्रेणी के अयस्क के विक्रय से अधिकतम लाभ मिलेगा। रुपये के अवमूल्यन के फलस्वरूप भारतीय अयस्क की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी अवस्था सुधरने की आशा की जाती है। इन प्रोत्साहनों के फलस्वरूप जो खानें संचयों की समाप्ति के कारण नहीं बन्द हुई थीं उनके स्वामियों को फिर से उत्पादन प्रारम्भ करने की प्रेरणा मिलने की आशा है।

भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग का केरल सर्किल

3540. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के केरल सर्किल को समाप्त करने के बारे में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केरल सर्किल को समाप्त करने से राज्य के भूतत्वीय सर्वेक्षण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि केरल में सर्वेक्षण कार्य होता रहेगा ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) से (घ). भारतीय भौमिकी विभाग के संगठन के कार्य प्रधान होने के कारण समय-समय पर इसकी पुनरीक्षा करनी पड़ती है जिससे इस विभाग को सौंपे गये अनुसंधानात्मक कार्यक्रमों की परिवर्तित आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। 1961 में क्षेत्रीय आधार पर विभाग को विकेन्द्रित किया गया; समस्त कार्य तीन क्षेत्रों में बांटा गया तथा प्रत्येक क्षेत्र एक क्षेत्रीय संचालक के अधीन कर दिया गया। विभाग के कार्य की हाल ही में की गई पुनरीक्षा से पाया गया कि चार सर्किल कार्यालयों, जिसमें केरल भी शामिल है, के कार्य को देखते हुए सर्किल मुख्यावासों पर स्थित प्रशासनिक संगठन उचित रूप से आवश्यक नहीं था तथा इन क्षेत्रों में कार्य करने वाली पार्टियों की देखरेख के लिए आवश्यक कार्य सरलतापूर्वक समीपस्थ सर्किल कार्यालयों को स्थानान्तरित किये जा सकते हैं। इस पुनर्गठन से उन क्षेत्रीय पार्टियों के कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो खनिज अनुसंधान के चालू या भविष्य में किये जाने वाले विभागीय कार्यक्रम से सम्बद्ध हैं।

उत्तर रेलवे के चार्जमैन

3541. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार्जमैन और जर्नीमैन की दोनों श्रेणियों के पदों के मिला दिये जाने के बाद उत्तर रेलवे के चार्जमैनों और 14 अप्रैल, 1952 के बाद भर्ती किये गये प्रशिक्षु जर्नीमैनों / जर्नीमैनों की पारस्परिक वरिष्ठता सम्यक ढंग से निर्धारित न की जाने के विरुद्ध उत्तर रेलवे के चार्जमैनों की ओर से रेलवे बोर्ड को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह अभ्यावेदन कब से रेलवे बोर्ड के पास विचाराधीन पड़ा है; और

(ग) उत्तर रेलवे के चार्जमैनों को कब तक इसके बारे में निर्णय की सूचना दी जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). सूचना मंगाई जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों की मरम्मत

3542. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के दिल्ली स्थित कार्यालय में मरम्मत के लिए प्राप्त घड़ियां बंगलौर भेजी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो एक घड़ी की मरम्मत पर कितना समय लगता है;

(ग) क्या ऐसे भी मामले हैं जिनमें घड़ी की मरम्मत पर तीन महीने से अधिक समय लगा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) उनमें से केवल वे ही घड़ियां बंगलौर भेजी जाती हैं जिनमें काफी पुर्जे बदलने की आवश्यकता होती है ।

(ख) सामान्यतया 25 से लेकर 30 दिन ।

(ग) और (घ). अधिक समय उन्हीं मामलों में लगता है जिनमें खरीदार मरम्मत का खर्च देने के लिए अपनी स्वीकृति भेजने में देरी करते हैं ।

तार बनाने वाली मशीनें

3543. **श्री द्वारका दास मंत्री :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 एस० डब्ल्यू० जी० से भी पतला तार बनाने वाली मशीनें भारत में नहीं बनाई जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस तार का आयात करने की बजाय 22 एस० डब्ल्यू० जी० से पतला तार बनाने वाली मशीनों का विदेशों से आयात करने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) 22 एस० डब्ल्यू० जी० से भी पतला तार खींचने वाली मशीनों के आयात की अनुमति तभी दी जाती है जबकि उनके आयात की अनिवार्यता पूरी तौर से निश्चित कर ली जाती है ।

इस्पात तथा मिश्रित इस्पात की तारें

3544. **श्री रा० बरुआ** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय विभिन्न आकारों और किस्मों की इस्पात और धातु-मिश्रित इस्पात की तारों का कितना उत्पादन होता है ;

(ख) गत वर्ष भारत में किस प्रकार की, कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की इस्पात और धातु मिश्रित इस्पात की तारों का आयात किया गया ;

(ग) क्या भारत में अभी भी 22 एस० डब्ल्यू० जी० से पतली तारों का आयात होता है और यदि हां, तो भारत में इन तारों का उत्पादन करने में क्या कठिनाइयां हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि बढ़िया तारें डब्ल्यू० ई० टी० प्रणाली द्वारा बनाई जाती हैं ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) 1965-66 में देश का विभिन्न प्रकार की तारों का उत्पादन इस प्रकार है :

काली तार	57,442 टन
(i) टेलीग्राफ्स की तार	445 टन
(ii) अन्य प्रकार की तार	27,678 टन
हाई कार्बन	22,083 टन
	जोड़ 107,648 टन

(ख) 1965-66 में इस्पात और धातु मिश्रित इस्पात की आयात गई विभिन्न प्रकार की तारों की कुल मात्रा तथा कीमत नीचे दी गई है :

किस्म	मात्रा (टनों में)	मूल्य (हजार रुपयों में)
बिजली की तार	585	810
जस्ती तार	18,512	19,725
धातु मिश्रित इस्पात की दूसरी तार (हाई कार्बन को छोड़कर)	13,406	15,837
हाई टेनसाइल क्वालटी की तार	4,128	5,044
हाई कार्बन स्टील की दूसरी तार	5,357	9,899
धातु मिश्रित इस्पात की दूसरी तार ...	386	1,734
	जोड़ 42,374	53,049

(ग) भारत अभी भी 22 एस० डब्ल्यू० जी० से पतली तारों का आयात करता है जिसका कुछ कारण यह है कि उत्पादन अधिक नहीं है जिससे मांग पूरी हो सके और कुछ कारण यह है कि कुछ विशेष प्रकार की तार देश में नहीं बनती है ।

(घ) साधारणतया और अधिकतया बढ़िया तारें डब्ल्यू० ई० टी० प्रणाली द्वारा बनाई जाती हैं ।

इस्पात ढलाई उद्योग

3545. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 टन तक इस्पात ढालने की क्षमता वाली इलेक्ट्रिक आर्क भट्टियां भारत में बनाई जाती हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यद्यपि इस्पात के ढलाई उद्योग से लाइसेंस हटाया जा रहा है, तो भी भट्टी निर्माताओं को अपनी भट्टियां बेचने के लिये सरकार से वरीयता मंजूरी लेनी पड़ती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस्पात ढलाई उद्योग को लाइसेंस हटाये जाने वाले उद्योगों की सूची में रखने पर क्या सहायता मिलेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). आगे के लिये अपनी भट्टियां बेचने के लिये भट्टी-निर्माताओं को वरीयता मंजरी देने की आवश्यकता के औचित्य के बारे में विचार किया जा रहा है ।

जस्ती तार (गाल्वनाइज्ड वायर) का आयात

3546. **श्री शिव प्रधासन :** क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विभिन्न देशों से कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के जस्ती तार का आयात किया जाता है ;

(ख) क्या सरकार सीसे और जस्ते की, जिनका विदेशों से आयात किया जाता है, कमी के कारण भारत में जस्ती तार बनाने की अनुमति नहीं देती है ;

(ग) क्या यह सच है कि जस्ती तार बनाने के लिये अपेक्षित सीसे और जस्ते का मूल्य जस्ती तार के मूल्य के 5.7 से अधिक नहीं होता है ; और

(घ) क्या जस्ते और सीसे के आयात के स्थान पर जस्ती तार के आयात किये जाने से विदेशी मुद्रा का अनावश्यक अपव्यय होता है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें

भारत में 1965-66 में विभिन्न देशों से आयात किये गये जस्ती तार का ब्योरा दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6938/66]**

(ख), (ग) और (घ). आजकल जस्ती तार की अधिक क्षमता इसलिये भी नहीं बनाई जा रही कि सीसे और जस्ते की कमी है लेकिन इसलिये भी कि अपेक्षित किस्म के वायर राड का आयात करने के लिये पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं है। इस प्रकार के तार के उत्पादन के लिये देशीय क्षमता को ध्यान में रखते हुये कुछ विशेष प्रकार की जस्ती तार का आयात भी किया गया है। सामान्य स्थिति का समय-समय पर पुनर्विलोकन किया जा रहा है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में हानि

3547. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री काशी राम गुप्त :
श्री अल्वारेस :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने में श्रमिकों में अशान्ति के कारण प्रतिदिन 25 लाख रुपये की हानि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर सामान्य श्रम सम्बन्ध स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख). दुर्गापुर में हाल की श्रमिक अशान्ति में काम बन्द रहा जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन की हानि हुई। हानि के सही सही आंकड़े देना संभव नहीं है। परन्तु यह ठीक है कि कई दिनों तक उत्पादन बिल्कुल नहीं हुआ और जब तक पूर्ण उत्पादन नहीं होने लग पड़ा उत्पादन में हानि होती रही। औसत दैनिक उत्पादन 3300 टन गर्म धातु का है।

स्वर्णकारों की गिरफ्तारी के बारे में
RE : ARRESTS OF GOLDSMITHS

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, It has been reported in the press that Shri Sachin Choudhary has opposed the cause of goldsmiths in a meeting of Congress Working Committee. The debate on this subject will be held on 3rd September, but if the fasting goldsmiths die, a serious situation will arise which may spread discontent and disorder.

उपाध्यक्ष महोदय : मामले इस प्रकार नहीं उठाये जा सकते।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : प्रधान मंत्री ने कहा था कि उनकी रिहाई के बारे में विचार किया जायेगा। यदि वचनों का पालन न करना हो तो वचन दिये क्यों जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस सम्बन्ध में व्यक्त किये गये विचार सरकार को भेज दूंगा।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कम्पनी अधिनियम के प्रशासन के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 638 के अन्तर्गत 31 मार्च, 1966 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उक्त अधिनियम के प्रवर्तन तथा प्रशासन के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०**-6921/66]

निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : मैं श्री मनुभाई शाह की ओर से निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) बर्फ के लिए रबड़ के थैलों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 जो दिनांक 22 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 2216 में प्रकाशित हुए थे।

(2) पी० वी० सी० चर्म-वस्त्र का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 जो दिनांक 6 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2377 में प्रकाशित हुए थे।

(3) कराया गोंद का (निर्यात निरीक्षण) संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 12 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2454 में प्रकाशित हुए थे।

(4) रबड़ की गर्म पानी की बोतलों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 जो दिनांक 16 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2459 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-6922/66]

कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत अधिसूचनायें

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : मैं श्री शाहनवाज खां की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1119 की एक प्रति जो दिनांक

16 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कागज उत्पाद उद्योग को उक्त अधिनियम की अनुसूची I में जोड़ा गया। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-6923/66]

(2) कर्मचारी भविष्य निधि (बारहवां संशोधन) योजना, 1966 जो दिनांक 30 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1187 में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-6924/66]

केरल बाट तथा माप (प्रवर्तन) नियम, 1967 में संशोधन

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : मैं राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल बाट तथा माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1958 की धारा 43 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 59465—के 2/65/आर डी की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ जो दिनांक 12 जुलाई, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल बाट तथा माप (प्रवर्तन) नियम, 1964 में कतिपय संशोधन किये गये। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-6925/66]

Shri Bagri (Hissar) : On a point of order, Sir, I gave a call attention notice regarding the arrest of 300 goldsmiths. I request you to kindly accept it.

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने उसे अस्वीकार कर दिया है।

राज्य-सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त इस संदेश की सूचना देनी है कि लोक-सभा द्वारा 10 अगस्त, 1966 को पास किये गये संविधान (अट्ठारहवां संशोधन) विधेयक, 1966 को राज्य-सभा ने 24 अगस्त, 1966 की अपनी बैठक में बिना किसी संशोधन के पास कर दिया है।

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन
अठारहवां प्रतिवेदन
COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS
EIGHTEENTH REPORT

श्री खाडिलकर (खेड) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का अठारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

सभा के कार्य के बारे में
Re. BUSINESS OF THE HOUSE

संसद कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : श्री सत्य नारायण सिन्हा अस्वस्थ हैं। वह अगले सप्ताह के लिये कार्य के बारे में आज 5 बजे एक वक्तव्य देंगे।

व्यवस्था के प्रश्न के बारे में
Re. POINT OF ORDER

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : नियम 376 (1) के अन्तर्गत मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इसका सम्बन्ध नियमों के निर्वचन से है। ध्यान दिलाने वाला प्रस्ताव केवल तीन अथवा चार शर्तों के अन्तर्गत दिया जा सकता है। श्री बागड़ी का ध्यान दिलाने वाला प्रस्ताव 500, 600 अथवा 300 स्वर्णकारों से सम्बन्धित है। प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया था कि उन्हें रिहा किया जायेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि प्रधानमंत्री को अपना बचन पूरा करने के लिये कहें।

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यान दिलाने वाला प्रस्ताव केवल अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लिया जा सकता है, अध्यक्ष महोदय ने इसे अस्वीकार कर दिया है। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : पश्चिम बंगाल में लगभग दो लाख बागान श्रमिक हड़ताल पर हैं। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस बारे में वक्तव्य दें।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : सोमवार को मैंने तथा मेरे कुछ अन्य साथियों ने कोचीन पत्तन में आयातित चावल के भण्डार जमा हो जाने के कथित समाचार के बारे में ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की सूचना दी थी। मंत्री महोदय ने इस बारे में कुछ नहीं किया है। इसके लिये उन्हें ताड़ना दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार करेंगे।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : सदस्य श्री नाथपाई के स्वास्थ्य के बारे में चिन्तित हैं। समिति के सभापति इस बारे में बतायें।

श्री खाडिलकर (खेड) : श्री नाथपाई से प्राप्त पत्र से पता चलता है कि उन्हें कुछ और दिन हस्पताल में रहने के लिये परामर्श दिया गया है।

भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर स्थिति के बारे में प्रस्ताव
MOTION RE: SITUATION ON INDIA-PAKISTAN BORDERS

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar) : I beg to move :

"That this House takes note of the statement made by the Minister of Defence on the 1st August, 1966 regarding situation on India-Pakistan borders."

The Defence Minister has stated that Pakistan is making all-out efforts to increase its armed strength. She has not only doubled her army and set up ordnance factories but is also getting arms, ammunition and equipment from one or two countries. It is, therefore, the need of the hour that we should pay foremost attention to our defence.

We should first of all strengthen our borders. Ex-servicemen should be settled there and arms should be distributed among them. In the case of attach they will be able to hold the first onslaught. They should be issued identity cards to guard against infiltration.

Spying is increasing. There should be an intensive search for the spies. They should be tried summarily instead of being tried in the ordinary Court. Fully equipped and trained pickets should protect the strategic border roads. In the same way, bridges and railway lines should be protected against saboteurs from within the country.

Talks with Naga and Mizo rebels should not be prolonged. That is creating a sense of insecurity in our border areas. Any attempt to endanger the security of the nation must be put down with a stern hand.

The Chinese are paying special attention to East Pakistan and they are setting up a missile bases there and they are also training Pakistani army personnel in Guerilla Warfare. We should not forget that we have acquired special responsibility in that region and it should be carried out, no matter what means we may have to employ.

Production in our Ordnance factories should be increased further. The cooperation of private sector should be obtained in the manufacture of military stores and equipment. While trying to make ourselves self-sufficient in military hardware, all outside resources must be utilised till we achieve self-sufficiency. The army must be equipped with the latest weapons.

The Government must also decide to manufacture atomic weapons. There should be no reservation in that regard since the two-fold danger is too serious to be ignored. Our soldiers should be assured that their families will be looked after properly during their absence. Such persons who become disabled on the battle front should be given preference in civilian jobs. In the matter of recruitment to the army the races with martial traditions should be given preference.

In the end, I request the Defence Minister to seriously consider the suggestions made by me. There is no doubt that by doing so, we will be able to guard our entire frontier.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : It is clear from the statement of the Defence Minister that Pakistan is posing threat to India. She has completely violated the Tashkent spirit and she is frantically arming herself with aggressive intention.

It is important for us to consider which countries are helping Pakistan. Chinese help to them is not surprising because they are following aggressive policies towards our country. The attitude of Western nations is rather surprising. Canada, West Germany and United Kingdom were crying hoarse that India and Pakistan should live in peace and yet

they are creating conditions which would enable and encourage Pakistan to wage a war against India. As many as 90 Canadian Sabre-jets had found their way to Pakistan through West Germany and Iran. United Kingdom is trying to persuade America to lift the arms embargo to Pakistan.

The attitude of America herself is in favour of Pakistan. The ban on the supply of non-lethal weapons to India and Pakistan has been lifted. For India, this will mean supply of items like motor vehicle. But for Pakistan, it may mean something else. It has been left to Pantagon to decide, what it would mean to them. There is a clear danger of Pakistan being supplied with spares to recoup her war damaged military equipment. It poses a danger to India and we must ask for a clarification from America. United Kingdom has always tried to stab us in the back. There is absolutely no sense in maintaining our Commonwealth links with them. The statement made by the Canadian Prime Minister regarding their passing on Sabre-jets to Pakistan is completely unsatisfactory.

The impending danger to our security must be recognised. There are reports that America is going to put pressure on us through the World Bank so that we should reduce our defence expenditure and that is being made as a pre-condition for economic aid to us. It is, therefore, time that our government gives a clear picture as to who are our friends that are helping us in our defence preparations, clearly U.S.S.R. and other East European countries. A clear statement should be made in the House in that regard.

We must reconsider our attitude in regard to the manufacture of atom bomb. The defence of the country must be strengthened in every way. Only a strong country can talk of peace. We would also like to know the stage of missile development in the country and we should be assured that all steps are being taken to defend it against every kind of aggression.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnore) : It is very clear from the two statements made by the Minister of Defence that the clouds of war are gathering on our border and we do not know when the war may break out. The collusion between China and Pakistan has resulted in the situation that has been created in Mizo hills. The Naga and Mizo hostiles are being trained and equipped by Pakistan. 27 Lakh Pakistanis have infiltrated into Assam and the Government of India is unable to turn them out. Chinese seems to attack India through Pakistan and in that process to occupy Sikkim, Bhutan and parts of NEFA. There are reports that Pakistan has made a plan to cut the Leh road so that our troops are isolated in Ladakh. All that poses a great danger. The Government of Pakistan is in the hands of an irritated general and the Government of India is in the hands of those who are satisfied with whatever remains with us.

In his address to the nation, President Ayub assured not only the Pakistani nationals but also the people of Kashmir that they would not rest in peace until Kashmir is liberated. But in her address from the Red Fort, the Prime Minister of India did not deem it fit to refer to the Indo-Pak conflict or to Shri Lal Bahadur Shastri or to the persons who laid down their lives for the country during Indo-Pak conflict and the Chinese aggression.

Another point I would like to stress is that our military intelligence has failed badly. This has been amply proved during Indo-Pak conflict and Chinese aggression. Pakistan had

strengthened its defence line on the Ichhogil Canal but our military intelligence had no information to this effect. I would like to submit that the Defence Minister should reorganise the Military Intelligence Service.

Pakistan has made war preparation very rapidly but in this connection we are lagging behind. We have not prepared any Second Defence Line. Our N.C.C. and territorial army cannot be fully considered as our Second Line of Defence.

Another factor which contributes towards strengthening the Defence Line is diplomacy. I would like India to be very much strong in this field also. In the past we have failed in the diplomatic field while Pakistan has been successful in that field. When Government know clearly the intentions of Pakistan, the Tashkent Agreement should be set aside.

Finally, I would like to submit that during the national crisis, the country has faced the odds unitedly. The country may not now be put to further tests. This time the enemy should be taught a lesson so that he may not launch another aggression on India.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर): माननीय प्रतिरक्षा मंत्री के वक्तव्य में दिये गये आंकड़ों तथा तथ्यों से पता लगता है कि पाकिस्तान विश्व की सभी ओर से सहायता प्राप्त करके अपने को सशक्त बना रहा है। हमें इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने चाहिए इस बारे में हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं।

अपनी सेना के गुप्तचर विभाग को हम अधिक महत्व देना चाहते हैं ताकि वह और अच्छी प्रकार कार्य कर सके। हमें यह समझ लेना चाहिए कि युद्ध में विजय पाने के लिए न केवल सेना का महत्व है बल्कि कूटनीति का भी महत्व है। इस सम्बन्ध में मैं अपने पूर्ववक्ता महोदय से सहमत हूं। चीन ने पाकिस्तान को एक बड़ी मात्रा में सैनिक साज-सामान देने के साथ ही साथ उसको हर प्रकार की सहायता देने की भी घोषणा की है। परन्तु हमारी यह स्थिति है कि हमारा कोई भी ऐसा मित्र देश नहीं है जिसके बारे में हम यह कह सकें कि वह हमारी सहायता करेगा। रूस की नीति में एक निश्चित परिवर्तन आ गया है। मैं अभी भी रूस को अपना मित्र समझता हूं परन्तु वह पाकिस्तान के साथ भी अपने सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है और अपनी कूटनीति को विस्तृत करना चाहता है। निश्चय ही वह हमारे हितों की तुलना में अपने हितों को प्राथमिकता देगा।

यह आश्चर्य की बात नहीं है कि पश्चिमी देश भी पकिस्तान में हित रखते हैं। हमें उन देशों को अपनी राय से अवगत कराना चाहिए। यदि हमारा उद्देश्य स्पष्ट है और रवैया दृढ़ है तो कूटनीति स्वयं ही मजबूत हो जायेगी। हमें अन्य देशों के साथ उचित सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। उन्हें यह भी स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहिए कि भारत और अधिक विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यदि वह इसका उल्लंघन करने का प्रयास करेंगे तो उन्हें भारत की मित्रता से हाथ धोना पड़ेगा। इन देशों को प्रसन्न करने की नीति छोड़नी पड़ेगी। पिछली शताब्दी का इतिहास साक्षी है कि यह नीति सफल नहीं रही है।

यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि जबकि अमरीका चीन को रोकने के लिए वियतनाम में करोड़ों डालर खर्च कर रहा है तब वह पाकिस्तान के प्रति, जो चीन का दोस्त है, मदद करने का रवैया क्यों अपना रहा है। हमारी सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

मैं प्रतिरक्षा मंत्री को भी चेतावनी देना चाहता हूं। हम पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्ध सामान्य बनाना चाहते हैं परन्तु इसके लिए हमें उनके दरवाजे नहीं खटखटाने चाहिए। परस्पर सम्बन्ध तभी ठीक हो सकते हैं जबकि दूसरा पक्ष भी उसके लिए इच्छुक हो। जब तक यह न हो, सरकार को अपनी नीति से अलग नहीं होना चाहिए और बार-बार पाकिस्तान से बातचीत करके एक गलत वातावरण उत्पन्न नहीं करना चाहिए।

ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तान हमें नीचा दिखाने के लिए कटिबद्ध है क्योंकि चीन उसकी मदद करने के लिए तैयार है। यदि सरकार ने अगली बार निर्णायक युद्ध नहीं किया तो देश उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। निर्णय यही है कि पाकिस्तान ने इस समय जिस भाग पर कब्जा कर रखा है, उसे खाली कराया जाय और उसे कब्जे में लिया जाये। पाकिस्तान को यह स्पष्ट बता दिया जाना चाहिए कि यदि उन्होंने अब आक्रमण किया तो वह निर्णायक युद्ध होगा।

में प्रतिरक्षा मंत्री को उस बात की भी याद दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने युद्ध समाप्त होने के बाद जोधपुर में सार्वजनिक भाषण में कही थी। जोधपुर की जनता ने पिछले युद्ध का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। माननीय मंत्री ने यह कहा था कि यदि अगली बार आक्रमण हुआ तो जोधपुर में बम नहीं बल्कि बम बरसाने वाले जहाज गिरेंगे। मुझे आशा है कि वह अपना आश्वासन पूरा करेंगे और वह इस प्रयोजन के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

सीमा चौकियों के बारे में राजस्थान में, जो कठिनाइयां पिछली बार हुई थीं, मैं उनके बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं। पाकिस्तान ने युद्धबन्दी के बाद चोरी छिपे आकर इन चौकियों पर कब्जा कर लिया। यह समाचार भी है कि पाकिस्तान राजस्थान की सारी सीमा पर अपनी चौकियां मजबूत कर रहा है। हमें भी अपनी चौकियां मजबूत करनी होंगी। हमें यह सब कार्य प्रभावशाली ढंग से करना चाहिए ताकि पाकिस्तान और अन्य देशों को यह पता लग जाये कि हमने पूरी-पूरी तैयारी की है और हो सकता है कि इससे संघर्ष टल जाये

श्री कृष्ण पाल सिंह (जलेसर): जिस माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, हम उनके आभारी हैं।

प्रतिरक्षा की तैयारी पर बहुत खर्च आता है। इसलिए हमें योजना सम्बन्धी अपना व्यय कम करना चाहिए ताकि प्रतिरक्षा तथा कृषि पर अधिक राशि व्यय कर सकें।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों के दौरान मैंने यह कहा था कि हमें अपनी नौसेना को मजबूत बनाना होगा। जहाज आदि बनाने के कार्य में बड़े परिवर्तन हुए हैं। आजकल विमान-वाहक पोत तथा हवाई हमले से बचाव वाले जहाज तैयार हो रहे हैं। इनकी तुलना में हमारे पास कोई भी अच्छा जहाज नहीं है।

जहां तक सेना का सम्बन्ध है, हमें सेनाध्यक्ष की इस बात को पूरा करना चाहिए कि हमारे पास प्रक्षेपणास्त्र होने चाहिए। प्रतिरक्षा के लिए आज के युग में यह अस्त्र वहुत आवश्यक हैं। हमारे पास अमरीका की तरह स्वचालित राइफलें होनी चाहिए। हमें इस क्षेत्र में आत्म निर्भर होना चाहिए और जब तक हम आत्म-निर्भर नहीं होते, हमें इस प्रकार के आधुनिक अस्त्र-उपलब्ध होने चाहिए।

हमें अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाना चाहिए। इस सम्बन्ध में हमें अपने गुप्तचर-कार्य में सुधार करना चाहिए। शत्रुओं की सेना आदि के सम्बन्ध में हमें जानकारी होनी चाहिए और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी प्रतिरक्षा तैयारी के बारे में शत्रुओं को पता न लगे। हमें विदेशियों को अपने देश में खुले आम नहीं घूमने देना चाहिए। हमें इस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए।

हमें आत्म-निर्भरता के साथ-साथ अन्य देशों को भी मित्र बनाना चाहिए जिनपर कि हम उस समय तक निर्भर रह सकें जब तक कि हम आत्म-निर्भर नहीं हो जाते। इस सम्बन्ध में हमें अपने सिद्धान्त में परिवर्तन लाना होगा। एक ओर हम अमरीका से अनाज लेते हैं और दूसरी ओर वियतनाम के बारे में उनकी निन्दा करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे मित्र बनाने चाहिए जिनपर हम आवश्यकता पड़ने पर निर्भर रह सकें।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): पाकिस्तान हर प्रकार से युद्ध की तैयारियां कर रहा है। अमरीका से युद्ध-सम्बन्धी सामान ले रहा है और चीन से भी हथियार ले रहा है। चीन ने उसे मिग विमान तथा टैंक दिये हैं। और यह आश्वासन दिया है कि वह पाकिस्तान का साथ देने में पीछे नहीं रहेगा। जब हम पाकिस्तानी आक्रमण का मुकाबला कर रहे थे तो चीन ने हमें धमकी दी। ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान अपनी भारी युद्ध की तैयारी के परिणामस्वरूप इस बार चीन की सहायता से प्रक्षेपणास्त्र का प्रयोग भी करेगा। हो सकता है कि वह छोटे पैमाने के आणविक हथियारों का भी प्रयोग करे।

मैं प्रतिरक्षा मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध कूटनीति सम्बन्धी चालों पर नहीं, बल्कि हमारी तैयारी पर निर्भर करते हैं। पाकिस्तान के साथ-साथ सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने के लिए हमने जो कुछ किया वह आज तक किसी अन्य देश ने अपने पड़ोसी देश से अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए नहीं किया। इसके बावजूद भी सम्बन्ध ठीक नहीं हुए। इसलिए हमें युद्ध की पूरी-पूरी तैयारी करनी चाहिए। सारे भारतवर्ष में प्रतिरक्षा सम्बन्धी तैयारी के लिए जनता को सचेत किया जाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री से यह भी निवेदन करूंगा कि वह सीमाक्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान दें। सीमा सुरक्षा पुलिस दल बहुत मजबूत बनाया जाना चाहिए। खेमकरन, गुरदासपुर, डेराबाबा नानक अथवा फाजिल्का के लोगों को यह विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि वह सुरक्षित हैं। प्रतिरक्षा मंत्री को चाहिए कि वह सीमा चौकियों का प्रबन्ध गृह-कार्य मंत्रालय से लेकर प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत ले लें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता दक्षिण पश्चिम): इस वक्तव्य में हमें कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इससे इस सभा का कोई हित नहीं हुआ है। हमने हाल में जो जानकारी सरकार से मांगी थी, उस सम्बन्ध में हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। इस वक्तव्य में अस्पष्ट रूप से पाकिस्तानी युद्ध तैयारी के बारे में कहा गया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है। अमरीका तथा चीन, जो भारत के विरोधी हैं, पाकिस्तान की सहायता कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान में जनरल अयूब यह वक्तव्य देते हैं कि भारत युद्ध की भारी तैयारी कर रहा है। इधर हम भारत में भी यह वक्तव्य देते हैं कि पाकिस्तान युद्ध की भारी तैयारी कर रहा है। यदि हमें किसी बात पर गम्भीर रूप से विचार करना है, तो हमारे पास कुछ तथ्य होने चाहिए।

इस सन्दर्भ में जो नई परिस्थिति पैदा हुई है वह यह है कि युद्ध के दौरान पाकिस्तान के जो युद्धोपकरण नष्ट हुए थे, उन्हें वह उन देशों से पूरा कर रहा है जिन्होंने उसे युद्ध सम्बन्धी सहायता दी थी। परन्तु अब वह यह हथियार आदि सीधे नहीं परन्तु अपरोक्ष रूप से अमरीका तथा जर्मनी आदि देशों से ले रहा है। हम इन देशों को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम इनसे सहायता ले रहे हैं और इसीलिए इस वक्तव्य में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मुझे यह समझ नहीं आया कि इस वक्तव्य का इस समय क्या मतलब है। लोगों को आश्वासन दिलाने के लिए इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। यदि आंतरिक झगड़ों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए यह वक्तव्य दिया गया है तो यह एक राजनैतिक उद्देश्य हो जाता है।

मुझे आशा है कि हम यूं ही बेकार नहीं बैठे हैं और युद्ध की पूरी-पूरी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि यदि हम यूं ही बैठे रहे और वे तैयारी करते रहे तो हम और कठिनाई में पड़ जायेंगे। सभा ने प्रतिरक्षा के लिए एक बड़ी राशि मंजूर की है।

1962 में चीनियों ने हमें काफी सैनिक हानि पहुंचाई और 1965 में हम उन कमजोरियों को कुछ हद तक पूरा करने में सफल हुए और पाकिस्तान की आक्रामक कार्यवाहियों को परास्त किया। किन्तु पिछले वर्ष भी हमें काफी प्रारम्भिक कमजोरियां नजर आईं और हम उसे भूले नहीं हैं। जब पाकिस्तानी सशस्त्र सेना ने छम्ब-जोरियां सीमा के पार आक्रमण किया तो हमारे पास हवाई रक्षा आवरण नहीं था और इस आक्रमण को रोकने के लिए अन्य सभी स्थानों से वायु सेना को हटा कर यहां पर लगाया गया। जब हमारी सेना ने कई तरफा हमला करने के लिए लाहौर सीमा को पार किया तो शुरू में कई दिनों तक हवाई सहायता न मिल सकी जिसका परिणाम यह हुआ कि हमारी सेना इच्छोगिल नहर के पार गई और वापस ढकेल दी गई। हमारी सैनिक परिवहन व्यवस्था अपर्याप्त सिद्ध हुई और बचाव के लिए हमें गैर-सरकारी लारी और ट्रक चालकों को बुलाना पड़ा।

हमें यह नहीं बताया गया कि आजकल क्या हो रहा है। हमें यह भी नहीं बताया गया कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष होने से पहले ब्रिटेन के साथ माल की सप्लाई के लिए जो समझौते किये

गये थे और जिनमें आबादी के टैंक कारखाने के लिए मूल्यवान साज-सामान, फालतू पुर्जे और आरमर प्लेटें शामिल थीं, उन्हें पूरा किया जा रहा है या नहीं। हमें बताया गया था कि प्लेट का सामान राऊरकेला कारखाने में तैयार किया जायेगा जो अन्ततः टैंकों के लिए आरमर प्लेटें सप्लाई करेगा। पत्रों में यह पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ कि 'हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड' के अध्यक्ष रूरकेला कारखाने के विस्तार और 'आरमर' प्लेटें बनाने के लिए परियोजना के लिए ऋण सुविधाओं पर बातचीत करने के लिए बान जा रहे हैं। इस परियोजना के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता पर भी बातचीत की जायेगी। इस परियोजना के लिए हम उस देश पर निर्भर कर रहे हैं जो गुप्त करारों द्वारा पाकिस्तान को हर प्रकार की सैनिक सामग्री दे रहा है। हमें मिग परियोजना के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया। इसलिए इस प्रकार का वक्तव्य बिलकुल बेकार है। जब तक हमें कोई सच्चाई नहीं बताई जाती और आंकड़े नहीं दिये जाते, इस प्रकार की बातों को सुरक्षा के नाम पर ओझल नहीं किया जा सकता। यदि पाकिस्तान से किसी आक्रमण होने का भय है तो हमें उसकी जानकारी दी जाय और इस आक्रमण के लिए हम क्या उपाय कर रहे हैं, यह भी बताया जाये।

श्री बृजराज सिंह (कोटा झालाबाड़): प्रतिरक्षा मंत्री के इस वक्तव्य से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पाकिस्तान अपनी सूक्ष्म कूटनीति के कारण पश्चिमी देशों और चीन, दोनों से हथियार प्राप्त करने में सफल रहा है और इस प्रकार उसने यह क्षति पूरी कर ली है जो उसे पिछले संघर्ष में हुई थी। दूसरी ओर हम अपने ही साधनों पर निर्भर करते हैं।

मंत्री महोदय को पाकिस्तान के साथ लगी हुई राजस्थान की सीमा के सम्बन्ध में भी कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। उस सीमा पर 15 या 20 मील तक के क्षेत्र से गैर-सैनिक जनता को हटाने की आवश्यकता है क्योंकि उस क्षेत्र में कुछ अवांछनीय तत्व भी हैं जो देश के शत्रुओं को सहायता पहुंचाते हैं।

उस क्षेत्र में सड़क व्यवस्था भी बिलकुल अपर्याप्त है जिसकी वजह से सेना के आवागमन में रुकावट होती है। सीमा के अन्दर अपनी ओर केवल 15 मील तक ही सड़क बनाने से कोई लाभ नहीं होगा। सड़क सीमा तक बना दी जानी चाहिए।

सीमावर्ती क्षेत्रों की चौकियों के बारे में मुझे बताया गया है कि कुछ विशेषज्ञ यह योजना बना रहे हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों की चौकियों में पाइपों से पानी पहुंचाया जाए। यह विचार जरा भी तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पाइपों को बड़ी आसानी से तोड़ा-फोड़ा जा सकता है। जहां तक पानी की व्यवस्था का सम्बन्ध है, चौकियां इस मामले में आत्मनिर्भर होनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए हम अपनी पुरानी तालाब व्यवस्था अपना सकते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में भी हमें चौकियों पर भी तालाबों की व्यवस्था ही अपनानी चाहिए जिसमें वर्षा का पानी और अन्य साधनों से भेजा गया पानी एकत्र किया जा सके ताकि आवश्यकता पड़ने पर चौकियां उस पानी को, कम से कम चार दिनों तक निश्चित रूप से उपयोग में ला सकें जब तक कि कोई सहायता उन्हें नहीं मिल जाती।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जोधपुर, बारमेड़ और वह प्रदेश जिन्हें हवाई हमले से हानि हुई थी, और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। हमें यह सिद्ध कर देना है कि केवल वायुयान विरोधी प्रक्षेपास्त्र ही वायुयानों को नहीं गिरा सकती परन्तु यदि दूसरे महायुद्ध में प्रयोग की गई तोपों जैसी वायुयान विरोधी तोपों की व्यवस्था कर दी जाती है तो वह भी शत्रुओं के जहाजों का कामगर विनाश कर सकती हैं। मैं यह भी सुझाव दूंगा कि हमें पश्चिमी देशों को विशेषकर पश्चिम जर्मनी और ईरान को पाकिस्तान को फौजी मदद देने के लिए स्पष्ट शब्दों में कड़ी चेतावनी दे देनी चाहिए।

यदि हमें अपने आप पर आश्रित रहना है तो यह आवश्यक है कि हमारे पास भी आणविक शक्ति हो। आणविक हमलों को रोकने के लिए हमारे पास भी अपने निजी आणविक साधन होने चाहिए। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या इस दिशा में कोई अध्ययन किया है और यदि किया गया है तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ? राष्ट्र क्या आशा रख सकता है। इस समय आणविक ब्रह्मचर्य अपनाना उपयुक्त नहीं है। अगले दिन पत्रों में छपा है कि स्थल सेना के नये अध्यक्ष, श्री कुमार मंगलम ने कहा है कि हमें मिसाइल्स की स्थापना करनी चाहिए। राष्ट्र को इस विशेष मामले में क्या आशा रखनी चाहिए। भारत इलेक्ट्रोनिक तथा अन्य सम्बन्धित संस्थाओं ने काफी कुछ किया है किन्तु मिसेल की आवश्यकताओं की क्रियान्विति के लिए काफी कुछ करने की आवश्यकता है।

[**श्रीमती रेणुका राय पीठासीन हुईं**
Shrimati Renuka Ray in the Chair]

पिछली लड़ाई में हमारी सभी सशस्त्र सेनाओं ने शानदार कार्य किया और वीरता के लिए काफी इनाम दिये गये। यह सभी इनाम सशस्त्र सेनाओं में चोटी के नेताओं को दिये गये और हमारी फौजों के जवान नेताओं को अतुल्य वीरता के लिए कुछ नहीं दिया गया। बड़े अधिकारियों के साथ-साथ छोटे अधिकारियों को भी पुरस्कृत किया जाए जिन्होंने अपने जीवन को खतरे में डाल दिया था और हर प्रकार का कठिन कार्य किया था।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर): आज आकाश में आक्रमण, अन्तर्राष्ट्रीय षड्यन्त्र तथा सांठ-गांठ के बादल घिरे हुए हैं। आज पाकिस्तान की ओर से भी खतरा है। पाकिस्तान की क्षेत्रीय लालसा की प्यास बुझने वाली नहीं है। पाकिस्तान के भूतपूर्व विदेश कार्य मंत्री ने हजार वर्षों के लिए युद्ध के लिए कहा था और लगता है कि पाकिस्तान की वर्तमान सरकार भी हजार वर्ष तक लड़ाई रखने का इरादा रखती है। दोनों देशोंके बीच सम्बन्धों को सुधारने के लिए हमने जो समझौते की कार्यवाही की है उससे पाकिस्तान की भूख प्यास और बढ़ गई है। पाकिस्तान ताशकंद समझौते को नष्ट करने पर तुला हुआ है।

आज हमें मालूम होता है कि पाकिस्तान सैनिक तैयारियों में लगा हुआ है। वह इच्छोगिल नहर जैसी नहरें बना रहा है। कसूर नाले को सैनिक उद्देश्यों से सुधारा जा रहा है। पूर्वी पाकि-

स्तान में कोस्थिया में और चन्द्रपीर में हालीपेड में मिसाइल अड्डा बनाया जा रहा है। सुलेमानकी हेडवर्कस के निकट पाकिस्तान ढांचे खड़े कर रहा है।

हमारी सीमाओं पर एक के बाद एक अतिक्रमण हो रहा है और फिर भी हमें बताया जाता है कि चिन्ता करने की कोई बात नहीं है और सरकार यथोचित कार्यवाही करेगी। नागा विद्रोहियों तथा मिजो लोगों के साथ पाकिस्तान की घुसपैठ तथा उनके द्वारा पाकिस्तानी सेना को छापामार लड़ाई में प्रशिक्षण देने तथा जासूसी में सक्रिय भाग लेने तथा चुम्बी घाटी के निकट तथा सिक्किम और भूटान के सम्बन्ध में चीन की गतिविधियों से हमें बड़ी आशंका हो रही है। प्रतिरक्षा मंत्री इस सम्बन्ध में हमें निश्चित तथ्य दें।

पाकिस्तान ने काफी सैनिक सहायता प्राप्त की है। माननीय मंत्री ने सभा को सूचना दी थी कि पाकिस्तान की वायु सेना के पास पिछले वर्ष की अपेक्षा अब लड़ाकुओं और बम्बों के 5 जहाजी बेड़े अधिक हैं और पाकिस्तान ने सशस्त्र सेना को 5 डिवीजन से बढ़ाकर 11 डिवीजन करने का निश्चय किया है। पाकिस्तान चीन से पूरी सहायता तथा सहयोग ले रहा है। चीन ने न केवल 200 टैंक और कुछ मिग दिये हैं परन्तु उसने पश्चिम एशिया के देशों से सैनिक सामान खरीदने के लिए ऋण भी दिया है। प्रतिरक्षा मंत्री ने बताया कि 110 कैनेडियन वायुयान, प्रकट रूप से मरम्मत के लिए पश्चिमी जर्मनी से ईरान होते हुए पाकिस्तान भेजे गये हैं। मंत्री महोदय हमें बतायें कि इस सम्बन्ध में उनकी जांच से कोई निश्चित निष्कर्ष निकले हैं कि वे वायुयान ईरान द्वारा भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता के अन्तर्गत पाकिस्तान भेजे गये हैं। हम यह भी जानना चाहते हैं कि यदि हमने इस मामले में राजनयिक तौर पर केनाडा, पश्चिम जर्मनी और ईरान से बातचीत की है तो उसका क्या परिगाम निकला है। लगता है कि पुर्तगाल एक और अपराधी है। इस पूरे षड्यन्त्र की देश को जानकारी दी जाये। विशेष रूप से पाकिस्तान में मिसाइल आधार की स्थिति की जानकारी दी जाये।

क्या सरकार को पाकिस्तान द्वारा चीन के साथ किये गये आणविक समझौते के आशय के बारे में जानकारी है ? हमें यह बताया जाये कि पाकिस्तान और चीन के बीच आणविक समझौते में क्या प्रगति हुई है ? इस सम्बन्ध में हमें अधिक से अधिक सूचना दी जाये।

इस सम्बन्ध में राजस्थान की कुछ समस्याओं का हवाला देना भी वांछनीय है। प्रतिरक्षा मंत्री ने स्वयं जोधपुर का दौरा किया और राजस्थान के सीमावर्ती प्रदेशों की प्रतिरक्षा समस्याओं की जानकारी ली और सार्वजनिक सभा में कुछ आश्वासन दिये।

पिछले वर्ष की लड़ाई में सबसे भारी बमबारी जोधपुर नगर पर की गई। इस क्षेत्र में अब तक के अनुमान के अनुसार, 215 बम्ब गिराये गये। प्रारम्भिक अवस्था में यहां पर प्रतिरक्षा का कोई उपाय नहीं किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान सीमा के निकट पूरी पट्टी पर ऐसे लोग रहते हैं जो अन्य देशों के प्रति निष्ठा रखते हैं और पिगारो के पीर उस क्षेत्र में जो गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं उससे हमारे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। प्रतिरक्षा मंत्री इस ओर ध्यान दें।

राजस्थान सीमा पर घुसपैठ होने की सूचना मिली है। सीमा क्षेत्रों में वर्तमान प्रबन्ध पर्याप्त नहीं है और न ही राज्य सरकार उस क्षेत्र में घुसपैठ, जासूसी तथा सक्रिय तोड़-फोड़ की सम्पूर्ण समस्या को सुलझा सकती है। उस क्षेत्र में सशस्त्र पुलिस ठीक तरह से सज्जित नहीं है।

पानी की सप्लाई तथा कृषि की दृष्टि से उस क्षेत्र का विकास प्रतिरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। मंत्री महोदय यह बतायें कि राजस्थान की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गई है।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : प्रतिरक्षा मंत्री ने पाकिस्तान की तैयारी का संक्षेप में ब्योरा दिया है। उन्होंने बताया कि वह स्थिति से सचेत हैं और देश की प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक हर संभव उपाय कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं उनका ध्यान दो तीन महत्वपूर्ण मामलों की ओर दिलाऊंगा।

एक तो यह है कि पूर्वी सीमाओं पर तथा राजस्थान की सीमाओं पर ऐसे लोग रहते हैं जो अन्य देशों के प्रति निष्ठा रखते हैं। संकट के समय ऐसे लोगों से खतरा हो जाता है। अतः सीमाओं पर प्रतिरक्षा का पर्याप्त प्रबन्ध होना चाहिए और ऐसे लोगों को जिनकी निष्ठा पर संदेह किया जा सकता है, गड़बड़ी करने से रोका जाये। पूर्वी सीमा पर पूर्वी पाकिस्तान से असम अथवा पश्चिम बंगाल में आये लोग आबाद हो गये हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में इन तत्वों द्वारा किसी भी संकट के लिये पूरी तैयारी करना अत्यावश्यक है। इस बात की पूरी-पूरी कोशिश की जाये कि हमारी सेना ऐसे हथियारों से लैस हो कि वह आधुनिक हथियारों से लैस शत्रु का सामना कर सके जो हमारी भूमि को हथियाना चाहते हैं। इस समस्या की ओर अवश्य ध्यान दिया जाये।

दूसरा मामला यह है कि परिवहन में त्रुटि है। पाकिस्तान के साथ पिछले युद्ध के दौरान हमें काफी गैर-सरकारी लारियों, बसों और ट्रकों की सहायता लेनी पड़ी। यदि इनकी सहायता न ली जाती तो सेना के लिये अपने मोर्चों गर पहुंचना कठिन हो जाता। इसलिये आवश्यकता के समय सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए परिवहन मोटर गाड़ियों की संख्या जितनी सम्भव हो सके उतनी तथा यथाशीघ्र बढ़ाई जाये ताकि हमें गैर-सरकारी परिवहन की सहायता न लेनी पड़े। गैर-सरकारी परिवहन को केवल अतिरिक्त रिजर्व के रूप में रखा जाये जिसे आवश्यकता पड़ने पर ही प्रयोग में लाया जाये।

राष्ट्रीय छात्र सेना दल को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसमें और सुधार किये जायें। सभी कालेजों में राष्ट्रीय सेना छात्र दल के अन्तर्गत प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। किसी लड़के को छूट न दी जाये। प्रशिक्षण को भी जोरदार बनाया जाय और ऐसा प्रशिक्षण दिया जाय कि प्रतिरक्षा के दूसरे उपाय के रूप में उनका उपयोग किया जा सके। जनता का साहस बढ़ाने के लिए भी उनका प्रयोग किया जाये।

अन्त में प्रतिरक्षा मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह हमारी सशस्त्र सेनाओं को अद्यतन लड़ाई के सामान से सज्जित करने के लिए हर सम्भव कदम उठायें। राष्ट्रीय छात्र सेना दल के

अन्तर्गत प्रशिक्षण को जोरदार बनाया जाये। सीमाओं की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाये जायें तथा अन्य देशों के प्रति निष्ठा रखने वाले लोगों की रोक थाम की जाये।

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur) : We have not been able to distinguish between countries which are friendly to us and inimical to our country. One Group of members of this House suggests certain countries which are opposed by other members of the other Group. The Communist party is of the view that we should not enter into friendly alliance with W. Germany, U.S.A. and U.K. The other party does not recognise our friendly relations with China and Pakistan. Canada is supplying military goods to Pakistan through other countries. We are afraid of Iran and Arabian countries. We are more than 40 crores and I do not understand the reason behind this fear.

We can establish friendly and good neighbourly relations with China and Pakistan only if we surpass their diplomacy. Our present way of entering into friendly relations with other countries has proved a great failure.

It is sometimes suggested that the territory of Kashmir be transferred to Pakistan. I do not understand the logic of this view when Kashmir has become an integral part of India.

Pakistan is preparing herself fully for a war on the Rajasthan border. The people there fear that there can be attack at any moment. We would, therefore, like to know from the Government as to what preparations they have made to meet that threat.

Shri Brij Raj Singh was just now saying that the small persons did not get the prizes while the big ones got it. I too have seen this thing. I had gone to inspect the Ishapur Rifle Factory. I have seen the employees of that factory have done a commendable job in producing rifles in large numbers within a very short period. But I am very sorry, it is a matter of great regret that Government have not recognised their work.

It is generally said that the labour of Bengal has gone communist. I was surprised to see the devotion and honesty with which they were working. The people there have worked very hard but their work has not been recognised.

We will now manufacture atom weapons. In this way we will make our country strong.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 94वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION REGARDING NINETY-FOURTH REPORT OF THE COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS & RESOLUTION

श्री अ० शं० आल्वा (मंगलौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पो सम्बन्धी समिति के 94 वें प्रतिवेदन से, जो 24 अगस्त, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

संविधान [संशोधन] विधेयक
(नये अनुच्छेद 125 क और 221 क का रखा जाना)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(Insertion of new Article 125A and 221A)

श्री हरि विष्णु कामत : (होशंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

श्री हरिविष्णु कामत: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

संविधान [संशोधन] विधेयक—जारी
(अनुच्छेद 352 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—contd.
(Amendment of Article 352)

सभापति महोदय : सदन अब 12 अगस्त, 1966 को श्री हरि विष्णु कामत द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैंने यह प्रस्ताव पंद्रह दिन पहले संक्षेप से प्रस्तुत किया था तथा मैं सभी मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि वे इस प्रस्ताव पर अच्छी तरह से विचार करें क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है ।

विधेयक के बारे में कुछ कहने से पहले मैं उस बात का उल्लेख करूंगा जो इस विषय के बारे में संविधान सभा में, जिसकी आप सदस्या थीं, कही गई थी । आपको याद होगा कि इस बारे में एक सप्ताह से अधिक समय तक चर्चा हुई थी । चर्चा के बाद मेरे द्वारा सुझाये गये मुख्य संशोधनों के बिना जब आपातकालीन उपबन्ध स्वीकार किये गये थे तो मैंने यह घोषणा की थी कि देश के इतिहास में यह दिन काला दिन माना जायेगा । 4 अगस्त को प्रारूप समिति के अध्यक्ष, डा० अम्बेदकर ने, जो कि संविधान के प्रारूप निर्माता थे, इस बारे में बहुत महत्वपूर्ण भाषण दिया था । उन्होंने कहा था कि इन अनुच्छेदों का दुरुपयोग होने की सम्भावना है । मुझे

आशा है कि सदन यह स्वीकार करेगा कि यह वर्तमान संसद् इतिहास में आपातकालीन संसद् मानी जायेगी। ब्रिटेन के इतिहास में चिरकालीन संसद् प्रसिद्ध है तथा हमारे इतिहास में यह संसद् आपातकालीन संसद् माना जायेगा। हमारे शपथ ग्रहण करने तथा इस सदन में स्थान ग्रहण करने के छः महीने बाद ही आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी। यह बात नहीं है कि घोषणा बिना किसी आधार के की गई थी। हिन्दी-चीनी भाई-भाई का नारा समाप्त हो गया था और उस देश ने हमारे देश पर आक्रमण किया था। तब राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल की उद्घोषणा की थी। परन्तु उसके बाद से भी आपातकाल जारी है तथा लोग उसके बोझ के नीचे पिस रहे हैं।

सरकार जिस प्रयोजन के लिए आपातकाल का प्रयोग कर रही है हमें नहीं बताया जाता है। आपातकाल का उद्देश्य तो देश को बाहरी आक्रमण के विरुद्ध मजबूत करना तथा अपनी युद्ध सम्बन्धी तैयारियों को पर्याप्त मात्रा में रखना था जिससे अपनी सुरक्षा तथा स्वतंत्रता को होने वाले खतरे का मुकाबला किया जा सके। यह हैरानी की बात है कि साढ़े तीन वर्ष गुजर गये हैं परन्तु आपातकाल अभी जारी है।

जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है तथा राष्ट्रपति राज्य को अपने अधिकार में ले लेता है तो वह मामला हर छठे महीने अनुमोदन तथा अनुसमर्थन के लिये संसद् के सामने आता है। वही बात हमें सारे देश में आपातकाल लागू करते समय अपनानी चाहिए। क्या संसदीय लोकतन्त्र में यह बात ठीक है कि आपातकाल की शक्तियों को बिना कम किये अनिश्चितकाल के लिए जारी रखा जाये।

संसद् ने आपातकाल की उद्घोषणा को स्वीकार कर लिया था। हमने उसे तब स्वीकार किया था जब चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया था। सरकार ने जो भी शक्तियां मांगी हमने उसे दीं। संसद् में भारत रक्षा विधेयक पास किया गया। उस समय स्थिति और थी और अब स्थिति और है। हम महसूस करते हैं कि हमारी युद्ध तैयारी पहले की तुलना में अब अच्छी है। अब रक्षा मंत्री भी और आ गये हैं। मंत्रिमंडल में भी परिवर्तन हो गया है। तब से हम दो प्रधान मंत्री खो बैठे हैं। इसलिये यदि सरकार लोकतंत्री संविधान की भावना तथा शब्दों का सम्मान करना चाहती है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह इस उद्घोषणा को भी संसद् के सामने रखे।

अब मैं राज्यों में राष्ट्रपति शासन से सम्बन्ध रखने वाले अन्य अनुच्छेद पर आता हूं। मेरे विचार से वह अनुच्छेद संख्या 356 है। सभा को उस अनुच्छेद के बारे में अच्छी जानकारी है। उसके अनुसार जब राष्ट्रपति किसी राज्य का शासन भार सम्हाल लेता है—तो राज्य को अधिकार में लेने की उद्घोषणा सदन के सामने स्वीकृति के लिए हर छठे महीने आनी चाहिए। वर्तमान विधेयक से यह व्यवस्था करने का प्रयत्न किया गया है कि खण्ड (1) के अधीन जारी की गई उद्घोषणा, जब तक वह रद्द नहीं की जाती, खण्ड (2) के अधीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला दूसरा संकल्प स्वीकृत किये जाने की तारीख से छः महीने की अवधि समाप्त होने पर लागू

नहीं होगा, परन्तु यदि ऐसी उद्घोषणा को जारी रखने का संकल्प संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है तो वह उद्घोषणा, जब तक कि वह रद्द नहीं की जाती, उस तारीख से जबकि इस खण्ड के अधीन यह अन्यथा लागू नहीं होगी छः महीने की और आगे की अवधि के लिए लागू होती रहेगी ।

जब सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ चीज नहीं है तो वह संसद् के दोनों सदनों के सामने आने से क्यों डरती है ?

वरिष्ठतम गृह-कार्य मंत्री ने गत सत्र अथवा इस सत्र के आरम्भ में इस सभा में वक्तव्य दिया था कि भारतरक्षा नियमों के अन्तर्गत शक्तियां छीन ली गई हैं हालांकि आपातकाल जारी है । यह बड़ी उलटी बात है । संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत राष्ट्रपति को आपातकाल की उद्-घोषणा को समाप्त करना होता है । ऐसा नहीं किया गया है । परन्तु कुछ राज्यों में मुख्य मंत्रियों से शक्तियां छीन ली गई हैं ।

फरवरी में चुनाव होने वाले हैं । इन शक्तियों के होते हुए सरकार किसी भी उम्मीदवार अथवा उसके कार्यकर्त्ताओं को, गिरफ्तार कर सकती है । क्या यह निष्पक्ष चुनाव कराने का तरीका है । जब तक यह कानून लागू रहता है इस बात की कोई गारंटी नहीं हो सकती कि किसी उम्मीदवार तथा उसके कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार नहीं किया जायेगा । आप उसके कार्य-कर्त्ताओं को गिरफ्तार कर सकते हैं तथा उसे तंग कर सकते हैं ।

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि विधेयक में उठाये गये महत्वपूर्ण मामले पर वे गम्भीरता से विचार करें । उद्घोषणा संसद् के सामने हर छठे महीने आनी चाहिए ताकि वह उसकी जांच पड़ताल करे ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (सलेमपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को 30 नवम्बर, 1966 तक उस पर राय जानने के लिये, परिचालित किया जाय"

सभापति महोदय : माननीय सदस्य थोड़ा समय लें क्योंकि बहुत वक्ता अभी शेष हैं ।

Shri Vishwanath Pandey : Madam Chairman, the amending Bill moved by Shri Kamath and the arguments advanced in regard thereto appear to me to be irrelevant. The reason for it is that the framers of the constitution were very wise persons and they had framed the constitution by consulting other constitutions of the world. The very object of article 352 is, that at the time of attack the administration may run smoothly and the activities of the rebels may be checked.

[**श्री श्याम लाल सर्राफ पीठासीन हुए**
Shri Sham Lal Saraf in the Chair]

Therefore many complications will arise by the proposed amendment in the constitution. The provision in article 352 had been incorporated after a great deal of thought and there was no justification for any amendment thereto. If, in spite of that the mover wants to insist on his amendment, then the House should agree to circulate the Bill for eliciting public opinion thereon.

There is, however, no reason to fear that the emergency powers can be misused by the Party in power in the next elections. Many a times the Hon. Home Minister has declared that the emergency powers and the Defence of India rules are used in a restricted manner.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं श्री कामत द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक का समर्थन करता हूँ। मेरा यह विचार है कि यदि गृह-कार्य मंत्रालय इस पर निष्पक्ष रूप से विचार करे तो कोई कारण नहीं है कि इस विधेयक को स्वीकार न किया जाये।

आपात ने आजकल जनतंत्र की अच्छी खिल्ली उड़ाई है। मैं श्री कामत से सहमत हूँ कि इस सदन के माननीय सदस्य भी भूल रहे हैं कि देश में आपातकाल है।

श्री कामत चाहते हैं कि आपात की उद्घोषणा को हर छठे महीने सभा में लाया जाना चाहिये। इससे कोई नुकसान नहीं होगा।

जब देश में आपात है, और रहेगा भी, तब संविधान के सभी अनुच्छेदों का प्रयोग किया जाना चाहिये चाहे वे हमारे विरोध में हों अथवा उनके अपने दल के लोगों के विरोध में हों।

आजकल आपात कहां है और आपात की स्थिति क्या है। हमें मालूम है कि राजनीतिक प्रतिद्वन्दियों तथा सार्वजनिक आन्दोलनों को दबाने के लिये इन शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है। जब कभी भी सत्तारूढ़ दल के गलत कामों के विरोध में आन्दोलन किया जाता है तो लोगों को दबाने के लिए आपात के अन्तर्गत सभी उपबन्धों का प्रयोग किया जाता है। मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं होता है कि यह सरकार अपने पुराने बलिदानों के आधार पर नहीं चल रही है परन्तु भारत सुरक्षा नियमों पर। यदि भारत सुरक्षा नियम समाप्त कर दिए जायें तो यह सरकार भी समाप्त हो जायेगी।

मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूँगा कि हमारी इस प्रार्थना को अवश्य स्वीकार किया जाये।

मुझे आशा है कि सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

Shri R. S. Pandey (Guna): I support the Bill moved by Shri Kamath that an amendment may be made in article 352 of the constitution. The idea stipulated in that Bill is quite reasonable. It will not at all be undesirable if Parliament reviews every six months the situation and see whether the continuance of emergency is necessary or not.

But we are passing through a period which is extraordinary. There is a threat on

our borders both from Pakistan and China. Our internal condition is also not good. There are agitations in the country every now and then.

Keeping in view the internal situation and external threat the Hon. Home Minister should introduce motion in the House for its consideration at regular intervals. I think it will be proper if the leaders of the opposition see the Prime Minister and Home Minister and discuss with them the situation in the country from time to time. It will be a good convention. I would also request the opposition not to disturb the internal peace by way of 'Ghera Dalo' or other type of agitations.

डा० रानेन सेन (कलकत्ता-पूर्व) श्री कामत ने बहुत उचित समय पर संविधान सम्बन्धी संशोधन प्रस्तुत किया है। गत 15 वर्षों में संविधान में 17 संशोधन किये गये हैं और इनमें से अधिकांश संशोधन जनता के हित में नहीं थे। ये सभी संशोधन सत्तारूढ़ दल के हित के लिये ही किये गये। परन्तु वर्तमान संशोधन से संसद् की प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और प्रयुक्ता की रक्षा होगी।

श्री कामत ने तो आपात को कुछ क्षेत्रों तक सीमित रखना ही उचित समझा है परन्तु मैं तो इससे एक कदम आगे जाकर आपात की बिल्कुल समाप्ति की मांग करता। गत चार वर्षों से आपात ने भारत में आतंक फैला रखा है।

कालीकट के जय इन्जीनियरिंग वर्क्स के मजदूरों ने मालिकों के विरुद्ध हड़ताल की तो उनके संघ के महासचिव समेत चार सौ मजदूरों को भारत रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे राज्य तथा अन्य राज्यों में भी बहुत से संसद् सदस्यों को इसी प्रकार गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार सरकार ने लोगों का विशेषकर मजदूरों का दमन करने के लिये इन शक्तियों का गलत प्रयोग किया है। प्रश्न केवल इतना ही नहीं है कि इन शक्तियों का गलत प्रयोग किया गया है बल्कि सरकार की गलत नीतियों के कारण जनता में जो असंतोष फैल गया है उसका दमन करने के लिये भी सरकार ने इन शक्तियों का प्रयोग किया है।

पश्चिमी बंगाल में इस समय भारत रक्षा नियम लागू नहीं है परन्तु फिर भी वहां पर कल ही चाय बागान के मजदूरों पर गोली चलाई गई; जिसके परिणामस्वरूप एक मजदूर की हत्या हो गई। इसलिए इन नियमों से तो सरकार को और भी अधिक शक्तियां मिली हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक छः महीनों के पश्चात् यह मामला संसद् के समक्ष लाया जाये जिससे सदस्य देश के भीतर तथा बाहर की स्थिति का पुनर्विलोकन कर सकें।

इन विशेष शक्तियों ने राज्यों के मुख्य-मंत्रियों को किस हद तक भ्रष्ट किया है कि अधिकांश राज्यों के मुख्य-मंत्री इन आपात शक्तियों के हटाये जाने के विरुद्ध हैं।

यदि देश की सीमाओं पर कोई वास्तविक खतरा उत्पन्न हो तो राष्ट्रपति कुछ ही मिनटों में आपात की घोषणा कर सकते हैं और यदि सरकार लोगों को गिरफ्तार करना चाहती है तो वह ऐसा कुछ ही घण्टों में निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत कर सकती है। इसलिए कम से कम इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

Shri Shree Narain Das (Darbhanga): The amendment to the constitution introduced by Shri Kamath has a limited scope. Taking advantage from this opportunity many opposition members have criticised the Emergency. I think this question has already been discussed in this House.

It is correct that the provision in the Bill does not appear to be improper however it is not necessary also. This House is a sovereign body and it can discuss the situation of the country at any time and it has also got full right of criticising functions of the Government.

The framers of the constitution were fully aware of the implication of Article 352 when they put this Article in the constitution.

At present the only question before the House is whether it should have the right of discussing the proclamation of the President every six months and if thinks proper even rejecting it. But I think that this House has got full right of discussing the situation of the country through a motion or resolution at any time. So, there is no need of amending the constitution for this purpose.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : श्री कामत ने यह संशोधन प्रस्तुत करके जो सेवा की है उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं ।

राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के उपबन्धों के अन्तर्गत आपात की स्थिति की उद्घोषणा करता है और जब कभी राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा करता है तो इसको दो महीने के अन्तर्गत सभा के सामने लाया जाता है तथा सभा उसका अनुमोदन करती है । संविधान में ऐसी ही व्यवस्था है । इसका अर्थ यह हुआ कि जब एक बार सभा राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित आपात की स्थिति का अनुमोदन कर देती है तो यह स्थिति अनिश्चित काल तक जारी रह सकती है । मेरा विचार है कि इस प्रकार की स्थिति को बनाये रखना ठीक नहीं है ।

अभी जो माननीय सदस्य बोले हैं उन्होंने कहा है कि एक गैर-सरकारी सदस्य द्वारा भी प्रस्ताव अथवा संकल्प द्वारा चर्चा उठायी जा सकती है । परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कार्य इतना सुगम नहीं है । यदि सभा के नेता तथा कांग्रेस दल किसी विषय पर चर्चा न करना चाहें तो विरोधी दल के सदस्य किसी प्रकार भी चर्चा उठाने का अवसर नहीं पा सकते । वर्तमान विधेयक भी बैलट द्वारा चर्चा के लिये सभा के समक्ष लाया गया है ।

हम केवल इतना चाहते हैं कि जब देश में आपात की स्थिति हो और लोकतन्त्र प्रणाली भी कार्य कर रही हो तो सभा को यह कहने का अवसर मिलना चाहिये कि आपात को जारी रखा जाये अथवा नहीं । देश की प्रतिरक्षा के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने अथवा देश के भीतर आतंक फैलाने का हमारा प्रश्न नहीं है । हमारी मांग केवल इतनी है कि इस सभा को छः महीने में एक बार स्थिति का पुनर्विलोकन करने का अवसर मिलना चाहिये ।

वास्तव में सत्तारूढ़ दल इन शक्तियों को छोड़ना नहीं चाहता ताकि वह विरोधी दलों का दमन कर सके ।

आपात का गलत प्रयोग किया गया है। मुझे इस बात का अनुभव है क्योंकि मुझे दो बार 1962 तथा 1964 में दस तथा सोलह महीनों के लिये कारागार में रखा गया है। जब एक संसद् सदस्य की जिसको कि दस लाख व्यक्तियों ने निर्वाचित किया है, यह स्थिति है तो साधारण व्यक्ति की क्या स्थिति होगी। सरकार देश में आपात, प्रतिरक्षा तथा संविधान के नाम पर एकतंत्रीय तथा समग्रवादी शासन स्थापित कर रही है। यही कारण है कि सरकार छः महीने के बाद भी चर्चा करने का अवसर देना नहीं चाहती।

यदि सरकार का लोकतन्त्र तथा इस संविधान में विश्वास है तो उसको इस विधेयक को स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। तीन बातों को ध्यान में रखकर इस विधेयक पर विचार किया जा सकता है—सिद्धान्तिक, व्यवहारिक तथा इसकी वास्तविक कार्यान्विति।

इस विधेयक में कुछ सिद्धान्तिक बातें अन्तर्ग्रस्त हैं। श्री कामत ने इसका उल्लेख किया है। वह सिद्धान्त यह है कि कार्यपालिका के ऊपर संसद् की प्रभुता है। इस सिद्धान्त का आशय यह है कि संसद् का कार्यपालिका के ऊपर निरन्तर तथा निर्विरोध नियंत्रण रहे। यदि इस प्रकार की आपात की शक्तियां, जिस प्रकार की इस समय हैं, बिना संसद् के नियंत्रण के जारी रखी गईं तो यह इस सिद्धान्त का वस्तुतः निषेध होगा, यदि अन्य कोई आधार न भी हो तो भी केवल इसी आधार पर मेरे माननीय मित्र श्री कामत के विधेयक को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये। लम्बी अवधि के लिये कार्यपालिका द्वारा इन शक्तियों को बिना किसी नियंत्रण के जारी रखना संविधान के सिद्धान्तों के विरुद्ध है।

दूसरी बात इस विधेयक पर व्यवहारिक रूप से विचार करने की है। इस सिद्धान्त के अनुसार यदि आपात की स्थिति को एक बार स्वीकार कर भी लिया जाता है तो भी उस पर न केवल नियंत्रण ही रहे बल्कि उसका देश के प्रभुता सम्पन्न प्राधिकारी द्वारा जोकि केवल संसद् ही है, निरन्तर तथा समय-समय पर परीक्षण तथा विचार किया जाना चाहिये।

Dr. Ram Manohar Lohia: The mover of the Bill deserves congratulations because he has introduced such a Bill through which we can have discussion from time to time about the disease with which this country is suffering.

In fact a demand should have been made in this Bill for omission of Article 352 from the Constitution. The ruling party is making a wrong use of its powers under this Article of Constitution and that is the basic reason for all the difficulties. The Government is deceiving the people in the name of this Article because there is no real internal or external threat exists at present to the country. No where in the world such a big fraud has been done by a Government with the people of its own country.

Even if after six months discussion is held about this matter the attention of the people

will be attracted and because the Government will have to reply the allegation's made against him there might have been some change in its attitude.

This Article 352 of our Constitution is just like that of Article 48 of the 'Bymas' constitution of Germany which brought destruction to that country.

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि दिल्ली में बार संस्था के अन्तर्गत एक गोष्ठी हुई थी जिसका उद्घाटन उस समय के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति ने किया था। उस गोष्ठी में मैंने आपात काल तथा मौलिक अधिकारों के बारे में अपने विचार रखे थे। मैंने सुझाव दिया था कि संविधान का संशोधन होना चाहिये जिसके अनुसार आपात काल की घटनाओं का समय समय पर पुनरीक्षण होना चाहिये। हमारा संविधान अन्य संविधानों से इस दिशा में भिन्न है कि यहां मौलिक अधिकारों के उपचार को भी मौलिक अधिकारों में शामिल किया हुआ है। परन्तु आज क्या हो रहा है ? गत चार वर्ष से जब से आपात की उद्घोषणा हुई है कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकता। इसका अर्थ यह है कि सारी मौलिक स्वतंत्रतायें बीच में ही लटकी पड़ी हैं। यह तो उन मौलिक अधिकारों के बारे में दी गई गारंटी का मजाक है। जो आज यहां हो रहा है उसमें और एक पुलिस राज्य में कोई अन्तर नहीं है। आपको पता है कि महान्यायवादी को भी यह मानना पड़ा कि यह अधिनियम संविधान में दिये गये मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है।

श्री कामत का कहना है कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे पुनर्विलोकन हो सके।

सारे देश में मांग हो रही है कि आपात स्थिति समाप्त होनी चाहिये। इसे जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री शिंकरे (मरमागोआ) : संभव है श्री कामत का इस विधेयक के पीछे अच्छा उद्देश्य हो परन्तु मुख्य प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यह आवश्यक भी है अथवा नहीं। दुर्भाग्यवश विरोधी पक्ष की ओर से अधिकांश भाषणों का इस विधेयक से सम्बन्ध नहीं था।

प्रथा के अनुसार प्रत्येक वर्ष बजट सत्र के समय, दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होती है। उस समय संसद् को पूरा अधिकार है कि सरकार की आलोचना करे तथा सरकार को अपदस्थ कर दे। उसके अतिरिक्त किसी भी सदस्य को, बेलट की अनुमति से, यह अधिकार है कि सदन के सामने कोई प्रस्ताव अथवा संकल्प ला सकता है और कह सकता है कि आपात काल की कोई आवश्यकता नहीं है।

इसलिए इस विधेयक से तो केवल संसद का समय नष्ट करना है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

Shri Yashpal Singh (Kairana): I am unable to follow as why the emergency still continues here. There is no war going on as far as the Government is concerned. Government says that following the Tashkent agreement we will not wage any war and Pakistan will not attack us. The Government is not prepared to issue any ultimatum to China although we have retreated after leaving 38 thousand square miles of our territory. Then

why this emergency is continuing? Is it only to loot people, tax people, to collect subscription from the people and to put behind the bars the members of the opposition parties. There is no need for continuing emergency now.

No Minister has come out saying that as there is emergency, he will forgo 50 or 25 per cent of his salary for that.

The defeat which this country faced was due to this Government. Now they blame the communists. But the case of giving communist China seat in the U.N.O. is being advocated not by communists here but by the Government of India.

We are following the Saka era i.e. the era of a defeated person. As youk now Maharaja Vikramaditya defeated Shaks. The Government befriends the rebel Nagas and the rebel Mizos. They treat them in a friendly manner and hobnob with them.

We should atonce abandon four things viz Panchsheel, Tashkent Agreement, non-manufacturing of nuclear weapons and non-alignment. A non-aligned nation is comparable to a man sitting on the bank of a river who can be pushed into the river any moment by anybody.

The emergency is not needed here even for a minute. The Government should be asked to explain as to why they brought defeat to the country.

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : I appreciate the sentiment of Shri Kamath. I also appreciate the fact that if the emergency is continued for 3 to 4 years there does not remain any importance of emergency. It becomes an ordinary situation.

Recently in England, Mr. Wilson's Government also proclaimed an emergency. There was much criticism of it saying that Mr. Wilson is staying at his house and so is the case with other Ministers, then why should the emergency remain?

I oppose Shri Kamath's Bill as he wants to amend the constitution. If we accept it then our constitution which is so sacred and sovereign will be reduced to the position of an ordinary enactment. But I want that the Government should itself ponder over it and make such an arrangement that after every six months matter may be discussed in the House. They should inform the reasons for curbing the liberty of the people and also the reasons for continuing the emergency.

श्री कन्डप्पन (तिरुचेंगोड) : सभापति महोदय, मैं श्री कामत के विधेयक की भावना का समर्थन करता हूं। मेरे विचार में तो यह अच्छा होगा कि सरकार इस विधेयक को स्वीकार कर ले। इस बात पर किसी को आपत्ति न होगी कि संकटकालीन स्थिति का पुनर्विलोकन होना चाहिये। तर्क यह दिया गया है कि सारी स्थिति के पुनर्विलोकन के लिये सरकार स्वयं सदन के सामने आये। यदि इसके लिये संविधान का संशोधन भी हो गया तो क्या कठिनाई है।

संविधान का अनुच्छेद 352 बहुत गम्भीर है। संविधान बनाने वालों ने भी इस अनुच्छेद को अनिवार्य दोष कहा था। डा० अम्बेदकर ने कहा था कि इसका दुरुपयोग नहीं किया

जायेगा परन्तु गत 20 वर्ष में इस सरकार ने अपने हाथ में अधिक सत्ता लेने के मामले में एक क्षण के लिये भी संकोच नहीं किया है। सत्ता प्राप्त करने के लिये यह इतनी उन्मत्त है कि इस असामान्य कानून को भी समाप्त करने को तैयार नहीं है।

यह कानून गत $3\frac{1}{2}$ वर्ष से है। वर्तमान संसद को भी संकटकालीन संसद कहा जाना चाहिये।

श्री रघुनाथ सिंह ने तर्क दिया कि संविधान का बार-बार संशोधन नहीं होना चाहिये। यह आश्चर्यजनक है कि जब सरकार को आवश्यकता होती है तो संविधान का संशोधन करवा देती है परन्तु जब ऐसा दोषरहित कानून लाया जाता है तो इसे यह कहने का साहस हो जाता है कि संविधान का जल्दी-जल्दी संशोधन नहीं होना चाहिये। इस प्रकार के तथ्य अवैध हैं। सरकार को चाहिये कि इस विधेयक को स्वीकार कर ले।

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सभापति महोदय, श्री कामत ने एक सीमित प्रश्न सदन के सामने रखा है जिसका सम्बन्ध अनुच्छेद 352 के संशोधन से है।

माननीय सदस्य, श्री कामत का मुख्य तर्क यह है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जो उद्घोषणा होती है उस पर तो प्रत्येक 6 मास के बाद चर्चा हो सकती है परन्तु अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत जो उद्घोषणा होती है उस पर यहां चर्चा की आवश्यकता नहीं है।

यदि माननीय सदस्य संविधान को देखें तो उन्हें इन दोनों अनुच्छेदों के अन्तर का पता चल जायेगा। अनुच्छेद 356 का सम्बन्ध अस्थायी ढंग के मामलों से है जैसे कि यदि किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी टूट जाये तो केन्द्र उसका शासन अपने हाथ में ले सकता है और संसद वहां के विधान मंडल का कार्य करेगी। जैसे ही स्थिति सामान्य हो जाये चुनाव होने के बाद वहां की विधान सभा को उसके अधिकार दे दिये जायेंगे और वहां लोकतंत्र फिर से कार्य करने लगेगा। परन्तु अनुच्छेद 352 अस्थायी ढंग का नहीं है। बाहरी आक्रमण अथवा आन्तरिक विद्रोह अनिश्चित काल तक के लिये हो सकते हैं तथा इस समय मामलों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। अब चीन अगले 20 वर्षों में क्या करने वाला है इसका हम अनुमान कैसे लगा सकते हैं तथा पाकिस्तान अगले 10 वर्षों में क्या कार्यवाही करेगा इसका भी हमें क्या पता। हमारा इन मामलों पर कोई नियन्त्रण नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि खतरा रहे अथवा न रहे। इसलिये इन दो प्रकार की स्थितियों के बारे में संविधान के दो अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 356 में सभा में चर्चा किये जाने के बारे में लिखा है जबकी अनुच्छेद 352 में ऐसा नहीं लिखा है।

संकटकालीन स्थिति इस बात पर निर्भर नहीं है कि संकटकालीन अधिकारों का सदोपयोग होता है अथवा दुरुपयोग होता है।

वैसे यह मामला किसी न किसी रूप में 6 मास से भी पहले सदन के सामने आता रहा है। श्री कामत का तो कहना 6 मास में केवल एक बार के लिये ही है। वरन् इस पर बहुत बार चर्चा हो चुकी है।

श्री कामत जैसे निपुण संसद सदस्य को यह भी पता है कि केवल वही एक तरीका इस मामले को सदन के सामने लाने का नहीं है । अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले पर चर्चा करने से कोई रोक नहीं है ।

श्री कामत ने इस बात पर बल दिया है कि संकटकालीन कानूनों के होते हुए वे चुनाव कैसे लड़ सकते हैं । मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि कुछ विरोधी दल के सदस्य सामान्य स्थिति के समय चुनाव नहीं जीत सके परन्तु संकटकाल स्थिति में जीत कर आ गये । उदाहरण के रूप में डा० लोहिया तथा श्री मसानी का नाम लिया जा सकता है । मैं कहूँगा कि इस बात पर विचार करते हुए श्री कामत इस विधेयक को वापिस ले लेंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : उपमंत्री के असंतोषजनक उत्तर को सुनने के पश्चात् मैं कहूँगा कि अच्छा होता यदि वह अधिक तैयार होकर आते तथा किसी वरिष्ठ मंत्री से अधिक परामर्श लेकर आते । मुझे दुःख है कि उन्होंने इस पर उतनी गंभीरता से विचार नहीं किया है जितना करना चाहिये था ।

उन्होंने एक तर्क तो यह दिया कि विरोधी दलों के कुछ सदस्य सामान्य स्थिति में तो जीत कर नहीं आ सके परन्तु संकटकालीन स्थिति में जीत कर आ गये । यह बात तो कांग्रेस के सदस्यों पर भी लागू होती है । मुझे याद है कि 1952 में बम्बई में श्री मुरारजी देसाई हार गये थे । इसलिए इस प्रकार के तर्क का मैं उत्तर नहीं देना चाहता । उसका कोई लाभ नहीं होगा ।

क्या यह संभव है कि संकटकालीन स्थिति के होते हुए निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र चुनाव हो सकते हैं ? आप अपने हृदय पर हाथ रखकर कहें कि कार्यपालिका संकटकालीन स्थिति का अनुचित लाभ नहीं उठायेगी । इसलिये उपमंत्री के तर्क में कोई शक्ति नहीं है । कहा गया है कि संकटकालीन "अनिश्चित समय" तक चल सकता है जैसे पंडित नेहरू ने कहा था कि यह 50 वर्ष तक चल सकता है । तो क्या सरकार इतने वर्षों तक संसद के सामने इस विषय पर चर्चा के लिये कोई संकल्प लेकर नहीं आयेगी ?

मैं उन सदस्यों का अभारी हूँ जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है ।

यह तर्क देना ठीक नहीं है कि यदि कोई प्रस्ताव आया तो उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा ।

मैं इस विधेयक को केवल एक ही शर्त पर वापिस लेने को तैयार हूँ कि सबसे वरिष्ठ मंत्री अथवा सदन के नेता यह आश्वासन दें कि प्रत्येक 6 मास बाद एक सरकारी प्रस्ताव संकट-कालीन स्थिति के बारे में लायें और उस पर सदन में चर्चा हो ।

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं विरोधी दल के सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूँ कि हम इसका किसी भी तरह दुरुपयोग नहीं करेंगे तथा इसका चुनावों पर कोई प्रभाव नहीं होगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : इस आश्वासन से हम संतुष्ट नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि संकटकालीन स्थिति के पुनर्विलोकन के बारे में प्रत्येक 6 मास बाद सरकार एक संकल्प सदन के सामने लाये।

सभापति महोदय : क्या श्री विश्वनाथ पाण्डेय अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (सलेमपुर) : जी नहीं, मैं इसे वापिस लेना चाहता हूँ।

संशोधन, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

The amendment was, by leave, withdrawn

सभापति महोदय : अब मैं यह प्रस्ताव सभा के सम्मुख मतदान के लिये रखूंगा। क्योंकि यह विधेयक संविधान में संशोधन का विधेयक है, इस पर मतदान द्वारा मत विभाजन होगा। प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided

सभापति महोदय : मत विभाजन का परिणाम यह है :

पक्ष में 22; विपक्ष में 72

यह प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से तथा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से स्वीकृत नहीं किया गया।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(आठवीं अनुसूची का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of The Eighth Schedule)

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

मैंने इस विधेयक को 22 जून, 1962 को पेश किया था और तबसे अब तक चार वर्ष गुजर चुके हैं.....

सभापति महोदय, माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखेंगे जबकि इस विधेयक पर चर्चा होगी।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

सभापति महोदय : सभा के नेता आज सुबह अपना वक्तव्य नहीं दे सके थे। वह अपना वक्तव्य अब देंगे।

सभा के नेता (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं घोषित करता हूँ कि चालू सत्र की शेष अवधि में निम्न सरकारी-कार्य लिया जायेगा :

(1) अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1966।

(विचार तथा पास करना)

(2) पंजाब में राष्ट्रपति के शासन का अनुमोदन प्राप्त करने वाले संकल्प पर विचार।
(विचार तथा पारित किया जाय)

(3) पंजाब राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1966
(विचार तथा पास करना)

दिल्ली उच्च न्यायालय विधेयक, 1965, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में।
पंजाब पुनर्गठन विधेयक, 1966।

(4) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1966।
(संयुक्त समिति को सौंपा जाना)

(5) रेलवे सम्पत्ति (अवैध कब्जा) विधेयक, 1966, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।
(विचार तथा पास करना)

(6) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1965, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(आगे विचार करना तथा पास करना)

(7) विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) विधेयक, 1966।
(विचार तथा पास करना)

(8) **शनिवार**, 3 **सितम्बर**, 1966 **को** 4 **बजे म० प० पर** श्री प्रकाशवीर शास्त्री तथा अन्य सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव पेश किये जाने पर स्वर्ण नियंत्रण आदेश पर चर्चा।

उपरोक्त कार्य को समाप्त करने के लिये मैं आपसे तथा सभा से यह सम्मति देने के लिये अनुरोध करता हूँ कि सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए और 3, 5, 6, 7 सितम्बर, 1966 को भी सभा की बैठक हो।

श्री उमानाथ (पुद्दकोट्टै) : मैंने पिछले शुक्रवार को तथा उससे पिछले शुक्रवार को बीड़ी

तथा सिगार विधेयक के बारे में बात उठाई थी । मैं माननीय मंत्री द्वारा यह आश्वासन चाहता था कि यह विधेयक इसी सत्र में लाया जायगा । माननीय मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि यह विधेयक सत्र के अन्त में लाया जायगा । परन्तु इस वक्तव्य में उसका उल्लेख नहीं है । माननीय मंत्री ने अपने आश्वासन को भंग किया है और अब वह चुप हैं । यदि मंत्री इस प्रकार आश्वासनों को भंग करेंगे तो हम इसे सहन नहीं करेंगे ।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : The House has extended the time by two hours for the Motion Tabled by Shri Jagdev Singh Siddhanti. These two hours should be available on Monday. If these extra two hours are not given on Monday then its importance would end. The Leader of the House has not said anything on this matter. He should clarify this.

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : जब अधिवेशन आरम्भ हुआ था तो सरकार ने यह प्रस्ताव रखा था कि वैदेशिक मामलों पर चर्चा होगी । मुझे बड़ा आश्चर्य है कि अब वह क्यों छोड़ी जा रही है । शायद राज्य सभा में ऐसी चर्चा हुई है । यह इस बात का उदाहरण है कि सरकार किस प्रकार इस सभा के साथ बरताव करती है । ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर लोक सभा में चर्चा होनी चाहिए ।

दूसरी बात यह है कि क्या केरल के सम्बन्ध में जो अनुपूरक मांगों को शामिल ही नहीं किया गया है या गलती से मंत्री महोदय ने उन्हें पढ़ा ही नहीं है । क्या उन्हें अगले सत्र तक के लिए स्थगित किया जा रहा है ?

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा ख्याल है कि पिछले शुक्रवार को मंत्री महोदय ने कहा था कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट पर इसी सत्र में विचार किया जायगा । अपने वक्तव्य में मंत्री महोदय ने उसका उल्लेख नहीं किया है ।

दूसरी बात यह है कि मंत्री महोदय द्वारा इतनी देर से वक्तव्य देने के कारण हम मंगलवार 6 ता० के लिए प्रश्नों की सूचना नहीं दे सकते । सोमवार तथा मंगलवार को प्रश्न काल होना चाहिए ।

सभापति महोदय : उन दोनों दिन प्रश्न काल नहीं होगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : साधारणतः बढ़ाये हुए दिनों में भी प्रश्न काल होता है । केवल शनिवार को प्रश्न काल नहीं होता ।

सभापति महोदय : बढ़ाये हुये दिनों में प्रश्न काल नहीं होता । केवल पहले से घोषित टाइम-टेबल के दिनों में ही प्रश्न काल होता है ।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा निवेदन है कि नियम को निलम्बित करके सोमवार, मंगलवार और बुधवार को प्रश्न काल किया जाय ।

श्री दलजीत सिंह : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट पर अभी चर्चा नहीं हुई है । मेरा निवेदन है कि उसके लिये समय दिया जाये ।

Shri D. S. Patil (Yeotmal): We are informed that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes order Amendment Bill is to be taken up and passed in this Session. We are prepared to sit later for passing this Bill. I request that this Bill may be taken up and passed during this Session.

Shrimati Sahodra Bai Rai (Damoh): When is the Bidi Bill being introduced? Is it going to be introduced now in future?

Dr. Ram Manohar Lohia: The Honourable Minister has gone back on two of his assurances: one is regarding the area of the territory and the other regarding holding elections.

Shri Sheo Narain: My suggestion is that if the House sits even on Saturday, and no Short Notice Questions are taken up and the Question Hour is dropped then everything can be completed.

श्री सोनावने (पेंढरपुर) : मैं सभा के नेता से यह अनुरोध करता हूं कि सत्र को 7 तारीख के बाद भी बढ़ायें और श्री दे० शि० पाटिल तथा श्रीमती सहोदरा बाई राय द्वारा सुझाव दिये गये कार्य को पूरा करें। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयोग की रिपोर्ट पर अधूरी चर्चा को समाप्त किया जाये।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : भारत-पाक स्थित पर चर्चा को पूरा किया जाये और माननीय प्रतिरक्षा मंत्री अपने विचार व्यक्त करें क्योंकि इस सम्बन्ध में हम उनके विचार जानना चाहते हैं। रेल दुर्घटना पर चर्चा को भी समाप्त किया जाये। उसके लिये केवल 10 मिनट की आवश्यकता है।

मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि विधिविरुद्ध गतिविधियां (निरोध) विधेयक पर विचार अगले अधिवेशन तक के लिये स्थगित कर दिया जाये।

मैं मंत्री महोदय द्वारा स्वर्ण नियंत्रण पर 3 तारीख को चर्चा करने के लिये सहमत होने का स्वागत करता हूं।

श्री कन्डप्पन (तिरुचेंगोड) : बीड़ी बिल राज्य-सभा ने पास कर दिया है। अतः माननीय मंत्री उस पर लोक-सभा में विचार करने के लिये समय निकालें। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार भाषा विधेयक इस कारण नहीं ला रही कि उससे अगले चुनावों में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों पर बुरा असर पड़ेगा। मंत्री महोदय से मैं यह स्पष्ट जानना चाहता हूं कि इस विधेयक को इस सत्र में लाया जायेगा अथवा नहीं।

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur): I request that when the session is being extended upto the 7th, time may be found for discussion on the Gandak flood. In Deoria janpad, a dam has given way near Chitauni and 27 villages have been inundated, rendering some 30 thousand persons homeless. We have tabled several calling attention notices and short notice questions but no consideration has been shown to them. The dam on the Gandak river is under the Central Government.

श्री स० मो० बनर्जी : स्वर्ण नियंत्रण को हटाने के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव है उस पर 3 तारीख को 4 बजे शाम को चर्चा होगी। यदि मैं गलत नहीं हूं तो मेरी जानकारी के अनुसार उसको 1 घण्टा दिया गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि चूंकि स्थिति और बिगड़ गई हैं उस पर 31 तारीख को या 1 तारीख को ही चर्चा की जाये।

श्रम मंत्री ने कहा था कि बोनस अधिनियम की कुछ धाराओं को निकालने के लिये उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के कारण इस सत्र में एक विधेयक लाया जायेगा या वह अपना वक्तव्य देंगे। वह वक्तव्य अभी होना चाहिये।

विधिविरुद्ध गतिविधियां (निरोध) विधेयक पर जो राय महान्यायवादी ने दी है वह विधेयक के विरुद्ध है। अतः इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिये।

चौथी बात यह है कि चाहे हमें 9 तारीख तक बैठक करनी पड़े, लोक लेखा समिति के 56 वें प्रतिवेदन पर व्यापक चर्चा की जाये। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है और इस पर चर्चा अवश्य की जाये। माननीय मंत्री यह बतायें कि जिस आयोग को नियुक्त किये जाने की संभावना है वह लोक लेखा समिति के 50 वें, 55 वें तथा 56 वें प्रतिवेदन पर विचार करेगा।

Shri Yashpal Singh: When the House sits on Saturdays, our programmes are very much disturbed for we fix our visits to our constituencies months before and when suddenly we are not able to go due to sitting on Saturdays, we have to write many letters about cancellation of our visit. We would like to sit even upto 9 P.M. in order to finish the business. We are not free on Saturday.

Shri Satya Narayan Sinha: It is on account of pressure of business that we are sitting on Saturdays and the sittings have also been extended due to the same reason.

पहले हमने यह सोचा था कि हम सत्र को नहीं बढ़ाएंगे परन्तु बाद में हमने दो दिन के लिये बढ़ाने का निश्चय किया था। अब चार दिन बढ़ाने का निश्चय किया है। इस सत्र में ऐसी स्थिति रही है कि सरकारी कार्य केवल $3\frac{1}{2}$ घण्टे ही होता रहा है। यदि सभा 6 या 7 बजे तक बैठे तो बहुत से मामले शामिल किये जा सकते हैं परन्तु माननीय सदस्य गणपूर्ति का प्रश्न उठा देते हैं। यदि हम एक घण्टा देर तक बैठें तो माननीय सदस्यों के कुछ सुझावों को पूरा कर सकते हैं।

बीड़ी बिल को किसी दिन देर तक बैठ कर पास किया जा सकता है। हम अन्तिम दिन देर तक बैठ कर पास करें।

श्री हरि विष्णु कामत : अन्तिम दिन अर्धरात्रि तक बैठक होनी चाहिये।

श्री सत्य नारायण सिंह : बात देर तक बैठने की नहीं है परन्तु उस दिन माननीय सदस्य गणपूर्ति का प्रश्न न उठायें।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा के लिये 4 घण्टे नियत किये गये हैं परन्तु संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन के कारण वैदेशिक कार्य मंत्री बाहर जा रहे हैं। अतः चर्चा नहीं हो सकती।

सभापति महोदय : इस सबसे यह निष्कर्ष निकलता है कि सभा 3, 5, 6 और 7 सितम्बर 1966 को बैठेगी। क्या सभा इन दिनों बैठने के लिये सहमत है ?

कई माननीय सदस्य : हां।

सभापति महोदय : केवल 7 तारीख को प्रश्न काल होगा क्योंकि उसी दिन 10 दिन की सूचना पूरी होगी। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

तेल कम्पनियों में रोजगार की सुरक्षा के बारे में आधे घण्टे की चर्चा
HALF-AN-HOUR DISCUSSION Re. JOB SECURITY IN OIL COMPANIES

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : मेरा प्रश्न बहुत ही सरल है परन्तु बहुत महत्वपूर्ण और पुराना है। प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस स्थिति में है कि वह तेल कम्पनियों के कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा के लिये गारन्टी दे सके ? इस विषय को सभा में तथा बाहर भी कई बार उठाया गया है। परन्तु कुछ भी नहीं हुआ है। अतः मैंने इस विषय पर यह आधे घण्टे की चर्चा उठाई है। यह विषय सरकार की नीति से सम्बन्धित है।

कर्मचारियों और उनके मजदूर संघों से इस प्रकार की सैकड़ों शिकायतें की गई हैं कि विदेशी तेल कम्पनियों में मजदूर विरोधी योजना और छंटनी के गुप्त उपाय अपनाये जा रहे हैं। यह मामला संसद के दोनों सदनों के सामने भी चर्चा के लिये आया था। 1963 में ही इन कम्पनियों के कर्मचारियों ने सरकार से यह प्रार्थना की थी कि वह इन कम्पनियों को हिसाब-किताब करने वाले यंत्रों को आयात करने की अनुमति न दे वरना इनमें रोजगार की एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। सरकार को इस बारे में तभी सचेत कर दिया गया था। कर्मचारियों की इस प्रार्थना को सरकार ने सुनी अनसुनी कर दिया जिसके फलस्वरूप कम्पनियों ने वे यंत्र मंगा लिये और बड़ी ही बुद्धिमत्ता से "ऐच्छिक सेवा-निवृत्ति" की व्यवस्था लागू कर दी। सरकार कर्मचारियों के हितों को बिल्कुल नहीं देखती। उसने उनके अनुरोध की ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

सरकारी कर्मचारियों और मालिकों के प्रतिनिधियों की एक त्रिपक्षीय समिति का गठन हुआ था। सरकार को इसका प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखना चाहिये।

समिति के लिये विचारार्थ-विषय यह था कि त्रिपक्षीय समिति रोजगार सुरक्षा तथा कर्मचारियों की छंटनी की समस्त समस्या के बारे में जांच करेगी। इस जांच में यह भी शामिल होगा कि कितनी और कैसी मशीनें तथा स्वचलित यंत्र लाये गये हें और उनसे कार्य कुशलता पर कैसा प्रभाव पड़ेगा ?

इस समिति ने जिसमें कर्मचारियों तथा मालिकों के प्रतिनिधि हैं और जिसके सभापति श्रम मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री आर० एल० मेहता हैं, उन्होंने कुछ सिफारिशें की हैं। मैं कुछ निष्कर्षों का उल्लेख करूंगा। सरकार ने सिफारिशों की मुख्य बातों को निष्फल बना दिया है।

समिति के कुछ निष्कर्ष इस प्रकार हैं कि 1960-65 में बड़ी कम्पनियों के कुल कर्मचारियों की संख्या 25.3 प्रतिशत कम हुई। "बर्मा शैल" में 31.5 प्रतिशत, "ऐस्सो" में 13.8 प्रतिशत तथा "कैलटेक्स" में 18.2 प्रतिशत की कमी हुई।

कम्पनियों में भरती और छंटनी साथ साथ चल रही है। मंत्री महोदय इस बात का स्पष्टीकरण किस प्रकार कर सकते हैं।

मालिकों के प्रतिनिधियों ने हर प्रकार समिति के कार्य में गड़बड़ी डालने की कोशिश की परन्तु इसके बाबजूद समिति ने यह निष्कर्ष निकाला है कि कम्पनियों की लाभ की स्थिति बहुत ही सन्तोषजनक है और यदि वहां मितव्ययिता के लिये डामले समिति की सिफारिशों को प्रयोग में लाया जाता तो यह स्थिति और भी अधिक सुधर जाती।

इस समिति की अन्तिम सिफारिश यह थी कि तेल कम्पनियां कानून अथवा परिपाटी के अन्तर्गत कर्मचारियों की छंटनी अथवा कमी के अतिरिक्त किसी प्रकार की छंटनी अथवा कमी न करके अपने कर्मचारियों के लिये रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

समिति की अन्य सिफारिशें यह थीं कि समय से पूर्व ऐच्छिक सेवा-निवृत्ति या 'विलग' योजनाओं का परित्याग किया जाये। तीनों कम्पनियों में समय से पूर्व सेवा-निवृत्ति के लिये आवेदन पत्र पर विचार करने के लिए दो संयुक्त समितियां बनाई जायें। एक समिति में प्रबन्धक तथा प्रबन्धक कर्मचारियों के प्रतिनिधि हों और दूसरी में शेष कर्मचारियों की संघों के प्रतिनिधि हों।

इस प्रकार जो कर्मचारी इच्छा से जल्दी सेवा-निवृत्ति लेना चाहते हैं उनको ऐसा करने से रोका नहीं जा सकेगा।

समिति ने यह भी कहा था कि यदि छंटनी अपरिहार्य हो जाये तो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाये। किन्तु पेट्रोलियम मंत्री महोदय के राज्य-सभा तथा लोक-सभा में दिये गये आश्वासन और उद्घोषणा के बावजूद ये कम्पनियां छंटनी के लिये प्रच्छन्न उपाय अपना रही हैं। कोई नहीं जानता कि यह किस प्रकार हो रहा है। कुछ व्यक्तियों को अधिक्य घोषित करने और ऐच्छिक सेवा-निवृत्ति के उपायों को बन्द किया जाना चाहिये। यह सुना गया है कि कम्पनी और सम्बन्धित विभाग में इस बारे में कुछ विचार विमर्श हुआ था वरना त्रिपक्षीय समिति के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता था। वास्तव में समिति के प्रतिवेदन से कर्मचारी पूर्णतः संतुष्ट न थे परन्तु उन्होंने इसे मान लिया क्योंकि उन्होंने यह सोचा था कि यदि उसमें थोड़ी सी भी गारंटी हुई तो उन्हें रोजगार की सुरक्षा प्राप्त हो जायेगी। परन्तु अब उन्हें यह ज्ञात हो गया है कि सरकार ने जो अन्तिम संकल्प स्वीकार किया है, उसने प्रतिवेदन को निष्प्रभावी बना दिया है, मैं संकल्प के चार खण्डों का उल्लेख करता हूं। प्रथम, समिति को अवसर दिये जाने के बावजूद उसने ऐसी सामग्री प्रस्तुत नहीं की है जिसके आधार पर फालतू कर्मचारियों को निश्चित किया जा सके। दूसरे

समिति ने यह सिफारिश की थी कि फालतू कर्मचारियों की छंटनी के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम में दी गई प्रकिया को लागू किया जाये। तीसरे, समिति ने यह कहा था कि जल्दी ऐच्छिक सेवा-निवृत्ति लेने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है।

त्रिपक्षीय दल की यह सिफारिश थी कि छंटनी नहीं होनी चाहिये। सरकार ने भी अपने संकल्प में यही बात कही है। मेरी शंका का एक और भी कारण है। इस संकल्प को स्वीकृति देने से पहले सरकार के श्रम विभाग के सचिव श्री पी० सी० मैथ्यू ने केवल कम्पनियों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया था। इससे सिद्ध होता है कि सरकार इन कम्पनियों से डरती है। इस बारे में कर्मचारियों की सलाह तक नहीं ली गई है। स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना इन लोगों के लिये बनाई गई है। अतः उनसे सलाह करना बहुत आवश्यक था। माननीय मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिये। पिछले वर्ष कम्पनियों को बाध्य किया गया था कि कर्मचारियों को बोनस का भुगतान करें। यह एक अच्छा कदम था। अब कम्पनियों को स्पष्ट शब्दों में बता दिया जाना चाहिये कि वे इन लोगों की छंटनी नहीं कर सकते।

डा० रानेन सेन : वर्ष 1957 में सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि छंटनी नहीं होगी। इसके पश्चात् सरकार के दो मंत्रालयों की सहमति से इस समिति की नियुक्ति की गई। समिति के बहुमत की सिफारिशों को श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने मान्यता नहीं दी थी क्योंकि मालिकों ने आपत्ति की थी कि उनके छंटनी के अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। परन्तु अन्ततः श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने उसके प्रति सहमति व्यक्त की। मैं जानना चाहता हूं कि सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री उमानाथ : तेल कम्पनियां एच्छिक निवृत्ति योजना का उल्लंघन कर रही है। मद्रास में 23, बम्बई में 56, कलकत्ता में 70 और यहां दिल्ली में 41 कर्मचारी फालतू घोषित कर दिये गये हैं। उन पर त्यागपत्र देने के लिये दबाव डाला जा रहा है। इन लोगों को रोजगार से वंचित किया जा रहा है। क्या सरकार इन अमरीकी कम्पनियों से डरती है ? क्या अमरीकी सरकार का इसमें कोई हाथ है ?

श्री नम्बियार : क्या सरकार इन तेल कम्पनियों को स्पष्ट शब्दों में बतायेगी कि कर्मचारियों के विरुद्ध इस प्रकार की कार्यवाही कम्पनियों के हित में नहीं ?

श्री वासुदेवन नायर : क्या सरकार को मालूम है कि कोचीन स्थित तीन कम्पनियों ने 700 कर्मचारियों को छंटनी के नोटिस दे दिये हैं ? क्या कर्मचारियों ने सुझाव दिया है कि इन संस्थानों को सरकार अपने हाथ में ले ले ताकि कोई कठिनाई खड़ी न हो। इन 700 कर्मचारियों के रोजगार सुरक्षित बनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच नहीं है कि स्वैच्छिक निवृत्ति सम्बन्धी योजना वास्तव में यह एक जबरी छंटनी योजना है ? जीवन बीमा निगम में स्वचालित मशीनों से छंटनी

नहीं होगी । इस आशय का आश्वासन कर्मचारियों को दिया गया था । परन्तु खेद की बात है कि फिर भी तेल कम्पनियों में छंटनी की जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि कार्यभार का अनुमान क्यों नहीं लगाया गया और मेहता समिति की सिफारिशों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया है ? क्या यह राजनैतिक दबाव के कारण है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मुझे प्रसन्नता है कि इस विषय पर यहां चर्चा हुई है । सरकार ने मेहता समिति (त्रिपक्षीय समिति) की सिफारिशों का अच्छी तरह अध्ययन किया है और उसे स्वीकार कर लिया है । इसके बाद राज्य सरकारों से भी सिफारिश की है । यह विषय राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आता है । इस समिति की नियुक्ति इसलिये की गई थी कि पता चलाया जा सके कि क्या कर्मचारियों और मालिकों के आपसी समझौते से कोई निर्णय हो सकता है । यदि यह सर्वसम्मत प्रतिवेदन होता तो हम राज्य सरकारों से कहते कि वे इसे लागू करें । अब यदि कोई औद्योगिक झगड़ा खड़ा हो जाये तो उसे इस सम्बन्ध में लागू कानून के अधीन सुलझाने का प्रयत्न किया जायेगा ।

श्री नम्बियार : बड़े पैमाने पर छंटनी की जा रही है ।

श्री उमानाथ : क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि यह छंटनी दबाव के कारण हो रही है ?

श्री जगजीवन राम : यह आरोप निराधार है ।

श्री शाहनवाज खां : हमारे देश में संविधान के अन्तर्गत लोकतन्त्रीय व्यवस्था के रूप में कार्य हो रहा है । सब काम कानून के अनुसार होते हैं । झगड़ों के निपटाने के लिये निर्धारित प्रक्रिया है । मैं इस आरोप का खण्डन करता हूं कि सरकार किसी प्रकार के दबाव या भय के कारण कुछ कार्य कर रही है । मेरी सरकार किसी विदेशी सरकार के दबाव से प्रभावित नहीं होती है हमारे अधिकारी बड़ी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं । मेहता समिति की रिपोर्ट की प्रति-पक्ष वालों ने भी प्रशंसा की है । छंटनी के बारे में जब कर्मचारी लोग झगड़ा उठायेंगे तो अवश्य ही सरकार हस्तक्षेप करेगी ।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 29 अगस्त, 1966/7 भाद्रपद, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 29, 1966/Bhadra 7, 1888 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow—12-I-68—565